लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 24 मई 1971/3 ज्येष्ठ 1893 (शक)

No. 1, Monday, May 24, 1971/Jyaistha 3, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यो की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members.	xv-xxxi
सभा के पदाधिकारी	Officers of the House.	xxi
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री आदि	Government of India Ministers, Ministers of State etc.	xxxii-xxxiv
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members sworn.	1
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	1—6
नये मंत्रियों का परिचय	Introduction of New Ministers	6—7
मंत्रियों के पदनामों के सम्बन्ध में	Re : Designation of Ministers	7—13
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1. भारत–पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं की भारी हलचलें तथा जमाव	Heavy Movement and Concentration of Pakistani Forces on Indo-Pakistan Borders.	13—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2. पूर्व बंगाल के बारे में संसद द्वारा पारित किया गया संकल्प	Resolution adopted by Parliament in respeet of East Bengal.	17

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was aotually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
3. बंगला देश की सरकार को मान्यता देना	Recognition of Bangla Desh Government.	17
4. किसी नई सरकार को मान्यता देने के सम्बन्ध में अपेक्षित आवश्यक बातें	Pre-requisites for recognition of a new Government.	17—18
5. कलकत्ता स्थित कालटैक्स की पैट्रोल टंकी में आग	Fire in Caltex Petrol Tank in Calcutta.	18
6. 'दिग्रेट सौविएट एंसाइक्लोपीडिया, में भारत के नक्शें का प्रकाशन	Publication of India's Map in the Great Soviet Encyclopaedia	18—19
7. छोटे पैमाने के औषध निर्माण कारखानों को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 से छूट	Exemption to Small Scale Drug Manufacturing Units from Drugs (Prices Control) Order, 1970	19
8. लंका में आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के लिये सहायता	Help to Ceylon for Suppressing Internal Disturbances	19—20
9. औषधीय पौधों तथा जड़ी बूटियों के बारे में अनुसंधान कार्य	Research in Medicinal Plants and Herbs	20
10. कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग के कारण पेट्रोलियम की कमी	Scarcity of Petroleum due to demand for Rise in the Prices of Crude Oil	20
11. भारतीय सीमा पर आक्रमक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा आदिवासियों को उकसाना तथा उन्हें सशस्त्र करना	Arming and Inciting Tribals by Pakistan Government to Launch Aggressive Action on India's Border	20—21
12. पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के सम्बन्ध में क्षेत्रों का पता लगाने हेतु अध्ययन दल के सुझाव	Suggestion of Study Group for Demarcation of Fields to curtail consumption of Petroleum products	21
13. अशोधित तेल में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Crude Oil	21—22
14. मित्र राष्ट्रों को पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से अवगत कराना	Apprising the Friendly Nations about East Bengal Affairs	22
15. केरल में केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना	Establishment of Central Ayurvedic Research Institute in Kerala	22—23

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
16. बंगला देश आन्दोलन के दौरान पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय पत्रकार	Indian News men Arrested by Pakistan during Bangla Desh Movement	23—24
17. बरौनी तेल शोधक कारखाने की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised capacity of Barauni Refinery	24
18. नये तेल क्षेत्रों का पता लगाना	Location of New oil Belts	25—26
19. ईरान से आयात किये जाने वाले अघाजरी अशोधित तेल के मूल्य में वद्धि	Increase in price of Aghajari Crude Oil Imported from Iran	26
20. हिन्द महासागर में अमरीकी युद्ध पोतों सम्बन्धी प्रेस रिपोर्ट	Press Report re: U. S. Warships in Indian Ocean	26—27
21. दिल्ली के नागरीकृत ग्रामों का विकास	Development of Urbanised Villages of Delhi	27
22. पाकिस्तान सेना द्वारा अपहृत भारतीय पत्रकार	Indian Journalists Kidnapped by Pakistan Army	28
23. ब्रिटेन में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in United Kingdom	28—29
24. केरल में आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान	Ayurvedic Research Institute in Kerala	29—30
25. कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के भवन पर कब्जा	Possession of Pakistan Deputy high Commission Premises in Calcutta	30
26. बंगला देश की स्थिति के बारे में ऊथांट को प्रस्ताव	Proposals to U. Thant re. Situation Bangla Desh	30—31
27. वायु का दूषित होना	Air Pollution	31—32
28. भारतीय विमान के अपहरण के बारे में पाकिस्तानी न्यायिक आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pakistan Judicial Commision into Hijacking of Indian Plane	32
29. इण्डियन एक्सप्लोसिब्ज लिमिटेड गोमिया, बिहार में हड़ताल	Strike in Indian Explosives Ltd. Gomia (Bihar)	32—33

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
30. पटना में आयोजित भारतीय उर्वरक निगम के प्रमुख तकनीकी अधिकारियों और कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Executives and Technical Heads of Fertilizer Corporation of India held at Patna	33—35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1. आयातित डी० डी० टी० का सरकारी गोदामों में अनप्रोसेस्ड रूप में पड़ा रहना	Imported DDT lying unprocessed in Government Godowns	35
2. असम के लिये दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Oil Refinery for Assam	35—36
3. असम में समेकित डी० एम० टी०/पोलिस्टर फायबर पेट्रो रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Establishement of Integrated DMT Polyster Fibre Petro-Chemical Complex in Assam	36
4. राज्यों में सेना में भर्ती पर प्रतिबन्ध	Restriction for Recruitment to Army in States	36—37
5. मैसूर की सिटी स्थित अखिल भारतीय मूक तथा बधिर संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये प्रवेश	Admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to All India Institute for Speech and Hearing Mysore City	37—38
6. सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Scheduled Tribes in Sainik Schools	38
7. सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों का दाखला	Admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Sainik Schools	38—39
8. पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार को तेज किया जाना	Increase in Anti India Propaganda by Pakistan	39
9. स्वेज नहर का फिर से खोला जाना	Reopening of Suez Canal	39—40
10. बंगला देश गणराज्य द्वारा मान्यता के लिये अनुरोध	Request by Republic of Bangla Desh for its Recognition	40
11. ढाका तथा इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions imposed on Indian Diplomats in Dacca and Islamabad	40—41
12. विदेशों में हिन्दी तथा भारतीय साहित्य का प्रचार	Propagation of Hindi and Indian Litreature in Foreign Countries	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
13. पाकिस्तान द्वारा सिन्ध के हिन्दुओं की सम्पत्ति को जब्त करने के लिये उनको नोटिस दिया जाना	Notices Served by Pakistan to Hindus of Sind for Acquisition of Property	41
14. चीन द्वारा भारत का घेराव	Encircling of India by China	41—42
15. पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी द्वारा विनष्ट की गई भारतीय सम्पत्ति	Indian Property damaged by Pakistani Army in East Bengal	42
16. भारतीय उप-उच्चायुक्त के ढाका में कार्यालय का बन्द किया जाना	Closing of Office of Indian Deputy High Commission in Dacca	42
17. दिल्ली में विजय घाट, राजघाट तथा शान्तिवन पर व्यय	Expenditure on Vijay Ghat, Raj Ghat and Shantivana in Delhi	42—43
18. कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त	Pakistan Deputy High Commissioner in Calcutta	43
19. बंगला देश को मान्यता देने के लिये जनता की मांग	Public Demand for Recognition of Bangla Desh	43—44
20. अलियाबेट (गुजरात) में समुद्र तलीय तेल का कुआं	Off Shore Oil well at Aliabet (Gujarat)	44
21. भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व	Representation of workers and officers of Indian oil Corporation on Management Board	44
22. हिन्द महासागर में विदेशी युद्ध पोतों की संख्या में वृद्धि	Increase in foreign Warships in Indian Ocean	44—45
23. तूतिकोरिन (तमिलनाडु) में तेल शोधन कारखाना स्थापित करना	Setting up of oil Refinery at Tuticorin (Tamil Nadu)	45
24. सोवियत संघ द्वारा हिन्द महासागर में अड्डे की स्थापना	Setting up of a Base in Indian Ocean by USSR	45—46
25. नौसेना के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	Establishment of Naval Training Centres	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

26. मास्को स्थित भारतीय दूतावास के खजांची की दोष सिद्धि	Conviction of Cashier of Indian Embassy at Moscow	46
27. दूसरे निरोध निर्माण कारखाने की स्थापना	Setting up of another Nirodh Factory	47
28. अन्दमान के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करने को तैयार डाक्टरों को प्रोत्साहन	Incentive to Doctors willing to work in Rural Areas of Andamans	47—48
29. भारतीय राज्य क्षेत्र को गलत ढंग से चित्रित करने वाले नक्शों का रूस द्वारा प्रकाशन	Publication of wrong Maps about Indian Territory by USSR	48—49
31. भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों को जारी किये गये पार पत्र	Passports issued to former rulers of Indian States	49
32. लंका में पाकिस्तान को पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं	Port Facilities to Pakistan in Ceylon	49
33. भारतीयों द्वारा रूस यात्रा	Visits by Indians to Russia	49—50
34. पाकिस्तान और चीन के बीच सड़क का उद्घाटन	Inauguration of Road Link between Pakistan and China	50
35. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चयोग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग	Use of fire arms etc. by Staff of Pakistan Commission New Delhi against demonstrators	50—51
36. पाकिस्तानी उच्चयोग के ब्रिगेडियर गुलाम हसन खां को अवांछित व्यक्ति घोषित करना	Declaring of Brig. Ghutam Hussan Khan of Pakistan High Commission as Persona Non Grata	51
37. अशोधित तेल पर विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign Exchange on Crude oil	51—52
38. पाकिस्तान द्वारा भारत से युद्ध की तैयारी	Preparation by Pakistan for war against India	52
39. भारतीय गांवों के अन्दर गोली चलाने के विरोध में पाकिस्तान को विरोध पत्र	Protest Note to Pakistan for Firing into Indian Villages	52—53

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
40. कलकत्ता में पाकिस्तानी उच्चायोग तथा ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कार्यालयो का बन्द किया जाना	Closing of Pakistan Deputy High Commission's Office at Calcutta and Indian Deputy High Commission's Office at Dacca.	53
41. विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल संबंधी करारों का पुनरावलोकन	Revision of Refinery Agreements with Foreign oil Companies	53—54
42. सोडा ऐश के संयंत्रो का विस्तार	Expansion to Soda Ash Plants	54
43. मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में प्राध्यापकों के पद के लिये अर्हताएं	Qualifications for post of Lecturer in Maulana Azad Medical College, New Delhi	54—55
44. जर्मन लोंकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता	Recognition of GDR	55
45. भारत की बढती जनसंख्या को रोकने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family planning programme to check India's increasing population	56
46. केरल में मेडिकल कालेज	Medical College in Kerala	56—57
47. दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की व्यवस्था	Provision of sites for Shamshan Ghats and kabristans in J. J. colonies Delhi	57—58
48. दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्लाटों के स्वामित्व का हस्तान्तरण	Transfer of Ownership of Plots in J. J. colonies in Delhi	58
49. दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में धार्मिक संस्थाओं के प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots for Religious Institutions in Jhuggi Jhonpri colonies of Delhi	58—59
50. पूर्वी बंगाल में विस्थापित कर दिये गये भारतीय परिवार	Indian families uprooted from East Bengal	59
53. आसाम के कुसीजन क्षेत्र में तेल का पाया जाना	Oil Found at Kusijan in Assam	59—60
54. लन्दन स्थिति भारतीय उच्च आयोग पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure on Indian High Commission in London	60—61

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
55. दक्षिण दिल्ली स्थित बस्तियों को वजीराबाद से पानी की सप्लाई	Supply of water to the South Delhi Colonies from Wazirabad	61
56. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Central Government Employees	61—62
57. झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिये सामाजिक आवास योजना	Social Housing Scheme for Jhuggi-Jhonpri Dwellers	62
58. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of CPWD Sectional Officers	62—63
59. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Sectional Officer of the Central Public Works Department	63
60. हल्दिया तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी परियोजना की प्रगति	Progress at Haldia Refinery project	64
61. विदेशों में केरल की लड़कियों का बेचा जाना	Sale of Kerala Girls in Foreign Countries	65
62. कोहिमा में नागा नेताओं की बैठक	Meeting of Naga Leaders at Kohima	65
63. भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में जल तथा वायु को दूषित होने से बचाना	Prevention of Pollution of Water and Air in Industrial Regions of India	65—66
64. तमिल नाडु राज्य में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Improvement of Slums in Tamil Nadu State	66
65. 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा जप्त की गई भारतीय सम्पत्ति का बेचा जाना	Disposal of Indian Properties held by Pakistan during 1965 conflict	66—67
66. प्रतिरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Defence Positions	67
68. हल्दिया बरौनी पाइपलाइन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Baruni Haldia Pipeline Enquiry Commissions Report	67
69. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	National Buildings Construction Corporation Ltd.	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
70. हांगकांग में भारतीय व्यापार आयुक्त द्वारा कैन्टन व्यापार मेले का दौरा	Visit by Indian Trade Commissioner in Hongkong to Canton Trade Fair	68
71. मंत्री की स्वेच्छिक निधि से चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता	Financial aid to Medical Institutions from Discretionary fund of the Minister	68--69
72. विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Oil Companies	69
73. प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन	Production of Defence Requirements	69—70
74. संसद सदस्यों के बंगलों के सेवक क्वार्टरों में बिजली के मीटरों का लगाया जाना	Supply of electric meters in servants' quarters of MPs bungalows	70—71
75. दिल्ली विकास प्राधिकरण की झिलमिल ताहिरपुर आवासीय योजना	Jhilmil Tahirpur residential Scheme of DDA	71
76. ब्रिटेन का एशियाई आप्रवास विधेयक	Britain's Asian Immigration Bill	71—72
77. कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Special Alloy Steel Plant at Kanpur	72
78. प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना	Setting up of Defence Production Board	72
79. दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण	Functioning of DDA	73
80. निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन	Allotment of plots to Low and Middle income Groups	73—74
81. पिथरोगढ़ तथा धारचुला के बीच भूमि अर्जित किया जाना	Acquisition of land between Pithoragarh and Dharchula	74—75
83. भारतीय उप-उच्चायुक्त की पत्नी के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार	Indian Deputy High Commissioner's wife subjected to ill treatment by Pakistani authorities.	75
84. ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी के एक सदस्य द्वारा बंगला देश की यात्रा	Visit to Bangla Desh by a Labour Member of Parliment of U. K.	75—76
85. महाराष्ट्र में डी० डी० टी० फैक्टरी	DDT Factory in Maharashtra	76
86. प्रचलित औषधियों की कीमतों में वृद्धि	Rise in the Prices of Popular Medicines	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
87. दक्षिण में पेट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Industrial complex in South	77
88. अपहृत भारतीय विमान के लिये क्षतिपूर्ति	Compensation for the Hijacked Indian Plane	77—78
89. मद्रास नगर के द्वीपों में भवनों का निर्माण	Construction of Building Complex on Island Grounds of Madras City	73
90. पनडुब्बियों का पता लगाने के लिये हलके सेतु उपकरणों मत्स्य नौकाओं पटरियों, जुगतों का व्यापक निर्माण	Mass Production of light weight Bridge Equipment, Trawlers Track-Ways and Gadget to locate submarine	78—79
91. रंगक द्रव्य उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिश	Recommendations of Tariff Commission for Dye-Stuff Industry	79
92. निरोध वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत प्रचार पर व्यय	Expenditure on Publicity under Nirodh Commercial Scheme	79
93. विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme for Modernisation of Indian Navy at Vishakhapatnam Naval Base	80
94. दक्षिण पूर्व एशिया के लिये नया गठजोड़	Forming of a new alliance for South East Asia	80
95. भारत में बी. बी. सी. के कार्यालय का फिर से खोला जाना	Reopening of BBC's Office in India	80
96. गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में यूरिया भण्डार की कथित कमी के बारे में जांच	Enquiry into reported shortage of Urea Stocks in fertiliser factory, Gorakhpur	81
97. बम्बई में तट दूर तेल की खोज करने के लिये एक प्लेटफार्म की सप्लाई करने के लिये एक जापानी फर्म के साथ करार	Agreement with Japanese Firm for supply of a platform for offshore oil exploration in Bombay High Area	81—82
98. भारतीय सेना में पैदल बटालियनों की संख्या बढ़ाया जाना	Raising the number of Infantry Battalions in Indian Army	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

99. नई दिल्ली स्थित कनाट प्लेस में यातायात प्रणाली का पुनर्गठन	Reorganisation of Traffic Pattern in the Connaught Place, New Delhi	82
100. एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोरिया का दौरा	Visit by a Delegation of political party to Korea	82
102. राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में अस्पतालों के निर्माण के लिये निधि	Funds for construction of Hospitals in Sri Ganga Nagar District (Rajasthan)	83
104. बहराइच (उत्तर प्रदेश) में नसबन्दी तथा लूप का प्रयोग	Vasectomy and Loop Fixing cases in Bahraich (U. P.)	83—84
105. विदेशों द्वारा प्रकाशित मानचित्रों में जम्मू तथा काश्मीर सीमा का गलत सीमांकन	Wrong Demarcation of J & K Border in Maps published by Foreign countries	84
106. दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा करों का पुनर्निर्धारण	Re-assessment of Taxes by Danapur Cantonment Board	84
107. संसद सचिवालयों के कर्मचारियों को आवास स्थानों का आवंटन	Allotment of Housing Accommoda tion to Employees of Secretaries of Parliament	84—85
108. पाकिस्तान द्वारा ब्रिटिश सैनिक अड्डे का प्रयोग	Use of British Military Base by Pakistan	85
109. तिलैया, बिहार में सैनिक स्कूल	Sainik School at Tillaiya in Bihar	85—86
110. बर्मा में भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of property of Indian Nationals in Burma	86—87
111. मद्रास में 65 मंजिले भव्य भवन बनाने का का निर्माण	Construction of 65 Storeyed Building in Madras	87
112. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना पारी के आवंटन हुए क्वार्टरों का सबलैट किया जाना	Subletting of Out of Turn Allotment of Accommodatiou by Central Government Employees	87—88
113. दिल्ली में हैजे का फैलना	Out Break of Cholera in Delhi	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
114. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें	C. G. H. S. Facilities to Teachers and Employees of Delhi University	88
115. भूतपूर्व संसद् सदस्यो से मालियों की सेवाओं के लिये वसूल की गई राशि को वापस करना	Refunding of Amouut Recovered from Ex-M. Ps. as service eharges Gardeners	83—89
116. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में बिस्तरों और दवाइयों की कमी	Shortage of Beds and Medicines in Willingdon Hospital New Delhi	89
117. त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज	Exploration of Oil and Natural Gas in Tripura	89—90
118. नगरीय सामुदायिक विकास योजना	Urban Community Development Scheme	90--91
121. चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र का परीक्षण	Testing of ICBM by China	91
123. अशोधित तेल का आयात	Import of Crude Oil	91—92
124. मुसलमानों में परिवार नियोजन	Family Planning among Muslim	92—93
125. बेरोजगार नवयुवकों के लिये पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल की ऐजेंसियां	Petroleum and Kerosene Agencies to Unemployed Young Men	93—94
127. सिलचर मेडिकल कालेज का निर्माण	Construction of Silchar Medical College	94—95
128. त्रिपुरा में मेडिकल कालिज की स्थापना	Setting up of Medical College in Tripura	95
131. गुजरात राज्य को सप्लाई की जाने वाली गैस के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Gas suplies Gujarat State	95—96
132. राजस्थान में झुंझुनू जिले में सैनिक स्कूल का खोला जाना	Opening of a Sainik School ni Jhunjhunu District in Rajasthan	96
133. सवाई माधोपुर राजस्थान में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of an oil Refinery at Sawai Madhopur in Rajasthan	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अतर्रा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
134. सेना में भर्ती के लिये जिले वार कोटा	District wise Quota for Recruitment in the Army	
135. चीन द्वारा नवीनतम स्वचालित कम्प्यूटरों की स्थापना	Installation of Latest Automatic Computers by China	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	97—102
पूर्वी बंगाल सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में बलात प्रवेश करने का समाचार	Reported Intrusions of Pakistan Army into Indian Territory on the East Bengal Border	
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	97—98
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	98—102
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re- Motion for Adjournment	102—04
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	104—06
समिति के लिये निर्वाचन	Selection to Committee	106
दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद	Advisory Council of the Delhi Development Authority	106
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	Resignation by Member	106
(मनमोहन टूडु)	(Shri Manmohan Tudu)	106
तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	Re.Third Pay Commission's Report	108—09
रेलवे बजट, 1971-72-प्रस्तुत किया गया	Railway Budget, 1971-72-Presented	109
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	109—23
राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक, 1971- पुरस्थापित	Prevention of Insults to National Honour Bill- Introduced	123
मैसूर राज्य से सम्बन्धित उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृत	Staturory Resolution re. proclamation in relation to the State of Mysore Adopted	123

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री के० सी० पन्त	Shri K. C. Pant	123—24
श्री आर० वी० बडे	Shri R. V. Bade	128—29
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	129
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	129—31
श्री एम० के कृष्णन्	Shri M. S. Krishna	131—32
श्री के० बालतन्डायुतम	Shri Balathadayutham	132
बंगला देश कीं स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Situation in Bangla Desh	124—33
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	124—33
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Annual Report of University Grants Commission for 1968-69	134
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	134—35
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	135—37
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	137—38
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	138—39
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Banera	139
श्री यादव शिवराम महाजन	Shri Y. S. Mahajan	139—40
प्रो० एस०एल० सक्सैना	Prof. S. L. Saksena	140—41
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Shri P. Anthony Reddy	141—42
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh	142—43
श्री नारायणा चन्द पाराशर	Shri Narain Chand Parashar	143—44

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची
पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस० (अनकापल्ली)
अफजल पुरकार, श्री धर्मराव शरणप्पा (गुलबर्गा)
अम्बेश, श्री छत्रपति (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेटम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री के० एम० (अकोला)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मण्डला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहरदगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, आर० पी० श्री (वेल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

ओ

ओझा, श्री घनश्याम भाई (राजकोट)

क

ककोटी, श्री रोबिन नाथ (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री आर० सी० (कासरगोड)
कतामुतु, श्री (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव बाबुराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याण सुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कस्तूरे, श्री अर्जुन श्रीपत (खामगांव)
कादर, श्री सालेभाई अब्दुल (बम्बई मध्य-दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांवले, श्री तुलसीराम दशरथ (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री बाबुराव जंगलुजी (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुमारमंगलम, श्री एस० मोहन (पांडीचेरी)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर-पूर्व)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोतरासट्टी, श्री ए० आर (वेलगांव)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन् श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नापि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० कोलार
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० वी० (वारंगल)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर-पश्चिम)
गोटखिंडे, श्री अन्ना साहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनी राम (हिसार)
गोपाल श्री के० (करुर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोविंद दास, डा० (जबलपुर)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोहेन, श्री चाउ चन्द्रेत (नाम निर्देशित: उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र-आसाम)
गौडर, श्री जे० एम० (नीलगिरि)

गांडर, श्री टी० एन० टी० (कृष्णागिरि)
गौंडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)
घोष, श्रीमती विभा (नवद्वीप)

च

चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलियन)
चव्हाण, श्री डी० आर० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री खेमचन्द भाई (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरूपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवी)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धारा)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटेलाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलु रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरकी (कोट्टयम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अलीखां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमेड)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झा, श्री विनोदानन्द (दरभंगा)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लन, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडेकर, श्री वेंकटराव वावाराव (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दपल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि (बलरामपुर)
तेवर, श्री० पी० के० मोकिया (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री वीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दण्डवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास श्री आनन्दीचरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्ण नगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री लक्ष्मनन् काकाद्या (दहानू)
दुवे, श्री ज्वालाप्रसाद जी विश्म्भरदास (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (कोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परमणी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)

देसाई, श्री मोरारजी ग्रार० (सूरत)
देसाई, श्री सी० सी० (साबरकंठा)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछली शहर)

ध

धर्म गज सिंह, श्री (शाहवाद)
धामनकर, श्री भाऊसाहिव (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अन्नत प्रसाद (बस्ती)
धोते, श्री जम्बुवन्त राव बापूराव

न

नन्दा, श्री जी० एल० (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बालकृष्ण वेनकन्ना (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन्, श्री वी० (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री राजाराम दादा साहेब (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पटनायक, श्री जानकी बल्लभ (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल श्री एच० एम० (ढंढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डभोई)
पटेल, श्री रामूभाई रावजी भाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई रावजी भाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री रामभगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडोन)
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाम्रौकाई, श्री हाम्रोकिय (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री ग्रनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० दिखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णाराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उसमानाबाद)
पाटिल, श्री चूड़ामन ग्रानन्द (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पारासर, श्री नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री (राजमपेट)
पिल्ले, श्री ग्रार० बालकृष्णन (मावेलिक्करा)
पुरती, श्री एम० एस० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नगिरि)
पैनुली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री ग्रार० बी० (खारगोन)
बरुग्रा, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
वर्मन, श्री ग्रार० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योर्तिमय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराभार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (ग्रमेठी)
बदल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बालतन्डायुतम, श्री के० (कोयम्बटूर)
बासप्पा, श्री कोंडाजी (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्यचरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जलिंग)

भ

भंडारे, श्री आर० डी० (बम्बई-मध्य)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व-दिल्ली)
भगत, श्री बलिराम (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री श्यामाप्रसन्ना (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्रीं दीनान (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्द्र (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भाटिया, श्री दुर्गादास (अमृतसर)
भार्गव, श्री विशवेश्वरनाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुबराहन, श्री जी (मैटूर)
भौरा, श्री भानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गौड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री कृष्णन् (मद्रास उत्तर)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मु)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाड़ा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुल्डाना)
महाजन श्री विक्रमचन्द (कांगडा)
महता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरुलिया)
महा दीपक सिंह शाक्य, श्री (कासगंज)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारन, श्री मुरासोलो (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदम्बरम)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिनिमाता अगमदास, श्रीमती (जंजगीर)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिदवाड़ा)
मिश्र, जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नोज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री पी० आर० दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेंद्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री० प्रसन्नभाई (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)

मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री कृष्ण (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (गैरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णियां)
मोहम्मद यूसुफ, श्री (सिवान)
मुहम्मद शरीफ, श्री (पोरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री देवनन्दन प्रसाद (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (माधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजंगम, श्री एम० (डिंडीगुल)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापतनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रामधन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)

राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सिद्धार्थ शंकर (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द (भद्राचलम)
राव, श्री मेदुरी एम० नागेश्वर (मचिलीपट्टणम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (वोब्बिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल बोछेपल्ली (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वरदराज (बेल्लारी)
राव, श्री संजीवी एम० एस० (काकीनाड़ा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कुड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंज रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री सी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिम्हा एन० (चित्तूर)
रेड्डी श्री पी० बाचपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वेंकट (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरयालगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर वलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चंडीगढ़)
विश्वनाथन श्री जी० (वन्डीबाश)
वीरभद्र सिंह श्री, (मन्डी)
वीरय्या, श्री के (पुडूकोटे)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री नानजी भाई रावजी भाई (जूनागढ़)

श

शंकरदेव, श्री (बीदर)
शंकर गिरी, श्री वी० (दमोह)
शकरानन्द, श्री बी० (चिकौड़ी)
शंकर दयाल सिंह, श्री (छतरा)
शफकत जंग, श्री (केराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री अनन्त प्रसाद (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री रामनारायण (धनबाद)
शर्मा श्री राम रतन (बांदा)
शर्मा, श्री शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)

शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्व नारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० रंगनाथ (उडीपी)
शिव चंडिका, श्री (बांका)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझुनु)
शिवप्पा, श्री नुगेहाल्ली (हसन)
शुक्ल श्री० बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सयाजीराव, श्री त्रिम्बकराव (मीर)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साधूराम श्री (फिल्लोर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (वेतूल)
सावन्त, श्री शंकर राव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिंह, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्येन्द्र एन० (औरंगाबाद)
सिंह, श्री दिग्वजय नारायण (हाजीपुर)
सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री वी० एन० पी० (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्धिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री मद्दी (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रावेलु, श्री के० (मयूरम)
सुरेन्दर पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एल्लूरू)
सेकैरा श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेभियान, श्री ऐरा (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेठी, श्री पी० सी० (इन्दौर)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुलकी राज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोनार, डा० ए० जी० (रामटेक)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीन सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वतन्त्र, श्री तेजासिंह (संगरूर)
स्वामीनाथन, श्री आर वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्ध रामेश्वर (कोप्पाम)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसपदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैय्या श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुरी)

हरी सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)

हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस ढिल्लन

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

श्री आर० डी० भंडारे

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रि मंडल के सदस्य

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
कृषि मन्त्री	श्री फखरूद्दीन अली अहमद
वित्त मन्त्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मन्त्री	श्री जगजीवनराम
विदेश मन्त्री	श्री स्वर्ण सिंह
औद्योगिक विकास मन्त्री	श्री मोइनुल हक चौधरी
निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि और न्याय मन्त्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मन्त्री	श्री हनुमन्तैया
इस्पात और खान मन्त्री	श्री मोहन कुमार मंगलम
संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री	श्री राज बहादुर
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री	श्री सिद्धार्थ शंकर राय
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री	श्री डा० कर्ण सिंह
योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्

राज्य मन्त्री

संचार मन्त्री	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
पूर्ति मन्त्री	श्री डी० आर० चव्हाण
योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री मोहन धारिया

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री आई० के० गुजराल
श्रम और पुनर्वास मन्त्री	श्री आर० के० खाडिलकर
इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री	डा० सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री ओम मेहता
गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री	श्री राम निवास मिर्धा
विदेश व्यापार मन्त्री	श्री एल० एन० मिश्र
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री घनश्याम ओझा
गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
सिंचाई और विद्युत मन्त्री	डा० के० एल० राव
कम्पनी कार्य मन्त्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती नन्दिनी सतपथी
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री	श्री पी० सी० सेठी
कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री शेर सिंह

उप–मन्त्री

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री	श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री ए० सी० जार्ज
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री ए० के० किस्कु
सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री	श्री बैजनाथ कुरील
गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मोहसिन
कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री के० एस० रामा स्वामी
वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री	श्री बी० शंकरानन्द
औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री	श्री केदारनाथ सिंह
विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री	श्री डी० पी० यादव

लोक–सभा
LOK SABHA

सोमवार, 24 मई 1971/3 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Monday, May 24, 1971/Jyaistha 3, 1893 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
Members Sworn

1. **श्री चौ० चन्द्रेत गोहेन** (नाम-निर्देशित-पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र, असम)
2. **श्री धोते जाम्बवन्त राव** बापूराव (नागपुर)
3. **श्री वीर भद्र सिंह** (मण्डी)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary References

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने तीन मित्रों चौधरी अबू तालिब, श्री पी० मुखिया और श्री देवेन सेन के निधन का शोक समाचार देना है।

चौधरी अबू तालिब पश्चिम बंगाल के मुशिदाबाद चुनाव क्षेत्र से इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे। वह एक शिक्षा शास्त्री थे और पिछड़ी जातियों के उद्धार में विशेष रूचि लेते थे। 20 मई 1971 कलकत्ता में 57 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री पी० मुखिया तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1962-67 तक तामिल नाडु के तिरूनेलवेली चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए बहुत सक्रियता से कार्य किया 15 अप्रैल 1971 की तिरूनेलवेली में 65 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री देवेन सेन ने 1967-70 तक पश्चिम बंगाल के आसनसोल चुनाव क्षेत्र का, चौथी

लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया । वह एक सजग तथा जागरूक संसद सदस्य थे जो मजदूरों की समस्याओं में विशेष रूचि लेते थे । यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था फिर भी वह नियमित रूप से गत लोकसभा में उपस्थित होते थे और सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे । 29 अप्रैल 1971 को 71 वर्ष की आयु में आसनसोल में उनका देहान्त हो गया ।

हम इन तीनों महानुभावों के निधन से दुखी है और मुझे आशा है सदन भी शोक संतप्त परिवारो तक अपनी हार्दिक समवेदना पहुचाने मे हमारे साथ होगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक अधिवेशन का आरम्भ हमें इस बात की याद दिलाता है कि विधि-निर्माण की प्रक्रिया तो अनत है परन्तु विधि-निर्माता स्वंय सांसारिक होते है ।

हमें अपने तीनों भूतपूर्व साथियों के निधन पर गहरा दु:ख है जिन्होंने अपने अपने ढंग से इस संसद तथा देश की सेवा की । श्री देवेन सैन तो अभी कुछ ही माह पूर्व चौथी लोक सभा में हमारे साथ थे । एक प्रौढ श्रमिक नेता के रूप में उनका सम्मान किया जाता था । हम सब को यही मालूम है कि मजदूर संघ के कार्य के लिए बहुत अधिक परिश्रम और समय की आवश्यकता होती है श्री सेन, इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन यथा हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष थे । वह देशभक्त और समाजवादी नेता थे तथा भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था । प्रसोपा और संसोपा के नेता के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं । बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता तथा औद्योगिक मजदूर बगांल तथा सम्पूर्ण देश में उनके मित्र थे ।

श्री अबू तालिब चौधरी भी बंगाली थे । वह विशेषतया पिछड़ी जातियों के लोगों की शिक्षा और उद्धार के लिए बहुत उत्सुक थे ।

श्री पी० मुखिया ने तीसरी लोक सभा में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया । इसके साथ ही वह एक अध्यापक भी थे और वे पिछड़ी जातियों के लिए समान अधिकारों के सबल पोषक थे । हमारे देश में अस्पृश्यता को केवल कुछ बड़े बड़े लोगों या संसद द्वारा पारित किये गये कानूनों के फलस्वरूप समाप्त नहीं किया जा सका अपितु अस्पृश्यता को श्री मुखिया जैसे अथवा कार्यकर्ताओं की लगन तथा कार्य से समाप्त किया गया है ।

मैं सदन की ओर से इन तीनों महानुभावों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना व्यक्त करती हूं और आप से अनुरोध करती हूँ कि आप इसे उन तक पहूचा दें

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : में अपने दल की ओर से स्वर्गीय महानुभावों के देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।मैं सदन के दु:ख में शरीक हुँ। श्री देवेन सेन को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था और उन्होंने प्रौढ़ मजदूर नेता के रूप में जो सेवा की है उससे सभी भली भांति परिचित हैं । वह सदा ही मजदूर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहें ।

अन्य लोगों के बारे में मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है परन्तु सभा के समक्ष जो रिकार्ड प्रस्तुत किये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि उनके निधन से इस सदन की ओर सम्पूर्ण देश को भारी क्षति हुई है। अतः यहां जो शोक व्यक्त किया गया है मैं भी उसमें पूरी तरह से शरीक हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह बहुत दुःख की बात है कि आज हम अपने ऐसे दो साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो कल तक इसी सदन में हमारे साथ थे। चौधरी अबू तालिब तो अभी हाल ही के चुनावों में निर्वाचित हुये थे। प्रस्तुत सदन में आने के केवल दो मास पश्चात ही आज हमें उनके निधन पर शोक व्यक्त करना पड़ रहा है।

श्री देवेन सेन 70 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, परन्तु इसके बावजूद भी वह सदन में तथा सदन के बाहर भी अपने कार्य में सदा सक्रिय रहते थे। आपको मालूम होगा कि उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतया आसनसोल की कोयला खाने ही रहीं। यद्यपि यहां कार्य करना कठिन था फिर भी वह अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक यहां कार्य करते रहे। वह हमारें मजदूर संघों के सबसे पुराने तथा प्रौढ़ नेता थे। सम्पूर्ण देश मजदूर आन्दोलनों में उनके योगदान से परिचित है। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय आन्दोलन के एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी भी थे।

श्री मुखिया यद्यपि इस सदन के बहुत अधिक बोलने वाले सदस्यों में से नहीं थे परन्तु फिर भी जो लोग उन्हें जानते हैं, उनका कहना है कि वह सदा ही हरिजनों के उत्थान के लिए कटिबद्ध रहते थे।

प्रधान मंत्री ने जो समवेदना व्यक्त की है, मैं और मेरा दल भी पूर्णतया उन के साथ है और मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप हमारी समवेदना शोक संतप्त परिवारों तक पहुचा दें।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : चौधरी अबू तालिब, श्री मुखिया और श्री देवेन सेन अब हमारे मध्य में नहीं हैं। मैं संसद के द्रुमुक दल को ओर से आपको निवेदन करता हूँ कि आप हमारी समवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party, I pay my humble homage to departed souls and pray to God for their eternity.

Shri Deren Sen was our colleague in the House for the last four years. His activity in the House was really surprising. He always used to raise his voice about economic and social disparities. Although his mother tongue was Bangla still he had sufficient knowledge of Hindi and used to conduct his business in the house in Hindi. He strongly beleived in Hindi He strongly beleived that until regional languages are given their due place we cannot have true democracy.

Choudhry Talib was elected to this House in recent elections but he is no longer among us.

We deeply mourn the death of these friends and request you to convey our condolences to the breaved families.

Shri Shyamnandan dass Mishra (Begusarai) : Sir. on behalf of my party, I pay my homage to departed souls. There is hardly any session when we did not pay homage to our old colleagues. I am all the more sorry to say that all the three deceased were personally

known to us. We are specially more pained at the death of Shri Deren Sen. He worked hard for the uplift of labour class. We are well aware of the atmosphere which he created in the country and his ideals still hold good. I request you to convey my heart felt condolences to the bereaved families.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के निर्मम हाथों ने हमारी दो भूतपूर्व साथियों और एक वर्तमान साथी को हम से छीन लिया है। मैं स्वतन्त्र दल की ओर से विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई समवेदना में शरीक होता हूँ और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी हार्दिक समवेदना शोक संतप्त परिवारों तक पहुँचा दे।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद): श्रीमन मैं श्री देवेन सेन को कई वर्षों से जानता हूँ और मैं 1949 से उनके साथ इण्डियन नेशनल कांग्रेस में काम कर रहा था। वह मजदूर आन्दोलनों में सदा अग्रगामी रहे। उनकी विचार धारा प्रगति वादी थी। एक समय आया जब वह हमसे अलग हो गये परन्तु फिर भी मजदूरों के उत्थान के क्षेत्र में किया गया उनका कार्य सराहनीय है। मैं तेलगांना प्रजा समिति की ओर से प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त समवेदना में शरीक होता हूं।

श्री त्रिबिद चौधरी (बरहामपुर): श्रीमन हमारे जिन तीन साथियों के निधन पर सदन में समवेदना व्यक्त की गई है, मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। मैं श्री अबू तालिब चौधरी का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगा। वह हाल ही में सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे और अभी उनका परिचय भी अधिक लोगों से नहीं हो पाया था। वह उसी जिले से निर्वाचित हुये थे जहां का मैं रहने वाला हूँ। वह एक शिक्षा शास्त्री के नाते अधिक प्रसिद्ध थे और बंगाली भाषा के बहुत अच्छे वक्ता भी थे। छोटी सी आयु में ही उनका देहावसान निश्चय ही एक कुठाराघात है। मैं इसके प्रति अपनी समवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्री देवेन सेन का उल्लेख प्रत्येक सदस्य ने मजदूर नेता के रूप में किया है परन्तु मजदूरों के कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व, वह 1921 से ही एक सक्रिय राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी थे। वह ढाका जिले के मालीक स्थित गांधी आश्रम के एक कर्त्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता थे। उसी समय से उनका जीवन सदा ही जनता की सेवा हितार्थ रहा।

हमारे इन तीनों भूतपूर्व साथियों को जो श्रद्धांजलियां अर्पित की गई है मैं पुनः उनमें शामिल होता हूं।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी): श्रीमन, मैं अपने दल मुस्लिम लीग और अपनी ओर से चौधरी अबू तालिब, श्री मुखिया और श्री देवेन सेन के निधन के सम्बन्ध में जो समवेदना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं

श्री अबू तालिब हमारे दल के सदस्य थे, मृत्यु के निर्मम हाथों ने उनकी संसद अवधि को बहुत कम कर दिया। वह अपने सभी मित्रों में अपने शांतिपूर्ण स्वभाव और विनम्र व्यक्तित्व के कारण बहुत लोक प्रिय थे। वह बहुत विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। लोगों की शिक्षा में उनकी विशेष रूचि थी उनका जीवन बहुत सादा था। यद्यपि वह स्पष्ट वक्ता थे फिर भी वह सदा अपने विरोधियों के दृष्टिकोण का समझने को तत्पर रहते थे। वह गरीबों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों

के कष्टों का निवारण करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहे । उनकी मृत्यु से एक बहुत बड़ा अभाव उत्पन्न हो गया है और जो उनसे परिचित थे, वह निश्चय ही इस से बहुत दुखी हुये होगें ।

श्री पी० मुखिया भी एक ऐसे शांति प्रिय और विनम्र व्यक्ति थे जिनका संसद में भाषण सदा ही निर्माणात्मक सुझावो से भरपूर रहता था । उनके भाषणों से सदा ही विकास कार्यों की प्रेरणा झलकती रहती थी ।

श्री देवेन सैन भी बहुत सम्मानित शांतिप्रिय व्यक्ति थे ।

मैं निवेदन करता हूँ कि इन तीनों व्यक्ति के निधन के शोक संदेश में हमारी समवेदना भी शामिल कर ली जाये ।

प्रो० एस० एल० सक्सैना (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय अपने 50 वर्षों से अधिक समय की मजदूर संघ जीवन काल में मैंने श्री देवेन सेन को एक स्वतन्त्रता सैनानी और श्रमिक वर्ग के प्रति अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले एक महान सेनानी के रूप में देखा है । जो समवेदना व्यक्त की जा रही है मैं भी उसमें शामिल हूँ । दूसरे दो साथियों के प्रति जो समवेदना व्यक्त की जा रही है, उसमे भी मैं पूर्ण रूप से शरीक हूँ ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमन मैं श्री देवेनसेन को बचपन से ही जानता हूँ। उनका जन्म ढाका में हुआ था और वह बचपन से ही श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा अन्य दूसरों के अभिन्न सहयोगी रहे हैं । उन्होंने ढाका के गांधी आश्रम में कार्य किया है और इस प्रकार उस क्षेत्र के निवासियो की सेवा की है । तत्पश्चात श्री देवेन सेन ने अपना सम्बन्ध श्रमिक कार्यों से स्थापित कर लिया । शायद लोगों को यह भली प्रकार नहीं मालूम कि बाद में वह पश्चिम बंगाल की कोयला खानों के मजदूरों के बहुत महत्वपूर्ण नेता हो गये । मैं उन्हें बहुत अच्छी प्रकार जानता हूँ । वह हमारे अभिन्न साथी रहे हैं और हमने पश्चिम बंगाल के मजदूर आन्दोलन में इनके साथ कार्य किया है ।

जहां तक सदन के दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों का प्रश्न है मुझे उनसे मिलने तथा व्यक्तिगत रूप में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु हमारा यह पावन कर्तव्य हो जाता है कि हम दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करें । अतः मैं स्वयं अपने दल कीं ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ ।

Shri J. B. Dhote (Nagpur): Mr. Speaker, Sir, Death is inevitable. We are to go that way too. It is really very difficult to become a worker or a leader and it become shocking to the nation and to the World when they do not survive any more amongst us. All the three departed leaders though, not known to me personally, even then their death is very much distressing to me.

I, on behalf of my party, pay my homage to the departed leaders and wish to express condolences to their families and request you to convey the same to their families.

I again pay my homage to the departed souls.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Mr. Speaker, Sir, I also associate myself with the homage paid and condolences expressed by you and the House to the departed souls.

We have got the occasion to see and to hear Shri Deven Sen during last four years. His love and respect to Hindi has been a source of encouragement to all of us. It is really distressing that we wont be able to hear him again. I express my homage and condolence to the departed leaders.

Shri Ram Deo Singh (Meharajganj): I support the motion moved in the House and pay homage on behalf of my party and pray God to provide courage to the bereaved families to enable them to bear the grief.

अध्यक्ष महोदय : विगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये अब सदन के सभी सदस्य खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखेंगे ।

इसके पश्चात सदस्य कुछ देर तक मौन खड़े रहें ।

The members then stood in silence for a short while.

नये मंत्रियों का परिचय

(Introduction of New Minister)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

श्री के० मनोहरन : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष अभी कोई प्रश्न नहीं है ...(व्यवधान)

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं जब मंत्रियों का परिचय करा चुकूं उसके पश्चात यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी व्याख्या करूंगा...(व्यवधान)

श्री के मनोहरन : मुझे व्यवस्था के प्रश्न के विषय में बोलने दिया जाय

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हिन्दी के बारे में हमारे पास राष्ट्रपति का आदेश है । आज सुबह भी हमें एक आदेश प्राप्त हुआ हैं । प्रधान मंत्री द्वारा नये मंत्रियों का परिचय करा दिये जाने के पश्चात मैं दूसरे बारे में बताऊंगा ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से मंत्रि परिषद के नये सदस्यों का परिचय कराती हूँ, श्री सी० सुब्रह्मण्यम योजना मंत्री विद्वान और प्रौद्योगिकी मंत्री, विभाग श्री उमाशंकर दीक्षित निर्माण और आवास मंत्री राज्यमंत्री—श्री एच० एम० बहुगुणा संचार मंत्री, प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, श्री मोहन धारिया योजना मंत्रालय श्री शाहनवाज खां, इस्पात और खान मंत्रालय श्री घनश्याम ओझा—औद्योगिक विकास मंत्रालय, उपमंत्री—श्री वेदव्रत बरुआ, कम्पनी कार्य विभाग, श्री ए० सी० जार्ज, विदेश व्यापार मंत्रालय श्री बैजनाथ कुरील सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ।

एक माननीय सदस्य : वह कहाँ हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे खेद है मेरे विचार से वह राज्य सभा में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आज सभा के प्रथम दिन भी वह उपस्थित नहीं हैं ।

श्रीमति इन्दिरा गांधी : श्रीमति सुशीला रोहतगी वित्त मंत्रालय, श्री बी० शंकरानन्द, संसदीय कार्य विभाग श्री दलबीर सिंह, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, श्री धर्मवीर सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, श्री केदारनाथ सिंह, संसदीय कार्य विभाग श्री बालगोविंद, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, और प्रो० डी० पी० भारत, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ।

मंत्रियों के पदनामों के सम्बन्ध में
Re. Designation of Ministers

श्री एम० श्री कांतन नायर : प्रधान मंत्री ने अभी कुछ पढ़ा है । हमारी समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अंग्रेजी में भी पढ़ रही थी ।

श्री के० मनोहरन : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे सामने जो प्रश्नों की सूची है उसमें सबसे पहला प्रश्न श्री रामसहाय पांड़े तथा श्री एस० एम कृष्ण ने पूछा है परन्तु इससे यह पता नहीं चलता है कि प्रश्न किस मंत्री से पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार है ।

"क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (व्यवधान) मुझे डर है कि रक्षा मन्त्री शब्द के उच्चारण में थोड़ी इधर उधर हो गया तो रक्षा मन्त्री शब्द रिक्शा मन्त्री रह जायगा । परन्तु वास्तव में मेरा प्रश्न यह नहीं, है मेरा प्रश्न यह है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : एक भाषा का इस प्रकार उपहास नहीं किया जा सकता । अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है ।

श्री के० मनोहरन : मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ । मेरा विचार बिल्कुल भी किसी भाषा का उपहास करने का नही है । मुझे हिन्दी से प्रेम है, मुझे उसके प्रति निष्ठा है । परन्तु यह एक दूसरी बात है । प्रश्न यह है कि यह सब कुछ असंवैधानिक है । संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि

" संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी "

परन्तु यहां रोमन लिपि को प्रयोग में लाया गया है । मेरे विचार से यह संविधान के विरुद्ध है ।

दूसरे इससे वर्तमान प्रधान मन्त्री के पिता हमारे प्रिय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा दिये गये आश्वासनों का खण्डन होता है ।

तीसरे इससे राज्य भाषा अधिनियम का खंडन होता है । मैं उदाहरण दे सकता हूं

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में कहिये ।

श्री के० मनोहरन : आप धैर्य रखें । मैंने अपने संसदीय जीवन में कभी कोई ऐसी वैसी बात पैदा नहीं होने दी है । आज पहली बार दक्षिण के अहिन्दी भाषी व्यक्तियों की ओर से मैं अपनी विचार धारा व्यक्त कर रहा हूं ।

श्रीमति लक्ष्मीकान्तम्मा : आप अपने राज्यवासियों की तरफ से बोलिये दूसरों की तरफ से नहीं **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : कृपया बैठ जाइये ।

श्री के० मनोहरन : मुझे इनकी कोई चिन्ता नहीं है । मैं राज्यभाषा अधिनियम से उदाहरण देता हूँ

3 (1) संविधान लागु होने से 15 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अंग्रेजीं भाषा जैसी कि यह आरम्भ से ही रही है हिन्दी के अतिरिक्त प्रयोग में लाई जा सकती है ।

(क) संघ के सभी सरकारी कार्यों जिनके लिए यह उस दिन से पहले प्रयुक्त की जाती रही है; और

(ख) संसदीय कार्यो के लिये यह परम्परा रही है कि साथ साथ दो प्रश्न सूचियां प्रकाशित होती हैं, एक हिन्दी भाषी सदस्यों के लिए तथा दूसरी अहिन्दी भाषी सदस्यों के लिए यथा स्थिति सुचारु रूप से चल रही थी ।

इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न अथवा कठिनाई नहीं हुई है । यह सब कुछ यकायक कर दिया गया और हमें इसे सहन करने के लिये कहा जाता है । मैं अपने दल की ओर से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हमें यह स्वीकार्य नहीं है न ही दक्षिण के निवासियों को यह स्वीकार्य है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1965 में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के फलस्वरूप मद्रास तामिलनाडु में जो उपद्रव हुए तब वर्तमान प्रधान मन्त्री ने जो उस समय सूचना और प्रसारण मन्त्री थीं, मद्रास का दौरा किया और संवाददाताओं के सामने यह कहा कि यदि भाषा विवाद इस सीमा तक पहुँच गया है तो निश्चय ही दूसरे पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है । हमने रोमन लिपि में हिन्दी के प्रयोग किये जाने के विषय में कभी नहीं सोचा था ।

हमारे विचार से यह अहिन्दी भाषी व्यक्तियों से सांस्कृतिक युद्ध की एक अप्रत्यक्ष घोषणा की है।

मैंने संसदीय कार्य मन्त्री श्री राजबहादुर से बात की थी। उन्होंने कहा कि आप प्राइम-मिनिस्टर को प्राइममिनिस्टर कह सकते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि आप प्रधान मन्त्री कह कर पुकारें । जब मैंने उनसे प्रश्न किया प्रश्नों की अंग्रेजी की सूची में प्रधान मन्त्री क्यों लिखा जा रहा हैं तब उन्होंने कहा कि यह प्राइमिनिस्टर । प्रधान मन्त्री-प्राइमिनिस्टर शब्द के पश्चात आब्लीक है

एक माननीय सदस्य : आब्लीक प्राइमिनिस्टर

श्री के० मनोहरन : अंग्रेजी शब्द कोष के अनुसार आब्लीक शब्द का अर्थ बेइमान होता है । अत: यह बेईमानी का धन्धा अब समाप्त होना चाहिये । यहां हम सब एक हैं । हमें समाज-वादी समाज की व्यवस्था करनी है और समाजवादी शक्तियों का गठन आरम्भ हो गया है ।

1971 में जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है वह भाषा विवाद के लिये नहीं है । लोग भाषा

विवाद को भूल गये हैं । देश में चारों ओर शांति है और प्रधान् मन्त्री पर देश का विश्वास जमा है कि वह देश के लिये कल्याण कार्य करेंगी । अब यह हिन्दी का मामला क्यों उठाया जा रहा है ।

मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह तुरन्त राष्ट्रपति के आदेश की ओर ध्यान दें और अधिसूचना को वापस लें । दूसरे पहले वाली स्थिति को फिर से लाया जाय । यदि प्रधानमन्त्री इन दोनों बातो को स्वीकार नहीं करती हैं तो उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है —(व्यवधान) मैं श्री ज्योतिमर्य वसु की तरह नहीं हूँ । मैं शांत रहना पसन्द करता हूँ । मैं प्रधान मन्त्री से इसे आगे से वापस लेने का अनुरोध करता हूँ । इस षड़यंत्र तथा अपराध के पीछे जिन लोगों का हाथ है मुझे पता नहीं है । मेरा अनुरोध है कि प्रधान मन्त्री अहिन्दी भाषी लोगों की भावनाओं को पहिचानें । हमें पहली परम्परा बनाये रखनी चाहिये । उस परम्परा का अनुगमन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अथवा विवाद नहीं है ।

अत: अध्यक्ष महोदय मैं आपसे तथा आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त एक वक्तव्य दें । भाषा विवाद की तुलना में लोगों के प्रति हमारे दायित्व तथा कर्तव्यों का अधिक महत्व है ।

यह देश के लिए कुछ करने के लिए उपयुक्त समय है । आय बीमें के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के तुरन्त बाद लोग बहुत प्रसन्न हुये और उनकी ओर से प्रधान मन्त्री को बहुत से तार भेजे गये । ऐसा क्यों किया गया । क्योंकि लोगों का विश्वास है कि वह समाजवादी मार्ग की ओर बढ़ रही हैं । परन्तु इसके पश्चात गतिरोध उत्पन्न हो गया । इस प्रकार प्रधान मन्त्री के इरादों के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें

श्री के० मनोहरन : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूँ इसमें मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहता । प्रधान मन्त्री कृपया राष्ट्रपति अधिसूचना को वापस कराने के सम्बन्ध में वक्तव्य दें और पहले वाली स्थिति को लायें ।

श्री ए० के० गोपालन : हमने इस मामले को उठाया । संसदीय कार्य मन्त्री ने भी हमसे कहा । पता नही ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई, क्यों कि यह हिन्दी के लिए नहीं किया गया यह हिन्दी प्रेमियो द्वारा भी नही किया गया है तब इस प्रकार का निर्णय कौन पसन्द करेगा । इससे सन्देह होता है कि सरकार हम पर कोई चीज लादना चाहती है । श्रीमन् आपने बताया कि इस प्रकार की कोई दूसरी व्यवस्था है । हम यह जानना चाहते हैं कि वह क्या है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रपति आदेश के अन्तर्गत थे नियम संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड 3 के अनुसार बनाये गये हैं । इस खण्ड के अनुसार –

"भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा मन्त्रीयों में उक्त कार्यों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा" ।

मैं जानना चाहता हूँ कि प्रश्न सूचियों तथा अंग्रेजी में परिचालित किए जाने वाले पत्रों में फाइनेन्स मिनिस्ट्री को फाईनेन्स मिनिस्ट्री लिखने में सरकार को क्या बड़ी असुविधा थी ? अंग्रेज़ी

जानने वाले सदस्यों को मन्त्रियों के सही पदनामों से अवगत कराने में सरकार को क्या असुविधा थी ? इस आधार पर होने वाली असुविधा का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। भाषागत समस्या के सूक्ष्म स्वरूप और बड़े देशों तथा देश के कई भागों में व्याप्त संगत या असंगत अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए हमें इस समस्या को धैर्यपूर्वक सुलझाने में समय लगेगा। मैं ऐसा कोई अविवेकपूर्ण कार्य सोच नहीं सकता जो इस अवस्था में सरकार द्वारा किया जा सके। यह ध्यान परिवर्तन और कुछ नहीं, देश तथा लोगों की महत्त्वपूर्ण समस्याओं से मुंह मोड़ना है। मेरे विचार में इससे उत्तेजना फैलेगी, चाहे वह जानबूझकर क्यों न फैलाई गई हो और अहिन्दी भाषी प्रदेशों से आने वाले सदस्यों को भावनाओं को चोट पहुँचेगी। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इस मामले में अपनी झूठीं प्रतिष्ठा क्यों बनाए रखना चाहती है। मेरे विचार में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। सरकार पुरानी परम्परा को जो सुचारु रूप से चल रही थी, बनाए रख सकती थी।

हिन्दी के साथ किसी को कोई वैमनस्य नहीं है। मैं हिन्दी के विरुध नही हूँ। मैं हिन्दी भली प्रकार समझता हूँ। किन्तु प्रश्न सब के पीछे अपनाए गये रवैये का है। सरकार ने बिना विपक्षी दलों से विचार विमर्श किए हिन्दी की समस्या को इस रूप में क्यों उठाया ?

मैं श्री मनोहरन के कथन का समर्थन करता हूँ मेरा अनुरोध हैं कि सरकार अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने की बजाय इस विषय पर पुनः विचार करे और अपने निर्णय को वापिस ले ले। यदि यह परिवर्तन न किया गया तो इससे कोई हानि नहीं होने वाली है और न हीं कोई मुसिबत आने वाली है हमें पुरानी परम्परा को जो सुचारू रूप से चल रही थी चालू रखना चाहिए और हमें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सरकार द्वारा दिए गए नाम और पदनाम उसी प्रकार स्वीकार्य हो जाऐंगे जिस प्रकार 'लोक सभा' शब्द, जो कार्य सूची में सबसे ऊपर लिखा रहता है, स्वीकार्य हो चुका हैं।

श्री जी विश्वनाथन् : लोक सभा का नाम भी हाऊस आफ दी पीपुल रख दिया जाना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : लेकिन सबसे महत्व पूर्ण विषय यह हैं कि सरकार को यह सोचना चाहिए था कि यदि नए नामों के साथ साथ पुराने नाम कोष्ठकों में दे दिए जाते तो सभी को ये नाम ग्राह्य होते। क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी ?

श्री के० मनोहरन् : यही बात तो आबलीक में कही गई है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे माननीय मित्र 'आबलीक' से 'आशांकित' हैं।

श्री समर गुह : मैं कहना चाहता हूँ

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इस समय कोई चर्चा नहीं हो रही।

श्री समर गुह : मैंने आप को पहले ही लिख कर भेज दिया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय प्रधान मन्त्री कृपया वक्तव्य दें। अन्यथा प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा। प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री समर गुह : मैंने आपको पहले ही लिखकर भेज दिया था

अध्यक्ष महोदय : में नहीं चाहता कि सारा प्रश्न काल इसी विषय पर समाप्त हो जाए।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का निपटान अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाता है ने कि माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा। व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सेभियान : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार का यह कार्य पुरानी परम्परा से मुह मोड़ना हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री समर गुह : जारी किए गए आदेश से संविधान का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही सदन में भाषा सम्बन्धी स्वीकृत संकल्प का भी उल्लंघन होता है। हम एकदम हिन्दी अनुवाद नहीं अपना सकते हिन्दी लिप्यन्तरण के माध्यम से कुछ किया जा सकता है। सरकार अंग्रेजी के साथ हिन्दी लिप्यान्तरण भी दे सकती थी। मैं दोहराना चाहता हूँ कि इस आदेश से संविधान का उल्लंघन तो होता ही है साथ ही साथ में भाषा सम्बन्धी स्वीकृत संकल्प जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजी हिन्दी साथ साथ प्रयुक्त की जाएगी का भी उल्लघन होता है। मैं हिन्दी संस्करण के विरूद्ध नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि मंत्रालयों को भद्दे नाम देने की बजाय नामावलि का लिप्यान्तरण किया जा सकता था। संविधान तथा भाषा के सम्बन्ध में स्वीकृत संकल्प के अनुसार मंत्रालयों की नामावलि अंग्रेजी में होनी चाहिए। हिन्दी नाम कोष्ठकों में दिए जा सकते है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय उन सदस्यों के पक्षपाती हैं जो हिन्दी के प्रति अनिच्छा की भावना रखते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री समर गुह : अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अंग्रेजी ने विश्व की कई भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। यदि अंग्रेंजी भाषा में हिन्दी के कुछ शब्द जोड़ दिए जायें तो अंग्रेजी अंग्रेजी ही रहेगी। यदि हिन्दी के कुछ शब्द अंग्रेजी में जोड़ दिए जाय तो यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि अब वह अंग्रेजी नहीं रही ? अंग्रेजी भाषा ने जर्मन भाषा से भी शब्द लिए हैं। अतः अंग्रेजी में हिन्दी शब्द सम्मिलित क्यों नहीं किए जा सकते ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गत वार, हमने एक परम्परा स्थापित की थी कि हमें इन सभी बातों पर निर्णय लेने के लिए विपक्षी दल के नेताओं से मिलना चाहिए। चूंकि इस विषय पर खूब जोरदार बहस हो रही हैं, अतः मेरा सुझाव है कि हम सब आज किसी समय एकत्रित होकर इस पर चर्चा करें।

जहां तक श्री श्याम नन्दन मिश्र के सुझाव का सम्बन्ध है, हम यह निर्णय पहले ही ले चुके हैं कि अंग्रेजी और हिन्दी साथ साथ प्रयुक्त होंगी। लेकिन अच्छा होगा यदि यहां चर्चा करने की बजाए हम सभी मिलकर इस पर विचार विमर्श करें।

श्री जी० विश्व नाथन : सरकार को सबसे पहले विपक्षी दल के नेताओं से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी।

श्री के० मनोहरन : माननीय प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया हैं कि हम एक या दो दिन के भीतर इस विषय पर चर्चा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आज।

श्री के० मनोहरन : हमारी सुविधा भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम आज या कल किसी भी हालत में इकट्टे हों सकते हें, दूर भविष्य में नहीं। हमें एक साथ बैठकर एक ऐसा सूत्र या ठोस प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जो हिन्दी भाषियों और अहिन्दी भाषियों, दोनों को स्वीकार्य हो। क्या माननीय प्रधान मन्त्री के कथन का यही मन्तव्य ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, यही बात है।

श्री कल्याण सुन्दरम : क्या तब तक अधि सूचना आस्थगित रखी जाएगी ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने राष्ट्रपति के नए आदेश जारी होने की बात कही थी। हमें इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने राष्ट्रपति के आदेश की बात नहीं की। पहला आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था जब कि दूसरा आदेश प्रधान मन्त्री सचिवालय द्वारा। आदेश में कहा गया है कि हम हिन्दी के साथ अंग्रजी समानार्थक शब्द भी दे सकते हैं यही बात उन्होंने अभी कही थी।

श्री कल्याण सुन्दरम् : राष्ट्रपति का आदेश लोक सभा पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है। यह तो केवल सरकारी काम काज पर लागू होता है।

श्री सेझियान : प्रश्न-काल स्थगित किया जाए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी सूचि में कई प्रश्न शेष हैं जिन पर चर्चा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं 'रक्षा मन्त्री' का अनुवाद प्रस्तुत करूगा।

श्री जे० एम० गौडर : नहीं नहीं। हमें यह स्वीकार्य नहीं। 'रक्षा मन्त्री' का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न-काल को स्थगित नहीं कर सकता।

श्री राम सहाय पांडे : प्रश्न मैने पूछा था लेकिन माननीय सदस्य मेरी ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जे० एम० गौडर : माननीय सदस्य कौन होते हैं प्रश्न पूछने वाले ?

श्री राम सहाय पांडे : 'रक्षा मन्त्री' अथवा 'डिफेन्स मिनिस्टर' पदनाम का प्रयोग करना मेरा विशेषाधिकार है। लेकिन माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। **प्रश्न प्रथम (व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री मनोहरन ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हैं। अतः मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि प्रश्नों पर चर्चा प्रारम्भ की जाए और इस विषय पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न काल समाप्त होने में वस्तुत बहुत थोड़ा समय रह गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न संख्या परम्परागत ढंग से बोली जानी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष केवल प्रश्न की संख्या बोलते हैं। इस लिहाज से तरीका पुराना ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या एक ।

श्री के० बाल कृष्णन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन का निर्वाचित सदस्य हूँ। क्या मै नही जान सकता कि सदन में क्या हो रहा है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य से पूछें। वह ही बताऐंगे कि क्या हो रहा है।

श्री राम सहाय पांडे : प्रश्न प्रथम

श्री जग जीवन राम उठें
Shri Jagjivan Ram Rose

श्री जे० एम० गौडर : इंडा मन्त्री पेरेन्ना ?

श्री जगजीवन राम : मैं रक्षा मन्त्री हूँ।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं की भारी हलचलें तथा जमाव

* 1. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एस०एन० कृष्ण :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में पाकिस्तानी सेना भारी संख्या में जमा हो गई है और उसकी हलचल बढ़ गई है,

(ख) क्या पाकिस्तानी सेनाएं भड़काने वाली कार्यवाहियां कर रही हैं तथा भारतीय क्षेत्र में अवेध प्रवेश कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या पाकिस्तान द्वारा सीमा पर पैदा की गई स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का कोई असाधारण हलचल अथवा जमाव ध्यान में नहीं आया है तथापि पूर्वी बंगाल की सीमा से लगते कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं की असामान्य हलचल ध्यान में लाई गई है। पूर्वी क्षेत्र में 25 मार्च से पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय क्षेत्र का 7 बार अतिक्रमण किया है सीमा पार से गोलीं की 43 घटनाएं और अपहरण के 3 मामले हुए हैं पाकिस्तानी विमानों द्वारा 16 बार वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है। इन घटनाओं पर पाकिस्तान को 19 विरोध पत्र भेजे जा चुके हैं। सीमाओं पर हमारी सुरक्षा सेनाएं लगातार निगरानी रखे हुए हैं और पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाही करने के लिए उन्हें अनुदेश प्राप्त हैं।

Shri R. S. Pandey : Mr. Speaker, Sir, the Defence Minister in his reply has referred to the recent intrusion's by the Pakistani troops. I wish to know when Pakistan's regular army have intruded into Indian territory on 7 occasions in the eastern sector ? What action has been taken by us. It is not the violation of the international law and sovereignity of India and if it is so what military action we had taken and what has been done by us in the international sphere. I also wish to know if such intrusions continue, will the border security force be able to face the situation ? If not, is the Government going to deploy regular troops to meet the situation.

Shri Jagjivan Ram : The answer to the first part of the question of the hon. Member is included in this. I wish to say only that whatever is happening in the Eastern Bengal border should be viewed in the light of the happenings in the Bengla Desh. We can not discuss this question in an isolated manner. The house is aware of the fact that the people of Bangla Desh have taken a vow for their liberation. The house also knows that when the people of Bangla Desh rose to translate their pledge into Pakistani troops attacked them and the East Pakistan Rifles, Bengal Regiment and the patriots of Bangla Desh confronted them and the war started. It is also a fact that they could not resist their might for long and had to withdraw and to save themselves from the atrocities of Pakistan troops they took refuge in our country. A protest has been lodged with the Pakistan Government according to the rules of international law. I can assure the House that our security forces are quite capable of protecting the borders and they will be able to face all situations according to the exigencies of time.

Shri Ram Pandey : I wish to know whether his attention has been drawn to the Statement of the Chief Minister of Assam, made by him on the flooe of the Assembly, wherein he has referred to the concentration of Pak Forces in Karim Ganj sector and the danger arising therefrom, and if so. whether Government will deploy regular army there in place of Security Force ?

Shri Jagjivan Ram : As I have said earlier that day before yesterday I was in Karim Ganj and I had gone there to acqaint myself with the plight of refugees. One end of Karim Ganj town is within our territory while the other end lies in pakistan.

Shri Samar Guha : It is in Bangla Desh not in Pakistan.

Shri Jagjivan Ram : I accept the amendement. It is in East Bengal. Pakistan Army is trying to post some troops there because they are afraid of the patriots of Bangla Desh who are ready to give up their lives for cause. Therefore Pakistan has to post a string contingent of troops but as I have said we take note of the movements that take place across the border and necessary capabilities are created on this side of the border.

श्री एस० एम० कृष्ण : मन्त्री महोदय ने आपत्तिजनक रूप में यह स्वीकार किया है कि हमारी सीमाओं पर कुछ उत्तेजक गतिविधियां युद्धस्तर पर घट रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके मन्त्रालय के ध्यान में आई है कि पाकिस्तान सीमाओं पर स्थित पाकिस्तानी रेंजरों का स्थान अब पाकिस्तानी सेना ने ले लिया है।

दूसरे खाईयां खोदने तथा बंकर बनाने का कार्य भी पूर्वी क्षेत्र में बहुत जोर शोर से चल रहा है और इसके अतिरिक्त हाल ही में वहां मार्शल ला प्रशासन की उद्घोषणा की गई तथा सीमा के निकट के 5 मील के क्षेत्र में रात के समय कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां के लोगों को वह जगह छोड़ने के लिये बाध्य किया जा रहा है ताकि वह क्षेत्र सेना अपने अधिकार में ले सकें। अत: इन सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि रक्षा मन्त्री यह आश्वासन दें कि हमारी सीमाओं की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा पाकिस्तानी कार्यवाहियों का सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।

श्री जगजीवन राम : मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहां तक पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां कोई असामान्य हलचल देखने में नहीं आई। जब कभी सामान्य अवस्था में भी पाकिस्तानी सेना सीमा पर तैनात की जाती है तो भी कुछ न कुछ काम होते हैं। सीमा के निकट की सड़कों की मरम्मत की जाती है तथा खाईयां आदि खोदी जाती हैं। अत: यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है। जहां तक पूर्वी सीमाओं का सम्बन्ध है वहां सेना का जमाव हो रहा है और जैसा कि सदन जानता है, पहले भारत तथा पूर्वी बंगाल के बीच की सीमा की रक्षा पूर्वी पाकिस्तान राईफल किया करती थी किन्तु जब स्वाधीनता संग्राम प्रारम्भ हुआ तो पाकिस्तान सरकार को पूर्वी पाकिस्तान राईफल के स्थान पर स्थायी सेना तैनात करनी पड़ी क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान राईफल तथा बंगाल रेजीमेंट ने इस स्वतन्त्रता संग्राम में सबसे पहले भाग लिया और इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं हैं लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा हमारी सरहद के ऊपर किसी तरफ जो कुछ विरोधी देशों की सेनाओं का संचालन होता है उसका हम बराबर ध्यान रखते है और अपने सरहद के इस तरफ हम उसका इन्तजाम करते हैं।

कुछ **माननीय सदस्य उठ खड़े हुये।**

Some Hon Member rose.

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री के० बालकृष्णन : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि क्या विश्व की किसी भी संसद में रक्षा मामलों पर इस प्रकार चर्चा होती है·

अध्यक्ष महोदय : मैंने इतनी संसदें देखी हैं पर कभी किसी सदस्य को इस प्रकार प्रश्न उठाते नहीं देखा ।

डा० रानेन सेन : मैं रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय भूमि का अनवरत अतिक्रमण हो रहा है । यह स्मरण रहे कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय भूमि बोयरा की सीमा का अतिक्रमण किया, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और वहां पर 5 लोगों को मार दिया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें ।

डा० रानेन सेन : 19 मई को उन्होंने बोनगांव-पेटरापोल की पुलिस चौकी पर बमबारी की । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद भारत सरकार ने सेना को क्या आदेश दिया है क्या यह आदेश आक्रमणों का जवाब देने का है अथवा कि सरकार इस सम्बन्ध में केवल नई दिल्ली शहर से पाकिस्तान सरकार को मात्र विरोध पत्र ही भेजेगी । मैं रक्षा मन्त्री से इसका उत्तर चाहता हूँ ।

श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य ने मूल उत्तर को सुना है तो उन्हें पता लगेगा कि मैंने अपने उत्तर के अन्तिम वाक्य में वह कहा है कि सीमा सुरक्षा दल को अवैध प्रवेश के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the Defence Minister has just said that our security forces have Instruction to deal with the intrusions. I wish to know in what light these instructions have been taken by our security forces. Defence Minister has also said that there have been 16 air violations by Pakistan aircrafts. Have we ordered our air force to shoot down the aircrafts which violate our area. If no su h instructions have been given what is the sence in saying the security forces will deal with the situation.

श्री जगजीवन राम : मैंने अपने उत्तर में यही पढ़ा था—

'हमारे सुरक्षा दलों को पाकिस्तानी अतिक्रमण के विरोध में उचित कार्यवाही करने का आदेश है ।'

इससे यह स्पष्ट है कि यदि देश की सीमा का अतिक्रमण किया जाता है तो अतिक्रमणकारियों को देश की भूमि से उठाकर बाहर फेंका जाए और यदि हवाई जहाजों द्वारा सीमा का उल्लघन किया जाता है तथा मना करने पर भी वापिस नहीं जाते तो उन्हे गिराना ही पड़ेगा । यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr, Speaker, Sir my question has not been answered. The Defence Minister has conceded that there have been 16 air violations by Pakistan aircrafts and the Government have given instructions to take appropriate action, does the appropriate action include shooting down of the aircraft also.

Shri Jagjivan Ram : I have just said if there are intrusions by aircrafts, and if they don't respond and return back they shou ld be shot down.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Resolution Adopted by Parliament In Respect of East Bengal

* 2. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the **Videsh Mantri** be pleased to state the steps taken so far by Government to implement the Resolution adopted by Parliament unanimously on 31st March, 1971 expressing sympathy and support of the people of India for the people of East Bengal ?

Videsh Mantri (Shri Swaran Singh) : Copies of the Resolution were handed over to Representatives of foreign governments in New Delhi and also through our Heads of Missions to the Government to which they are accredited, as well as to the Secretary-General of the UN. Government have also urged upon foreign governments to use their influence with the Government of Pakistan to bring and immediate end to the suppression of human rights and decimination of civilian population in East Bengal. Government have raised this matter in the Social Council of EC OS OC. Government have requested the UN Secretary-General and through him the related international organisations to mobilise national and international efforts through official and non-official agencies for bringing immediate relief to the refugees from East Bengal in India.

बंगला देश की सरकार को मान्यता देना

* 3. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री के० लकप्पा :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश की सरकार को मान्यता देने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत द्वारा बंगला देश गणराज्य की सरकार को मान्यता देने का प्रश्न निरन्तर विचाराधीन है ।

Pre-Requisites for Recognition of a New Government

* 4. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Videsh Mantri** be pleased to state :

(a) the minimum pre-requisites in regard to the grant of recognition to a new Government;

(b) Whether Bangla Desh fulfils all those pre-requisites; and

(c) If so, the reasons for not granting recognition to Bangla Desh so far and the time by which Bangla Desh is proposed to be recognised ?

Videsh Mantri (Shri Swaran Singh) : (a) There are no hard and fast internationally

accepted norms for the grant of recognition to a Government. The support that the Government commands among the people and the administrative control that it exercises over a sizeable part of the territory are, inter alia, factors which Governments consider in arriving at a decision on recognition.

(b) & (c) The situation is fluid and the struggle continues. Government are carefully watching the situation and will take a decision as and when necessary in the national interest of India and in the interest of peace and security of the sub-continent.

कलकत्ता स्थित कालटैक्स की पैट्रोल टंकी में आग

* 5. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :

श्री त्रिदिव चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 अप्रैल, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि 29 अप्रैल, 1971 को कलकत्ता में कालटैक्स की पेट्रोल टंकी में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां तो इस आग के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुयी है;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां। तथापि हिन्दुस्तान टाईम्ज में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट उस सीमा तक सहीं नहीं है कि बर्मा शैल टैंक में आग लग गई थी

(ख) हानि के अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है। अस्थाई आधार पर हानि 9 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच में हो सकती है ।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से मामले की जांच जा की जा रही है। जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है।

दि ग्रेट सोविएट एंसाइक्लोपीडिया' में भारत के नक्शे का प्रकाशन

* 6. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री मूलचन्द डागा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित 'दि ग्रेट सोवियट एन्साइक्लोपीडिया' के चौथे भाग में भारत का नक्शा भी है;

(ख) क्या इस नक्शे में भारत और चीन सीमा सम्बन्धी गलती को ठीक कर दिया गया है: और

(ग) यदि नही, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विश्वकोश में विश्व का एक मानचित्र सन्निविष्ट है, जिनमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं दिखाई गयी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

छोटे पैमाने के औषध निर्माण कारखानो को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 से छूट

*** 7. श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री माधुर्य्य हालदार :
श्री बी० नारायणन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के औषध निर्माण कारखानों को औषध (मूल्य नियंत्रण), आदेश, 1970 के उपबन्धो से कुछ छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम ओर रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर तीन आदेश जारी कर दिये गये है।

इन आदेशों का ब्यौरा सभापटल पर रखे गये विवरण पत्र में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखें गये। देखिये संख्या एल० टी० 166/71**]

(ग) सरकार की सामान्य नीति के अनुसरण में छूटें दी गई हैं कि लघु-स्तर क्षेत्र को कुछ मात्रा में सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

Help to Ceylon for Suppressing Internal Disturbances

*** 8. Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Samar Guha :
Shri N. K. Sanghi :
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether government have extended their co-operation to the Ceylon Government to suppress the internal disturbances in Ceylon; and

(b) If so, the details there of ?

Videsh Mantri (Shri Swaran Singh) : (a) & (b) The Government of Ceylon requested the Government of India for assistance to meet the threat of insurgency from certain terrorist groups. The Government of India agreed to provide all assistance that was possible within our resources. We provided Helicopters for non-lethal purposes and Indian naval ships for patrolling Ceylon's coast. We also sent some military equipment and some soldiers for ensuring the safety and the proper utilisation of our equipment.

औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों के बारे में अनुसंधान कार्य

* 9. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् द्वारा औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों की जानकारी प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) देश के भिन्न भिन्न भागों में कार्य कर रहे विभिन्न औषधीय पादप सर्वेक्षण एककों ने औषधीय पौधों की लगभग 1000 किस्मों का पता लगाया है ।

(ख) 1969-70 और 1970-71 में औषधीय पादप सर्वेक्षण पर 4,34,653 रु० व्यय किये गये ।

कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की मांग के कारण पेट्रोलियम की कमी

* 10. **श्री पी० के० देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि करने की मांग के कारण देश में पेट्रोलियम की बहुत कमी हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने, देश में तेल को निरन्तर सप्लाई बनाये रखने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

भारतीय सीमा पर आक्रमण कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा आदिवासियों को उकसाना तथा उन्हें सशस्त्र करना

* 11. **श्री एम० एम० जोज़फ** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा पर आक्रमक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये पाकिस्तान सरकार

आदिवासियों को उकसा रही है और उन्हें सशस्त्र कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार भारत के विद्रोही आदिवासियों को प्रशिक्षण तथा शस्त्र दे रही है तथा उन्हें भारतीय क्षेत्र में हिंसा के लिये उकसा रही है। पाकिस्तान सरकार को विरोध प्रकट किए गए हैं। सुरक्षा सेनायें स्थिति से निमटने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के सम्बन्ध में क्षेत्रों का पता लगाने हेतु अध्ययन दल के सुझाव

* 12. **श्री पी० गंगा देब : श्री निहार लास्कर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित अशोधित तेल के मूल्य में ज्यादा वृद्धि करने की मांग को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के सम्बन्ध में जहां पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी की जा सकती है, अध्ययन दल द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अध्ययन दल की सिफारिशें अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अशोधित तेल में आत्मनिर्भरता

* 13. **श्री डी० के० पंडा : श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में देश की अशोधित तेल की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) **और (ख)**. अशोधित तेल

की आगामी आवश्यकताओं के स्थायी अनुमान देश के अनुमानित उत्पादन और 1971 से 1974 तक के वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात की जाने वाली मात्राओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मिलियन मीटरी टनों में)

वर्ष	अनुमानित आवश्यकताओं की मात्रा	अनुमानित देशीय उत्पादन	अनुमानित आयत
1971	20·0	7·15	12·85
1972	20·9	7·8	13·1
1973	24·3	7·8	16·5
1974	26·5	8·8	17·7

(ग) अशोधित तेल के हाल में तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार खपत में कमी करने और आयातित अशोधित तेल के सप्लाई के संसाधनों में विविधता लाने और देशीय अशोधित तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन को बढ़ाने के उपाय ढूंढ रही है ।

मित्र राष्ट्रों को पूर्वी-पाकिस्तान की घटनाओं से अवगत कराना

* 14. **श्री एच० एम० पटेल** : **श्री एस० एम० बनर्जी** :
श्री समर गुह :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वी-पाकिस्तान की घटनाओं के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों, विशेषतया बड़ी शक्तियों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बड़ी शक्तियों सहित अधिकांश विदेशी सरकारों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान सरकार पर, अपनी ताकत का इस्तेमाल रोकने एवं राजनीतिक हल ढूंढने के लिये प्रभाव डाल रहें हैं । परन्तु इनमें से अधिकांश देश इस मसले पर अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से प्रकट करना नहीं चाहते ।

केरल में केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना

* 15. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने केरल में एक केन्द्रीय वैदानिक अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) स्थापित करने का निश्चय किया है, इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न रोगो के उपचार एवं रोकथाम के लिये बेहतर, सस्ते एवं कारगर उपायो की खोज करना ।

(ii) इस परिषद् के आधीन कार्य कर रहे विभिन्न अनुसन्धान एककों के तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

(iii) पंचकर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण तथा जलुकर आवाचरण जैसे उपचार के विभिन्न प्रतिष्ठित प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन करना ।

इस संस्थान में अनुसंधान अनुभाग, अस्पताल अनुभाग, प्रयोगशाला अनुभाग, औषध-निर्माण अनुभाग तथा प्रशासन अनुभाग होंगे ।

चेरुथुरुथी में केरल सरकार द्वारा दिये गये भवन को इस संस्थान के लिये उपयुक्त पाया गया है ।

बंगला देश आन्दोलन के दौरान पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किए गये भारतीय पत्रकार

* 16. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार द्वारा बंगला देश आन्दोलन के दौरान कुल कितने भारतीय पत्रकार गिरफ्तार किये गये;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पत्रकारों को मुक्त कराने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अधिकृत रिपोर्टों के अनुसार एक भारतीय संवाददाता और एक फोटोग्राफर :

(ख) वे हैं : अमृत बाजार पत्रिका के उप-संपादक श्री दीपक बनर्जी और अमृत बाजार पत्रिका के फोटोग्राफर श्री सुरजीत घोषाल ।

(ग) और (घ) जी हां । 10 अप्रैल, 1971 को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक विरोध पत्र भेजा था जिसमें उक्त दोनों संवाददाताओं को तुरन्त छोड़ने और उन्हें सुरक्षित भारत लौटाने की माँग की गई थी ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने की अप्रयुक्त क्षमता

* 17. **श्री रेणुपद दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने को 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता अप्रयुक्त पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) **और** (ख) जी हां । परिष्करणशाला को प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन की रुपांकन (डिजायन) क्षमता है ; किन्तु उसे असम तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष लगभग दो मिलियन टन अशोधित तेल प्राप्त होता है । बरौनी परिष्करणशाला का तीसरा मिलियन टन एकक, अशोधित तेल की मात्रा अपर्याप्त होने के कारण प्रयोग में नहीं आ रहा है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के असम के तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल को और अधिक मात्रा के परिवहन के लिए, आयल इन्डिया लिमिटेड को पाइप लाइन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक था । इस प्रकार का समर्थ्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक था कि अशोधित तेल के परिवहन टैरिफ (शुल्क सूचियों) पर आयल इण्डिया लि० और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच समझौता सम्पन्न कराया जाय । उक्त विषय पर निर्णय लेने से पूर्व, सरकार ने असम में एक मिलियन मीटरी टन तक परिष्करण क्षमता को बढ़ाने का निर्णय किया है । अतः असम के अशोधित तेल को इस परिष्करणशाला के लिए आरक्षित रखना था तथा बरौनी परिष्करणशाला को अशोधित तेल के परिवहन के लिए आयल इण्डिया लि० की पाइप लाइन की क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव को रोक दिया गया ।

(ग). यह निर्णय लिया गया है कि आयातित अशोधित तेल के लिए अप्रयुक्त एकक का परिचालन किया जाय । इस हेतु परिष्करणशाला को तेल का शोधन करने योग्य बनाने के लिए उसमें उपयुक्त संशोधन करने कि आवश्यकता है । इन परिवर्तनों संशोधनों सहित परिष्करणशाला अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करने में समर्थ होगी । भारतीय तेल निगम ने एक सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार की है, जो सरकार को प्राप्त हो चुकी है तथा सरकार के विचाराधीन है । प्रायोजना के २॥ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है ।

नये तेल क्षेत्रों का पता लगाना

* 18. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये तथा उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि वर्तमान तेल कूपों में से अधिकांश शीघ्र सूख जायेंगे और यदि तब तक नये तेल-क्षेत्रों का पता न लगाया गया तो अशोधित तेल की भारी कमी हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां तो इस उद्देश्य से तैयार किये गये कार्य-क्रम का ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क). वित्तीय वर्ष 1970-71 में, आयोग ने गुजरात, असम, राजस्थान तथा कावेरी की घाटी के विभिन्न भागों में 169003 व्यधन कार्य किया और 90 कुएं पूरे किये। बीस नई संरचनाओं का व्यधन कार्य आरम्भ किया गया था। जम्मू में भी व्यधन कार्य जारी रखा गया। खम्बात की खाड़ी में अतटीय कुआँ संख्या 1 में तेल की विद्यमानता का संकेत मिला। आगामी परीक्षण कार्य में प्रगति हो रही है।

1970-71 में, विभिन्न अवसादीय थालाओं में भूगर्भीय तथा भूभौतिक सर्वेक्षण जारी रखे गये।

कुछ संरचनाओं, जिन पर अन्वेषी व्यधन परिचालन पिछले वर्ष शुरू कर दिये गये थे, पर परिचालन कार्य जारी रखा गया।

इसके अतिरिक्त, 20 नई संरचनाओं पर अन्वेषी व्यधन परिचालन आरम्भ किये गये थे। इन में से एक संरचना में तेल और एक दूसरी संरचना में गैस की विद्यमानता के संकेत मिले हैं। इन में से 8 संरचनाओं के कुओं का अभी तक परीक्षण किया जा रहा है और 5 संरचनाओं के कुओं का अभी तक व्यधन हो रहा है। शेष 5 संरचनाओं पर खोदे गये कुओं में तेल अथवा गैस की विद्यमानता का संकेत नहीं मिला।

(ख) किसी विशेष क्षेत्र के तेल भंड़ार आवश्यक रूप से सीमित हैं। परिणाम स्वरूप, ज्यों ज्यों उस क्षेत्र से तेल उत्पादित होता है, तेल भंड़ारो में आवश्यक रूप से कमी होती रहेंगी और अत: कुछ वर्षों में उस क्षेत्र से तेल का उत्पादन आवश्यक रूप से समाप्त हो जायेगा। यह एक सामान्य क्रिया है।

(ग) नये तेल क्षेत्र ढूंढने के लिए प्रबल प्रयत्न किये जा रहे हैं। विभिन्न संभाव्य क्षेत्रों, जहां अभी तक कार्य नहीं किया गया है, के भूगर्भीय एवं भूभौतिक सर्वेक्षण किये जायेंगे। उन कुछ क्षेत्रों में, जहां पहले से कार्य किया जा चुका है, भी भूभौतिक सर्वेक्षण किये जायेंगे और अनुकूल संरचनात्मक परिस्थितयां बनाने के उद्देश्य से यथासंभव उन्नत क्षेत्र तकनीकियां, औजारों एवं आंकडों के प्रौसंसिंग के तरीकों का प्रयोग किया जायेगा।

आयोग का त्रिपुरा में भूमि पर और अरब सागर में 'बम्बई हाई' जैसे नवीन क्षेत्रों में जहां पैट्रोलियम के बड़े-बड़े भण्डार मिलने का अनुमान है, तेल की खोज करने का विचार है। गहरे समुद्र तल के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए गहरे कुओं का व्यधन करने का भी विचार है। विभिन्न अतटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों का आरम्भ करने का विचार भी है।

ईरान से आयात किये जाने वाले अघाजरी अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि

* 19. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से आयात किये जाने वाले अघाजरी अशोधित तेल के एक बैरल के लिए कोचीन तेल शोधक कारखाना निर्यातकों को अब 1.60 डालर (12 रुपये) दे रहा है जबकि पहले दो वर्ष के ठेके के अनुसार उसका मूल्य 1.26 डालर (9 रु० 45 पैसे) स्वीकार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तों इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) अशोधित तेल की सप्लाई के लिये मैसर्स टोटल इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा कोचीन परिष्करणशाला लिमिटेड के बीच हुये समझौते की शर्तों में यह उल्लेख है कि ईरानी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए नये प्रभारों, शुल्कों, महसूलों या करों के कारण हुई वृद्धि तक मूल्य में वृद्धि खरीदार अर्थात कोचीन परिष्करणशाला देगी। खरीददार को मूल्यों में वृद्धि की स्वीकृति की सूचना विक्रेता के नोटिस के दो महीनों के भीतर भेजनी पड़ती हैं अन्यथा विक्रेता एक महीने का नोटिस देकर समझौता समाप्त कर सकता है। तथापि, कोचीन परिष्करणशाला की मूल्य वृद्धि की स्वीकृति अस्थायी है और इस पर और विचार-विमर्श हो सकता है। बदले में टोटल इन्टरनेशनल लि० ने हाइड्रोकाबिन्ज प्राइवेट लि० से खरीदे रोस्तम क्रूड के मूल्य में समान वृद्धि स्वीकार कर ली है

हिन्द महासागर में अमरीकी युद्ध पोतों सबंधी प्रेस रिपोर्ट

* 20 **डा० राणेन सेन** : **श्री सी० चितिबाबू** :
श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल 1971 के कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' में 'हिन्द महासागर में भेजे गये अमरीकी युद्ध पोत' शीर्षक में अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

(ग) क्या ये अमरीकी युद्ध पोत पाकिस्तान तथा दूसरी 'सैन्टों' और 'सीटो' शक्तियों के अनुरोध पर भेजे गये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इतनी अधिक संख्या में युद्ध पोत भेजने के लिए अमरीका ने कौन से कारण बताये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ, सरकार ने रिपोर्ट देख ली हैं।

(ख) सरकार का यह विकास सर्वविदित है कि हिंद महासागर का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र रहना चाहिए और बड़ी शक्तियो की प्रधानता और प्रतिद्वंविता से मुक्त रहना चाहिए।

(ग) और (घ) इस विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली के नागरीकृत ग्रामों का विकास

*21. **श्री दलीप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के नागरीकृत ग्रामों का विकास करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ग) नागरीकृत ग्रामों में विकास कार्य पूरा करने की अन्तिम तिथि क्या है ;

(घ) क्या ऐसे ग्रामों के सभी निवासियों को प्लाट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिनमें भूमि पहले ही अर्जित कर ली गई है और दिन प्रति दिन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 'लाल डोरा' के अन्तर्गत नये निर्माण के लिये कोई स्थान नहीं है ; और

(ङ०) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली की वृहत योजना के अन्तर्गत नगरीय सीमाओं में आने वाले 111 (एक सौ ग्यारह) ग्रामों का शनैः शनैः पुनर्विकास किए जाने का प्रस्ताव है। इस बीच में, उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत यथासंभव मूल सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(ख) पेय-जल की सप्लाई, सार्वजनिक शौचालय ब्लाकों आदि जैसी मूल सुविधायें प्रदान करने का काम जारी है।

(ग) कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) तथा (ङ०). अतिरिक्त भूमि के लिए ग्रामिणों की आवश्यकताओं पर, इन नगरीय ग्रामों के लिए बनाई जा रही पुनर्विकास योजनाओं के विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

Indian Journalists Kidnapped By Pakistan Army

* 22 **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri R. V. Bade :

Will the **Videsh Mantri** be pleased to State :

(a) whether the Delhi Press Association have demanded that appropriate action be taken in regard to the kidnapping of two Journalists, Shri Surjit Ghosal and Shri Deepak by pakistani army from Tripura to comilla ;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard, and

(c) the decision taken by Government for giving compensation to the families of those Journalists ?

Videsh Mantralaya men up Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : Yes, Sir Government of India have Lodged a protest with the Government of Pakistan demanding the immediate release and safe return to India of the above two newspapermen.

(b) & (c) No reply has yet been received from the Government of Pakistan to our protest note. Government are continuing to make enquiries about the two journalists and the question of giving Compensation to their families does not arise, for the present.

ब्रिटेन में भारतीय डाक्टर

* 23. **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय परिपत्र-प्राप्त भारतीय डाक्टरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत से भारतीय डाक्टरों के विदेश-पलायन पर चिन्तित है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1970 में ब्रिटेन में लगभग 4000 भारतीय डाक्टर कार्य कर रहें थे। परन्तु इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन में भारतीय परि-पत्र प्राप्त डाक्टरों की ठीक ठीक संख्या क्या है।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

डाक्टरों सहित वैज्ञानिकों तथा शिल्प-विज्ञानियों के बहिर्गमन को रोकने के लिए तथा देश में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) विदेश से लोटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों एवं शिल्प-विज्ञानियों को अस्थायी रोजगार देने के लिए एक वैज्ञानिक पूल बनाना।

(2) जिन मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में, विदेश में कार्य कर रहे और अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों में से शीघ्र अस्थायी नौकरी दी जा सकती है, उनमें अधिसंख्य पदो का सर्जन ।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोग, उन भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प वैज्ञानिकों को जिनके नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं उक्त आयोगों द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'पर्सनल कण्टैक्ट' उम्मीदवार के रूप में मानने के लिए सहमत हो गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्प-विज्ञानियों का भारत में होने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए विदेशो में साक्षात्कार करने की व्यवस्था भी कर दी है ।

(4) विदेश में भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्प-विज्ञानियों का नामांकन करने तथा उनका नाम सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ व राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और बड़े निजी क्षेत्र प्रतिष्ठानों में प्रचारित करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए विशेष अनुभाग बनाए रखना। इन कार्मिकों के नाम मासिक तकनीकी जन शक्ति बुलेटिन (वै० ओ० अ० प०) में प्रकाशित किए जाते हैं और यह बुलेटिन भारत भर में लगभग 3000 संगठनों को निःशुल्क वितरित की जाती है ।

(5) जो वैज्ञानिक भारत में अनुसंधान संस्थानों में नियुक्ति के लिए चुने जाने पर उन में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का वचन देंगे उन्हें यात्रा अनुदान देने के लिए प्रावधान ।

(6) विदेशी चिकित्सा स्नातकों की शैक्षणिक परिषद द्वारा भारत में ली जाने वाली परिक्षा बन्द करना ।

(7) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, केन्द्रीय संस्थानों और राज्य संघर्षों में चिकित्सा अधिकारियों के वेतन बढ़ाना ।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को विशेष रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

(9) डाक्टरों और विशेषज्ञों में अवकाश प्राप्त करने की आयु में वृद्धि करना और/या अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें फिर से रोजगार पर लेना ।

केरल में आयुर्वेदिक अनुसन्धान संस्थान

* 24. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में छः आयुर्वेदिक अनुसन्धान एककों की स्वीकृति देने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (घ). भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद के अधीन केरल के विभिन्न संस्थानों में ग्यारह आयुर्वेदिक अनुसंधान एकक पहले से ही कार्य कर रहे हैं। चूंकि केरल में अनेक अनुसंधान एकक पहले से कार्य कर रहे हैं, इसलिए केवल दो ही अतिरिक्त अनुसंधान एकक नामतः सचल क्लिनिकल अनुसंधान एकक और आसव पूर्ति एकक खोलने का विचार है।

कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के भवन पर कब्जा

* 25. **श्री आर० कडनापल्ली** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने कलकत्ता मे पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के भवन पर कब्जा करने के मामले में भारत सरकार से सहायता करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार को बता दिया गया है कि भवन पर कब्जा करने का मामला, पाकिस्तान सरकार का आंतरिक मामला है जिसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और मामला पाकिस्तान हाई कमीशन द्वारा बातचीत के जरिए अथवा यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्यवाही करके निपटाया जा सकता है।

बंगला देश की स्थिति के बारे में उथांट को प्रस्ताव

* 26. **श्री विभूति मिश्र : श्री चन्द्रप्पन** :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की चिंताजनक स्थिति के बारे में भारत श्री ऊथांट से सम्पर्क बनाए हुए है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने 'बंगला देश' के बारे में कोई ठोस सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बंगला देश की समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जो ठोस सुझाव दिए गए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

(i) पाकिस्तान सरकार से कहा जाए कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निर्धारित मानदण्डों

तथा मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घोषणाओं और करारों के अनुसार, जिनके प्रति पाकिस्तान की सरकार बचनबद्ध है, पूर्व बंगाल के लोगों को मूल भूत राजनीतिक और मानवीय अधिकार प्रदान करें।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के जरिए, पूर्व बंगाल के लाखों शरणार्थियों की सहायता करनी चाहिए।

(iii) पूर्व बंगाल में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया जाए ताकि पूर्व बंगाल के लोग उचित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य जीवन बिताने के लिए लौट सकें।

(iv) जो शरणार्थी भारत आ गए हैं उनके लिए तथा उनके सुरक्षा पूर्वक पूर्व बंगाल देश प्रत्यावर्तन के लिए भी पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए।

(v) संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को पूर्व बंगाल की समस्या पर निरन्तर निगाह रखनी चाहिए और समस्या के समाधान लिए सभी आवश्यक सलाह और सहायता देनी चाहिये।

(vi) उपर्युक्त प्रस्तावो के अलावा, भारत सरकार राजनयिक माध्यमो के जरिए संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशो से सम्पर्क बनाए हुए है और पूर्व बंगाल की बिगड़ती हुई स्थिति पर भारत की चिन्ता और पूर्व बंगाल के चुने हुए प्रतिनिधियों, जैसे शेख मुजीबुर्रहमान की अध्यक्षता वाली अवामी लीग, के साथ शान्तिपूर्ण राजनीतिक समझौता करने लिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों पर सभी संभव दबाव डालने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

वायु का दूषित होना

* 27. **श्री शशि भूषण शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बड़े नगरों में वायु में आक्सिजन की कमी होने तथा कार्बन डायआक्साइड एवं अन्य गैसों की वृद्धि होने की समस्या सामने आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 1957 से दिल्ली, कलकत्ता तथा कानपुर में वायु-दूषण में वृधि 50 से बढ़ कर 150 प्रतिशत हो गई है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : **(क) और (ख)**. भारत के बड़े बड़े शहरों में वायु की किस्म पर कोई विधिवत अध्ययन नियमित आधार से नहीं किए गए हैं। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान ने नागपुर, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में एक अल्प-कालिक सर्वेक्षण किया तथा

दूसरा सर्वेक्षण भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान में 1968-69 में कानपुर में किया। इन शहरों में आक्सीजन के घटने तथा कार्बन डाइआक्साइड के बढ़ने की बात ध्यान में नहीं आई। वैसे, उद्योगों के उत्सरण, यातायात से संबंधित मानव गतिविधियों तथा घरों में जलाई जाने वाली लकड़ी वायु दूषण ये मुख्य कारण हैं।

(ग) वायु-स्वच्छता मापने के लिए वायु प्रदूषण मापक पर आधारित अपने दस वर्षों के निरीक्षण के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने बतलाया है कि दिल्ली, कलकत्ता और कानपुर में वायु दूषण 50 से बढ़कर 100 प्रतिशत तक हो गया है।

(घ) देश में वायु दूषण की आम समस्या को हल करने के विचार से भारत सरकार ने वायु दूषण नियंत्रण की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। इस समिति से वायु दूषण समस्या के अध्ययन करने, उसकी रोकथाम करने तथा इस बारे में विधेयक का प्रारूप तैयार करने की अपेक्षा की गई है।

भारतीय विमान के अपहरण के बारे में पाकिस्तानी
न्यायिक आयोग का प्रतिवेदन

* 28. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि भारतीय विमान के अपहरण के सम्बन्ध में जाँच करने वाले पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन पाकिस्तान के राष्ट्रपति को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के निष्कर्षों के बारे में सरकार को सूचित कर दिया गया है ?

विदेश मन्त्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में छपी खबरें देखी हैं।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने सरकारी तौर पर आयोग के निर्णयों से अवगत नहीं कराया है फिर भी, सरकार ने 21 अप्रैल, 1971 को पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में इस विषय पर प्रकाशित सरकारी वक्तव्य का मूल पाठ देखा है।

इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमिया, बिहार में हड़ताल

*29. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमियां, बिहार के कर्मचारियों की लगातार चल रही हड़ताल की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). जी हां। यह सूचित किया गया कि 23-3-71 से 7-4-71 तक यूनिट की आंशिक हड़ताल रही। परन्तु बिहार के मुख्य मन्त्री की प्रार्थना पर हड़ताल समाप्त हो गई।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पटना में आयोजित भारतीय उर्वरक निगम के प्रमुख तकनीकी अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियो का सम्मेलन

30. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के पूर्वी राज्यों में प्रमुख तकनीकी अधिकारियों और उच्च अधिकारियों का एक सम्मेलन अभी हाल में पटना में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और क्या क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या इस समय भारत को उर्वरकों के आयात के लिये प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का नियतन करना है;

(घ) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र में कितने उर्वरक कारखानों की स्थापना की जा रही हैं; और

(ङ) हल्दिया में लगाये जाने वाले कारखाने की स्थापना मे क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख). भारतीय उर्वरक निगम के उन्नति एवं विस्तार से सम्बन्धित प्रवर कृषि विज्ञान वेताओं एवं प्रवर विपणन प्रवन्धकों का एक सम्मेलन 13 और 14 अप्रैल को पटना में हुआ। इसमें भारतीय उर्वरक निगम के दो निदेशक और बरौनी प्रभाग के महाप्रबन्धक, बिहार और बंगाल के कृषि निदेशक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के उपकुलपति और राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के अनुसंधान निदेषक उपस्थित थे।

इस सम्मेलन की कार्यसूची निम्न प्रकार थी —

(1) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से उर्वरक उन्नति कार्यक्रम एवं खरीफ के लिए निम्नलिखित राज्यों के लिए बजट :—

(क) असम

(ख) बंगाल

(ग) बिहार

(घ) मध्य प्रदेश

(च) उड़ीसा

(2) सूक्ष्म पोष्टक जस्ता (माइक्रो नूट्रियन्ट जिन्क) के साथ सुफाला एव सुफाला का अन्य विरल तत्वों के साथ विपणन ।

(3) उर्वरक-कीटनाशी मिश्रण के प्रयोग की सम्भावनाए ।

(4) मन्द वियोचन वाले उर्वरकों को प्रचार में लाना।

(5) विस्तार एवं उन्नति की क्रियाविधियों को सहायता प्रदान करने हेतु भावी कृषि अनुसंधान कार्यक्रम ।

निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये—

(1) पांच राज्यों के लिए कार्यक्रम और बजट स्वीकृत किये गये ।

(2) अनुसन्धान द्वारा स्थापित निश्चित प्रमाण के अभाव में, वर्तमान में, जस्ते को छोड़ कर किसी दूसरे माइका-न्यूट्रिएंट अणुपोष के येग की आवश्यकता नहीं है ।

(3) मन्द विमोचन वाले उर्वरकों के अमरीकी अनुभव भारत को उष्णकटिबन्धीय अवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तथा नियंत्रित अवस्थाओं में परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है ।

(4) उपयुक्त उर्वरक-कीटनाशक मिश्रण पर किसानों के खेतों में प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करना ।

(5) प्रोत्साहन और अनुसन्धान सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के कृषि विभागों के साथ वर्तमान सहयोगों का सुदृण बनाना ।

(6) पांचों राज्यों के लिये मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन और बरौनी में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और एक अतिरिक्त चलती-फिरती प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिये और आगे विकास कार्य ।

(ग) 1968-69, 1969-70 और 1970–71 में आयातित उर्वरकों का मूल्य क्रमशः 153·75 करोड़ रुपये, 112.23 करोड़ रुपये और 75.92 करोड़ रुपये था ।

(घ) दुर्गापुर बरौनी और तालचर में उर्वरक परियोजनाएं तैयार की जा रही है । नागरथ उर्वरक फैक्ट्री का विस्तार कार्य भी आरम्भ हो चुका है । सिन्द्री उर्वरक फैक्ट्री का भी युक्तिकरण कर दिया गया है । पूर्वी क्षेत्र में स्थित इन परियोजनाओं की कुल अतिरिक्त क्षमता 685,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 156,000 मीटरी टन पी2 ओ5 होगी । इस क्षेत्र में हल्दिया

और पारादीप में भी उर्वरक फैक्ट्री के स्थान के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) हल्दिया में एक उर्वरक फैक्टरी का स्थान सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

आयातित डी० डी० टी० का सरकारी गोदामों में अनप्रोसिस्ड रूप में पड़ा रहना

1. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार ने 26 नवम्बर 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे इस आशय के समाचार को देखा है कि सरकार द्वारा दो वर्ष पहले अमरीका से आयात किया गया एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का लगभग 3000 मीटरी टन डी० डी० टी० अभी भी गोदामों में पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या प्रयोग हेतु तैयार करने का कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ग) गोदामों में इतनी लम्बी अवधि तक डी० डी० टी० के अनप्रोसिस्ट रूप में पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) इस डी० डी० टी० की खरीद के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और;

(ङ०) क्या किसी अन्य देश ने सस्ती दरों पर डी० डी० टी० देने की पेशकश की थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी, हां।

(ख) 1929 टन टैकनीकल डी० डी० टी० तैयार करना बाकी है

(ग) डी० डी० टी० तैयार करने में देरी लगने का कारण स्वदेशी औषध योगों का निष्पादन सम्भावनाओं से कम रहना, पर्याप्त जानकारी और उपकरण का अभाव है।

(घ) 3755 टन डी० डी० टी० टकनीकल की खरीद के लिए लगभग 113 लाख रूपये की धन राशि खर्च की गई।

(ङ) दो वर्ष पूर्व जब अमेरिका से डी० डी० टी० लिया गया था उस समय किसी भी देश ने सस्ती दरों पर डीं० डी० टी० उपलब्ध करने के लिए नहीं कहा।

असम के लिए दूसरा तेल शोधक कारखाना

2. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा में प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसरण में असम में बोनगाई गांव में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के लिये भारतीय तेल निगम के चेयरमैन के संरक्षण में दिसम्बर 1969 में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी। दल ने अपनी रिपोर्ट जून, 1970 में प्रस्तुत की थीं। तत्पश्चात प्रस्तावों पर असम के मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श के आधार पर कार्यकारी दल की ओर आगे अध्ययन करने के लिए कहा गया था और इसने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट अक्तूबर, 1970 में प्रस्तुत कर दी थी। दल ने संम्बन्धित डी एम टी/पोलिएटर फाइबर पैंट्रो-रसायन समूह सहित असम में बोगेगाँव नामक स्थान पर एक मिलियन मीटर टन ग्रास स्ट्स परिष्करण शाला की स्थापना करने और प्रस्तावित परिष्करण शाला में उत्पादित एल एन एच एस को संभरण सामग्री के रूप में सिन्द्री उर्वरक कारखाने में प्रयोग करने की सिफारिश की थी। इस मामले पर असम के मन्त्रीयों के साथ फिर से बातचीत की गई थी और असम सरकार ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की सूचना दिसम्बर, 1970 में भेजी थी। भारतीय तेल निगम को परियोजना की संभाव्य रिर्पोट तैयार करने के लिए कह दिया गया है। भारतीय तेल निगम ने भी अति उपयुक्त स्थल चुनने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की है। इस रिर्पोट के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

असम में समेंकित डी० एम० टी०/पौलिस्टर फायबर पैंट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

3. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या पैट्रौलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 दिसम्बर 1969 को लोक सभा में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के अनुसरण में असम में एक समेंकित डी० एम० टी०/पौलिस्टर फाइबर पैंट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : प्रधान मन्त्री की घोषणा के पश्चात तत्काल स्थापित किये गये एक अध्ययन दल द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० ने 1970 के मध्य में एक प्रारम्भिक सम्भाव्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर असम सरकार के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 1970 के अन्त में परिष्करणशाला के स्थान के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर, एक अन्तिम सम्भाव्य रिर्पोट तैयार की जा रही है तथा इसके शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

राज्यों में सेना में भर्ती पर प्रतिबन्ध

4. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक राज्य के अन्तंगत जिलावार आधार पर सेना में भर्ती के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या शिमला भर्ती कार्यालय में भर्ती के सम्बन्ध में ऐसे कोई आदेश हैं कि मन्डी तथा कांगड़ा जिलों के व्यक्तियों को शिमला में भर्ती नहीं किया जा सकता है और उन को केवल कांगड़ा जिले के हमीरपुर अथवा अन्य भर्ती कार्यालयों में ही भर्ती किया जा सकता है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सेना में भर्ती के लिये प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को समान अवसर मिल सके इस लिए भर्ती कार्यालयों को एक एक क्षेत्र आवंटित कर दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार मंडी और कांगड़ा जिले के लोगों को हमीरपुर तथा पालमपुर के भर्ती कार्यालयों में जाना चाहिए न कि शिमला को।

मैसूर सिटी स्थित अखिल भारतीय मूक तथा बधिर संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिए प्रवेश

5. **श्री सिद्धय्या** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सिटी स्थित अखिल भारतीय मूक तथा बधिर संस्थान में प्रत्येक कक्षा में प्रवेश पाने के लिए वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें वर्षवार और कक्षा वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने आवेदन पत्र थे, और

(ग) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक कक्षा में कुल कितने व्यक्तियों को प्रवेश मिला और इन वर्गों में जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को प्रवेश मिला उनके नाम क्या हैं तथा उनको किन किन कक्षाओं में प्रवेश मिला ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : **(क) से (ग)** ; अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	1969-70 पाठ्य क्रम		1970-71 पाठ्य क्रम	
	एम० एस० सी०	बी० एस० सी०	एम० एस० सी०	बी० एस० सी०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	128	82	113	74
2. अनुसूचित जातियों और				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	3	1	1	3
3. प्रवेशों की कुल संख्या	5	15	8	15
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को दिए गये स्थानों की संख्या।	1	1	1	
5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया ।	1	शून्य	शून्य	शून्य

(श्री भगत सिंह)

सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के स्थानों का आरक्षण

6. **श्री सिद्दय्या** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं और ;

(ग) क्या उनका दाखला देने के सम्बन्ध में रियायत दी गई हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) . यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सैनिक स्कूलों में स्थान आरक्षित नहीं किये जाते है तथापि यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार जो सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिये होने वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं परीक्षा में प्राप्त कोटि पर विचार किए बिना उन्हें सैनिक स्कूल में दाखिला दे दिया जायगा ।

सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों का दाखला

7. **श्री सिद्दय्या** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में से सैनिक कूलों में दाखले के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विशेषतः मैसूर राज्य के बीजापुर स्थित सैनिक स्कूल में, कितने आवेदकों को दाखला दिया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायगी।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार को तेज किया जाना

8. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पीछे हाल ही में पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल में अपनी सैनिक कार्यवाही को छुपाने के लिये विदेशों में अपने भारत विरोधी प्रचार को तेज कर दिया है ; और

(ख) यदि हां; वस्तु स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिये तथा पाकिस्तान के प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार अपने राजनयिक मिशनों और प्रचार माध्यम के जरिए पूर्व बंगाल की स्थिति के सही तथ्यों के बारे में विदेशी सरकार और विदेशी जनता का सूचित करके पाकिस्तानी प्रचार का मुकाबला कर रही है ?

स्वेज नहर का फिर से खोला जाना

9. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज नहर को फिर से खोलने के लिये कोई वार्ता हुई है और यदि हां, तो स्वेज नहर को फिर से खोलने के मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या स्वेज नहर खोले जाने के मामले में भारत ने कोई पहल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, स्वेज नहर को पुनः खोलने से सम्बधित एक प्रस्ताव संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा रखा गया है जिस पर सम्बद्ध दल विचार-विमर्श कर रहे हैं।

(ख) और (ग) . भारत सरकार ने स्वेज नहर को पुनः खोलने के संयुक्त अरब गण राज्य की सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया हैं जो 22 नवम्बर, 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

के प्रस्ताव की शर्तो के अनुसार पश्चिम एशिया के संकट को पूर्णतया निपटाने के ढांचे में आता है

बंगला देश गणराज्य द्वारा मान्यता के लिए अनुरोध

10. **श्री आर० एस० पांडे :** **श्री कम चन्द कछवाय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल ने स्वयं को बंगला देश गणराज्य के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया है ;

(ख) क्या नव निर्मित बंगला देश की सरकार ने भारत द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया है और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या नव निर्मित बंगला देश गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में भी कोई निर्णय किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मंन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार स्थिति पर सावधानी से नजर रखे हुए है और भारत के राष्ट्रीय हित में तथा उप-महाद्वीप में शान्ति व सुरक्षा के लिए जब भी तथा जैसा आवश्यक समझेगी, निर्णय लेगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ढाका तथा इसलामाबाद में भारतीय राजनयिकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध

11. **श्री राम सहाय पांडे** **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तान ने ढाका तथा इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक दूतावासों पर बहुत अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं तथा उनको वहां पर अपना कार्य करने में बहुत कठिनाई हो रही है. और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ढ़ाका स्थित भारतीय उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ के अन्य सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जो वियना अभिसमय के विरूद्ध हैं ।

(ख) ढाका स्थित उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ पर लगाए गए इन प्रतिबन्धों के विरूद्ध भारत सरकार ने कडा विरोध किया है और पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित करने

की मांग की है कि उनके साथ सभ्य-व्यवहार के मानदण्डों के अनुरूप बर्ताव किया जाए ।

Propagation of Hindi and Indian Literature in Foreign Countries

12. **Shri S. D. Singh** : Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether any arrangements have been made by the Indian Missions abroad for imparting Hindi training in foreign countries;

(b) Whether many countries have desired to correspond in Hindi but our embassies are not prepared for that; and

(c) The action being taken by Government for propagation of Indian literature in foreign countries ?

Videsh Mantralaya men Up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Hindi Teaching classes for the benefit of the local people are being conducted in Accra, Colombo and London under the supervision of the Indian Missions there.

(b) No, sir.

(c) Under the Govt. of India's scheme for the propagation of Hindi abroad, Hindi books are being supplied to the libraries of the Indian Missions abroad particularly in countries where there is a sizeable population of people of Indian origin. ICCR is also setting up chairs and Institutes of Indian Studies in some countries.

Notices Served by Pakistan to Hindus of Sind for Acquisition of Property

13. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether the attention of Government has been drawn to the new item appearing in the newspaper "Jang" of Karachi to the effect that military administrators of Sind have issued notices to several Hindu citizens with a view to acquire their property, and

(b) If so, the details and the action taken by Government in this regard ?

Videsh Mantralaya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Government have not seen a 'Jang' news-item specifically to this effect. However, Government have seen a news item in the Jang of 3rd April, 1971, regarding the dispute over the status-evacuee non-evacuee-of the property belonging to a Hindu lady.

Encircling of India by China

14. **Shri Atal Bihari Vajpayee** **Shri Jagannath Rao Joshi**

Will the Videsh Mantri be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Statesman on the 23rd April, 1971 wherein it has been stated that according to Russia, China is encircling India, and

(b) if so, the reaction of Government there to and the preventive steps taken in this regard ?

Videsh Mantralya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) These are the views of an individual Soviet Commentator as published by a Soviet

Weekly 'New Times.' The Government has no comments to make on them.

Indian property damaged by Pakistani Army in East Bengal

15. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) The value of Indian property damaged by Pakistani Army during the recent liberation movement going on in East Bengal,

(b) the number of Indian citizens, including jawans of the Border Security Force and press Correspondents, who have been killed, injured or kidnapped by the Pakistani Army and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

Videsh Mantralaya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Not known.

(b) According to official reports received till the 18th May. 1971, the number of Indian Citizens killed, injured and kidnapped by the Pakistani Army is 38, 19 and 14 respectively.

(c) Government have protested to the Government of Pakistan against all incidents involving loss to Indian lives and damage to Indian property.

Closing of Office of Indian Deputy High Commissioner in Dacca

16. **Shri Hukam Chand Kachwai**
Shri M. C. Daga

Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether Government of India have closed down their office of the Deputy high Commissioner in Dacca, and

(b) if so, the reasons therefor ?

Videsh Mantralaya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The office of the Deputy High commissioner of India in Dacca had to be closed down at the request of the Government of Pakistan, following upon that Government's decision to close down its Calcutta Mission,

Expenditure of Vijay Ghat, Raj Ghat and Shantivana in Delhi

17. **Shri Hukam Chand Kachwai** : will the **Nirman Aur Awas** Mantri be pleased to state :

(a) Whether the work relating to Vijay Ghat, Raj Ghat and Shantivana Memorials has since been completed,

(b) The total amount spent so far by the Central Government on these Memorials,

(c) The total amount provided under this head for the year 1971-72, and

(d) The time to be taken in the completion of the construction work as also the total amount to be spent thereon ?

Nirman Aur Awas Mantralaya men Rajya Mantri (Shri I. K. Gujral) : (a) : No, Sir.

(b) :	(i) Vijay Ghat	Rs. 24, 54, 030. 00
	(ii) Shantivana	Rs. 44, 04, 138. 00
	(iii) Rajghat	Rs. 63, 87, 389. 00
(c) :	(i) Vijay Ghat	Rs. 7,00, 000. 00
	(ii) Shantivana	Rs. 6,62, 000. 00
	(iii) Rajghat	Rs.2,[illegible]58, 000. 00

(d) : The work on the Raj Ghat Samadhi has been substantially completed except for murals in the caves and development of the area occupied by Jhuggis and Jhonpris. These works will be taken up as soon as the Artist for the murals work is selected and the Jhuggis and Jhonpris are removed. As regards the other two Samadhis, the works are taken up in accordance with the recommendations of the Shanti Vana and Vijay Ghat Samadhi Committees and, therefore, it is not possible to indicate the time when all the works will be completed or the total amount that would be spent on the Samadhis.

Pakistan Deputy High Commissioner in Calcutta

18. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri P. Gangadeb :
Shri S. M. Krishna :

Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether the Pakistan Deputy High Commissioner and the personnel of Pakistan Deputy High Commissioner in Calcutta have declared that office as Bangla Desh High Commission in India, and

(b) The steps taken by Government to provide security to the high Commission of Bangla Desh and its employees in India ?

Videsh Mantralaya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Mr. Hossain Ali, former Pakistan Deputy High Commissioner in Calcutta, and several other members of his staff have declared their office as the "Mission of Bangla Desh"

(b) Normal law and other arrangements have been made.

Public Demand for Recognition of Bangla Desh

19. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri S. M. Krishna :
Shri K. Lakkappa

Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) Whether various political, parties semi-political institutions, Members of Parliament and the public have urged the Government to accord recognition to 'Bangla Desh' and

(b) The reaction of Government there to and the action taken in this regard ?

Videsh Mantralya men up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India are carefully watching the situation and will take a decision as and when necessary in the national interest of India in the interest of peace and security of the sub-continent.

अलियाबेट (गुजरात) में समुद्रतलीय तेल का कुआं

20. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 फरवरी, 1971 के 'स्टेटस्मैन' में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि गुजरात तट के अलियाबेट नामक स्थान पर छिछले जल वाले समुद्र तल में पहला समुद्रतलीय तेल का सूखा कुआं मिला है ;

(ख) क्या प्लेट फार्म की लागत बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कुएं पर सरकार ने कुल कितना खर्च किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री० पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) प्लेटफार्म खण्डों को व्यधन स्थल पर ले जाने की लागत को सम्मिलित करते हुए प्लेटफार्म की लागत में अनुमानित लागत से 52.78 लाख रूपये की बृद्धि हो गई है।

(ग) 15 मई, 1971 तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस कुएं पर 160.52 लाख रूपये खर्च किये थे।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व

21. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रबन्धक बोर्ड में भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) इस समय निश्चित समयवधि नहीं बताई जा सकती तथापि इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

हिन्द महासागर में विदेशी युद्ध पोतो की सख्या में वृद्धि

22. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने हिन्द महासागर में अपने युद्ध पोतों की संख्या में हाल ही में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्द महासागर में किन किन देशों के युद्ध पोत ठहरे हुए हैं ;

(ग) क्या ऐसे सभी देशों ने हिन्द महासागर में अपने अपने युद्ध पोत रखने के लिए भारत से सहमति प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . सरकार बाह्य देशों द्वारा हिन्द महासागर में हाल ही में अपने युद्धपोतों में की गई वृद्धि से अवगत नहीं है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत तटीय राज्यों को जल सीमा से बाहर खुले समुद्र में सभी देशों के जहाजों (युद्पोतो सहित) को स्वतन्त्रता प्राप्त है और उन सरकारों से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में तेल शोधन कारखाना स्थापित करना

23. **श्री मुलग नन्द :**
श्री एम०कतामुतु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन में तेल शोधन कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी०सी०सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ द्वारा हिन्द महासागर में अड्डे की स्थापना

24. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की प्रतिनिधियों के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा अभी हाल में प्रकाशित श्वेत पत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या श्वेत पत्र से यह निरसंदिग्ध रूप से प्रकट होता है कि सोवियत संघ ने हिन्द ागर में अड्डें की स्थापना की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्वेत पत्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौ सेना के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

25. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौ सेना के प्रशिक्षण केन्द्र अब तक कहां कहां और कितने खोले जा चुके हैं तथा कितने प्रशिक्षण केन्द्र निकट भविष्य में खोले जायेंगे तथा वे कहां कहां पर खोले जायेंगे ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : नौ सेना के प्रशिक्षण केन्द्र अब तक स्थापित किए जा चुके हैं :– जाम नगर, बम्बई, लोनावाला, गोवा, कोचीन, कोइम्बटूर तथा विशाखापत्तनम ।

सरकार ने उड़ीसा में चिलका झील के निकट एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है।

मास्को स्थित भारतीय दूतावास के खजांची की दोष सिद्धि

26. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को स्थित भारतीय दूतावास में 1958 से 1961 तक नियुक्त खजांची को धन के दुरूपयोग के सम्बन्धं में दोष सिद्धि हो जाने पर भारी जुर्माना तथा कारावास का दण्ड दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री पी०बी० पार्दासानी, सहायक नबम्बर 1958 से सितम्बर 1961 तक भारतीय राजदूतावास, मास्को में रोकडिया के रूप में कार्य कर रहे थे । उनके भारत के लिए स्थानान्तरण के समय पता चला कि उन्होंने काफी मात्रा में सरकारी धन का गबन किया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच पड़ताल करने के बाद श्री पार्दासानी पर मुकदमा चलाया गया और उनके विरूद्ध अलग अलग तीन मामले दर्ज किए गए। एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। शेष दो मामलों में । विशेष जज, दिल्ली में श्री पार्दासानी को 12-4-1971 को सजा दी। एक मामले में उन्हें 6 महीने की कड़ी कैद और 200 रू० के जुर्माने की सजा दी गई है तथा दूसरे मामले में, एक अभियोग में, दो वर्ष की कड़ी कैद और 40,000 रूपये का जुर्माना। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की और कड़ी कैद, तथा दूसरे अभियोग में दो वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई है।

दूसरे निरोध निर्माण कारखाने की स्थापना

27. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री वी० नारायणन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निरोध निर्माण करने वाले दूसरे कारखाने की स्थापना कर दी है अथवा किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां तो कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा और वहां कब तक कार्यारम्भ हो जाने की सम्भावना हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डीं०पीं चट्टोपाध्याय) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के दूसरे एकक की स्थापना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं ।

(ख) दूसरे एकक का त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट अभी तैयार की जा रहीं है और यह बताना सम्भव नहीं हैं कि यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

अन्दमान के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करने को तैयार डाक्टरों को प्रोत्साहन

28. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्दमान में जाकर कार्य करने को तैयार कितने डाक्टरों को वहां स्थानान्तरित किया गया ;

(ख) कितने डाक्टरों ने इन द्वीपों में अपने पद का भार सभाला,

(ग) ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्होंने वहां जाकर अपने पद का भार नहीं संभाला तथा उनके स्थानान्तरण-आदेश रद्द किये गये ;

(घ) अन्दमान प्रशासन ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को यदि कोई प्रोत्साहन दिये हैं तो वे क्या-क्या हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे अन्दमान के ग्रामीण क्षेत्रो में जाकर कार्य करने के लिये राजी होने वाले डाक्टरों को प्रोत्साहन मिले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) आठ ।

(ख) पांच ।

(ग) तीन ।

(घ) और (ड). अंड़मान और निकोबार द्वीप समूह में काम करने के लिये मुख्य भूमि से भर्ती किए गए/प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को इस समय निम्नांकित रियायतें दी जाती हैं :

(i) मूल वेतन के 7-1/2 प्रतिशत की दर से प्रतिपूरक भत्ता, जो कि 100 रू० प्रति मास से अधिक न हो ।

(ii) नियुक्ति के क्षेत्र को देखते हुए विशेष भत्ता जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है :-

(1) **दक्षिण अण्डमान (पोर्ट ब्लेयर सहित) में नियुक्त व्यक्तियों के लिए** : मूल वेतन का 25 प्रतिशत, जो कि 250 रू० प्रति मास से अधिक न हो

(2) **उत्तर/ मध्य अण्डमान में नियुक्त व्यक्तियों के लिए** : मूल वेतन का 30 प्रतिशत जो कि 300 रू० प्रति मास से अधिक न हो ।

(3) **निकोबार द्वीप समुह लघु अण्ड मान में नियुक्त व्यक्तियों के लिए** : मूल वेतन का 35 प्रतिशत, जो कि 300 रू० प्रति मास से अधिक न हो ।

(iii) बिना किराये के असज्जित आवास या इसकी एवज में समय समय पर लागू आदेशों के अनुसार मकान किराया भत्ता ।

(iv) छुटटी पर जाते समय और वापिस आते समय पर स्वयं तथा परिवार के लिये समय समय पर लागू आदेशों के अनुसार वर्ष में एक बार निशुल्क समुद्री यात्रा ।

Publicaction of Wrong Maps about Indian Territory by U. S. S. R.

29. **Shri Jagannath Rao Joshi**
Shri M.C. Daga

Will the **Videsh** Mantri be pleased to state

(a) whether India has protested many times against the publication of maps about Indian borders in a wrong manner by Russia ;

(b) if so, the steps taken by Russia in this regard ;

(c) whether Government propose to ban the import of such maps in which Indian borders have been shown wrongly and as undecided ; and

(d) if so, the date from which such ban would be imposed and, if not, the reasons there for ?

Videsh Mantralaya men Up Mantri Shri (Surendra Pal Singh) : (a) & (b) The views of the Government of India regarding the maps which show our boundaries wrongly have been conveyed to the various Govts. including the Government of the U.S.S.R.on several occasions. They have promised to take our views into consideration.

(c) Maps which show the international boundaries of India incorrectly are either prohibited from entry or the wrong portions blacked out.

(d) Such action is being taken under a notification issued by the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) in November, 1959.

भारतीय राज्यो के भूतपूर्व शासकों को जारी किए गए परि-पत्र

31. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में भारतीय राज्यो के भूतपूर्व शासकों को कितने पार-पत्र जारी किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

लंका में पाकिस्तान को पत्तन सम्बन्धी सुविधाएं

32. **श्री पी० के० देव : श्री समर गुह :**
श्री एस०एम० कृष्ण :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी-पाकिस्तान में वर्तमान संकट के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के लिये विमानों की उड़ानों के लिये लंका से पाकिस्तान को पत्तन सुविधाएं प्राप्त होती रही हैं ;

(ख) क्या भारत अथवा दूसरे मित्र राष्ट्रों ने लँका सरकार के सामने यह बात रखी थी कि पाकिस्तान को ऐसी सुविधायें न दी जायें; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में लंका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लंका सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान लंका द्वारा रखी गई अनेक शर्तों का पालन कर रहा हैं जैसे हवाई जहाज में युद्ध-सामग्री, सशस्त्र सेना और हथियार नहीं जा रहे हैं ।

भारतीयों द्वारा रूस की यात्रा

3?. **श्री पी० के०देव** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रूस सरकार के निमन्त्रण पर कितने भारतीय रूस की यात्रा पर गये थे ;

(ख) क्या रूस से भारत को विभिन्न क्षेत्रों के लिए मिलने वाले नियन्त्रणों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) रूस सरकार के निमंत्रण पर गत दो वर्षों में कितने भारतीय रूस की यात्रा पर गये इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के समक्ष रख दी जायेगी ।

पाकिस्तान और चीन के बीच सड़क का उद्घाटन

34. **श्री पी० के० देव :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन के बीच गिलगित और हुँजा को मिलाने वाली सड़क का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में से हो कर जाती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपी खबरे देखी हैं ।

(ख) जी हाँ । मोरखून से खुंजेराव दर्रे तक की इस सड़क की पूरी संरेखा भारतीय क्षेत्र में से गुजरती है जो फिलहाल पाकिस्तान के अवैध कबजे में है ।

(ग) जैसा कि सदन को जानकारी दी जा चुकी है, सरकार ने पाकिस्तान तथा चीन की सरकारों को स्पष्ट कर दिया है कि पाक अधिकृत काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए तथाकथित समझौते अवैध, गैर कानूनी हैं और हमें बिलकुल स्वीकार्य नहीं हैं ।

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध आग्नेयास्त्रो का प्रयोग

35. **श्री पी० के० देव :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई छात्र संघों एवं राजनीतिक दलों ने इण्डियन एयरलाइन्स के विमान को जलाये जाने के विरोध में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किये थे ;

(ख) क्या पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी थीं जिससे बहुत से पुलिस कर्मचारी और छात्र घायल हो गये थे ;

(ग) क्या पाकिस्तानी राजनयिज्ञों द्वारा आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन को उनके कर्मचारियों के इस प्रकार के असाधारण बर्ताव पर आश्चर्य और चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि इस प्रकार के बर्ताव ने प्रदर्शन कारियों को बहुत भड़काया एवं पुलिस के रक्षात्मक कार्य को नितान्त कठिन बना दिया।

पाकिस्तानी उच्चायोग के ब्रिगेडियर गुलाम हसन खां को अवांछित व्यक्ति घोषित करना

36. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से कहा हैं कि पाकिस्तानी उच्च आयोग के ब्रिगेडियर गुलाम हसन खां को अवांछित व्यक्ति घोषित करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाये जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी व्यौरा क्या है और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिह) : (क) और (ख) एक संसद सदस्य ने 1 अप्रैल 1971 को राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया था। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है लेकिन उसे अवांछित व्यक्ति घोषित करने का निश्चय नहीं किया है।

अशोधित तेल पर विदेशी मुद्रा की बचत

37. **श्री पी० गंगा देव** : **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री निहार लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप अशोधित तेल पर विदेशी मुद्रा की बचत करने के संबन्ध में सरकार योजना बना रही है तथा उपाय ढूंढ रही है ;

(ख) 1970 में विदेशी कम्पनियों के द्वारा अशोधित तेल के मूल्य बढ़ा दिये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितना धन व्यय करना पडेगा ; और

(ग) शोधन क्षमता कितनीं बढ़ जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) अशोधित तेल के आयात के लिये तेल कम्पनीयों द्वारा वर्तमान समय में लिए जा रहे अधिक मूल्यों के परिणामस्वरूप, अशोधित तेल पर विदेशी मुद्रा की बचत करने के सम्बन्ध में विभिन्न सम्भव उपाय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) 1970 में अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप, कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नही दी गई थी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल का आयात कम मात्रा मे किया गया था ।

(ग) चौथी योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में परिष्करण क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का आयोजन निम्न प्रकार है :—

(i) बरौनी 2·2	मिलियन	मिटरी	टन	से 3·4	मिलियन	मीटरी	टन	तक
(ii) कोचीन 2·5	"	"	"	3·5	"	"	"	
(iii) कोयाली 3·65	"	"	"	4.3	"	"	"	

(iv) 2·5 मिलियन मीटरी टन की उत्पादन क्षमता के साथ हल्दिया परिष्करणशाला के चालू होने की आशा है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत से युद्ध की तैयारी

38. **श्री पी० गंगा देव :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री हुकम चन्द कछवाय

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि पाकिस्तानी सैनिक खेमे बना रहे हैं तथा तोपें लगा रहे हैं और सवीमान्ती के निकट से भारतीय सीमा क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के आक्रमणात्मक क्षमता में वृद्धि करने की चेष्टाओं का पता है ।

भारतीय गावों के अन्दर गोली चलाने के विरोध में पाकिस्तान को विरोध-पत्र

39. **श्री पी० गंगा देव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 अप्रैल, 1971 को पाकिस्तान से कहा है कि वह पूर्वी बंगाल स्थिति अपनी सेनाओं को भारतीय गांवों में गोली-बारी करने से तुरन्त रोके।

(ख) क्या पाकिस्तान को एक विरोध-पत्र भी प्रेषित किया गया था जिसमें कहा गया था कि त्रिपुरा के गांव में अकारण पाकिस्तानी गोली बारी के कारण कुछ भारतीय घायल हो गये थे; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 15 अप्रैल 1971 को पाकिस्तान हाई कमीशन को दिए गए एक नोट में, भारत पूर्व बंगाल सीमा के साथ-साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की अकारण और आक्रामक गतिविधियों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है। इस नोट में, पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा के ग्राम में अकारण गोली चलाने का भी उल्लेख किया गया था जिसमें कुछ भारतीय राष्ट्रिक घायल हो गये थे, और पाकिस्तान सरकार से मांग की गई थी कि ऐसी आक्रमक गतिविधियां तुरन्त रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार अपनी सशस्त्र सेनाओं को निर्देश जारी करे।

(ग) उत्तर में, पाकिस्तान ने इस बात से इंकार किया है कि पाकिस्तानी सशत्र सेनाओं द्वारा भारतीय क्षेत्र में गोली चलाई गई थी।

कलकत्ता में पाकिस्तानी उच्चायोग तथा ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कार्यालयो का बन्द किया जाना

40. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री निहार लास्कर

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने कलकत्ता में अपने उप-उच्चायोग के कार्यालय को बन्द कर दिया है तथा कर्मचारियों को वापस बुला लिया है और भारत से कहा गया है कि वह भी ढ़ाका में अपने दूतावास को बन्द कर दे ; और

(ख) यदि हां; तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां

(ख) ढाका में अनुचित रूप से जो भारत का मिशन बन्द कर दिया गया है, उस पर सरकार खेद प्रकट करती है।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेलशोधन सम्बन्धी करारों का पुनरावलोकन

42. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, वर्तमान तेलशोधन सम्बन्धी वर्तमान करारों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में, कोई प्रस्ताव विदेशी तेल कम्पनियों को भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उन कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). परिष्करण शाला के करारों के संशोधन के बारे में विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कुछ अनौपचारिक बातचीत हुई हैं, ताकि जिस समय यह करार किए गए थे उस समय से बदली हुई परिस्थितियों में उन्हे वर्तमान नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। यह बातचीत अभी पूर्णतया अन्वेषण की अवस्था में है और इसे विस्तार में बताना जनहित में नही होगा।

सोड़ा-ऐश के संयन्त्रों का विस्तार

42. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्ययमान सोडा-ऐश संयंत्रों का विस्तार करने का विचार नहीं है ;

(ख) क्या इससे देश में सोडा-ऐश की अत्यधिक कमी और अधिक उग्र रूप धारण कर लेगी और

(ग) क्या देश में इसका उत्पादन मांग की अपेक्षा 60,000 टन कम हो रहा हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्तमान चार एककों (यूनिटों) में से, एक एकक को प्रति वर्ष 216,000 मीटरी टन से 360,000 मीटरी टन तक पर्याप्त विस्तार करने के लिए एक औद्योगिक लाइसैंस को पहले ही स्वीकृति दी गई है तथा अन्य एकक को प्रति वर्ष 40,000 मीटरी टन तक विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। अन्य दो एककों के पर्याप्त विस्तार करने हेतु औद्योगिक लाइसैंस के लिए प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(ख) इस विस्तार कार्य से कमियों को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) वर्तमान लक्षणों के अनुसार 1971 में माग एवं देशी उत्पादन में 40,000 मीटरी टन का अन्तर (गैप) होने की सम्भावना है।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में अध्यापकों के पद के लिए अर्हताएं

43. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मेडिकल कालेज में प्राध्यापक पद के लिए एम० डी० अपेक्षित अर्हता है ;

(ख) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज नई दिल्ली में, एम० बी० बी० एस० अर्हता प्राप्त एक डाक्टर की प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए०के० किस्कु) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1963 में मेडिकल कालेज में व्याख्याता पद के लिए जो अर्हताएं निरधारित हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1958 की अनुसूचि (i) या (ii) में अथवा अनुसूची (iii) (लाईसेंसशियेट अर्हताओं के अतिरिक्त) के भाग (ii) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं।

(ii) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

(iii) चिकित्सा कालेज । शिक्षण संस्थान में सम्बन्धित विशिष्टता के रजिस्ट्रार/टयूटर । डिमास्सट्रेटर के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता

44. **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने का इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). 30 नवम्बर, 1970 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या-2934 का जो उत्तर दिया गया था उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उस समय जो कहा गया था, उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत और जर्मन जनवादीगण राज्य के बीच सभी क्षेत्रों में संबधों के विकास से भारत सरकार संतुष्ट है और यह उनकी इच्छा है कि इन्हें और भी मजबूत बनाया जाय।

भारत की बढ़ती जनसंख्या को रोकनें के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम

45. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**

श्री राम सहाय पांडेय

क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या अभूतपूर्व गति से बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या परिवार नियोजन के लिये लागू किए गए निरोधात्मक उपाय असफल हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, जनसंख्या की बढ़ती हुई गति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1921-31, 1931-41 और 1941-51 की दशाब्दियों में जनसंख्या में क्रमशः 11·0, 14·2 और 13·3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1951-61 के दस वर्षों में जनसंख्या में 21.5 प्रतिशत बढोतरी हुई थी और 1961-71 में 24.57 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) 1961-71 की अवधि में जनसंख्या में 10 करोड़ 78 लाख की वृद्धि हुई है।

(ग) जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गये उपाय असफल नहीं रहे हैं। योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रशिक्षण विशेषज्ञ समिति ने अपने मध्यम प्रेक्षणों में अन्दाजा लगाया था कि 1 मार्च, 1971 को भारत की जनसंख्या 56 करोड़ 10 लाख हो जायगी। यह अनुमान दशाब्दि के दोरान 2.42 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ज्यामति वृद्धि दर के हिसाब से क्रमशः 39·8 और 15·6 की जन्म और मृत्यु दरों के औसत पूर्वानुमान पर आधारित था। 1-4-71 को भारत की अस्थायी संख्या 54 करोड़ 70 लाख है जो विशेषज्ञ समिति की मध्यम प्रेक्षपणों से लगभग 1 करोड़ 40 लाख कम है। परिवार नियोजन विभाग की गणना के अनुसार 1969-70 के अन्त तक किये गये कार्य के फलस्वरूप 52 लाख 2 हजार जन्म रोके गये हैं।

(घ) सरकार ने जन्म दर को कम करने के प्रयत्नों में वृद्धि कर दी है।

केरल में मेडिकल कालिज

46. **श्री० एम० के० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिए एक मैडिकल कालेज की मंजूरी देने का है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस विषय पर सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ०) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ०) त्रिचूर मे एक नया मेडिकल कालेज खोलने के बारे में केरल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है । साथ ही संसद के कुछेक सदस्यों एवं त्रिचूर म्युनिसिपल कालेज कमेटी के अध्यक्ष से भी एक अभ्यावेदन मिला है ।

50 लाख की आबादी के पीछे एक मेडिकल कालेज खोलने के राष्ट्रीय प्रतिमान के हिसाब से केरल में, जिसकी आबादी दो करोड़ है, वर्तमान चार मेडिकल कालेजो के अतिरिक्त चौथी योजना अवधि में कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोला जा सकता है । इसके अलावां, चौथे पंचवर्षीय आयोजना में चिकित्सा शिक्षा का विषय राज्य क्षेत्र में रखा गया है और इसके लिए धन की व्यवस्था करना राज्य सरकार का ही काम है ।

राज्य सरकार को तथा प्रतिनिधियों को स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया गया है ।

दिल्ली की झुग्गी झोंपडी बस्तियों में शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की व्यवस्था

47. **श्री वर्लीप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां के लिये शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों के लिए स्थान छोड़े हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). दिल्ली की वृहत योजना में, दिल्ली के विभिन्न भागों में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों की व्यवस्था की गई है । पृथक पृथक कालोनियां (जिनमें जे० जे० कालोनियां शामिल हैं) में इन सुविधाओं की अलग से व्यवस्था नहीं है । तथापि, नांगलोई, नजफगड रोड़ और मदनगीर जैसी कतिपय जे० जे० कालोनियों की, विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर, दिल्ली नगर निगन

द्वारा स्थाई स्थानों के विकासित किये जाने तक, इस उद्देश्य से, दिल्ली विकास प्राधीकरण ने वहां के रहने वालों की सुविधा के लिए अस्थाई स्थानों की व्यवस्था की है ।

दिल्ली झुग्गी-झोंपडी बस्तियों में प्लाटों के स्वाभित्व का हस्तान्तरण

48. **श्री दलीप सिंह** : क्या निर्माण आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में प्लाटों का स्वामित्व अलाटियों को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में जिनमें झुग्गी झोंपडी बस्तियों में अलाटियों ने अपने प्लाट अन्य लोगो को बेच दिए हैं या हस्तांतरित कर दिये हैं स्वामित्व अधिकारों के बारे में क्या नीति है ;

(ग) अलाटियों से प्लाटों का मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा ; और

(घ) क्या प्लाटों का मूल्य सुविधा जनक किश्तों में अथवा एक-मुश्त वसूल किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के गुजराल) : (क) से (घ). सम्पूर्ण योजना विचाराधीन है ।

दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में धार्मिक संस्थाओं के लिए प्लाटों का आवंटन

49. **श्री दलीप सिंह** : क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की झुग्गी-झोपडी बस्तियों में धार्मिक संस्थाओं अर्थात मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों आदि के लिए प्लाट आरक्षित नहीं किये गए है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इन प्लाटों के आवंटन के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ग) क्या इन झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों के निवासियों द्वारा संगठित धार्मिक संगठनों को प्लाट आवंटित किये जायेंगे ;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में ये प्लाट किन लोगों को आबंटित किये जायेंगे जहां ऐसे धार्मिक संगठन विद्यमान नहीं हैं ; और

(ङ०) क्या ऐसे संगठनों को ये प्लाट कीमत पर या मुफ्त आवटित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) झुग्गी

झोंपड़ी कालोनियां के ले-आउट प्लानों में धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थान निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(ख) ऐसे स्थान पंजीकृत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठनों को आबंटित किए जा सकते हैं।

(ग) जी, हां ; बशर्ते कि ऐसे संगठन पंजीकृत हों।

(घ) ऐसे स्थानों के आबंटन के लिए जे० जे० कालोनियां के निवासियो से अन्य रजिस्टंड धार्मिक संगठनों पर भी विचार किया जा सकता है; और

(ङ) आबंटन पट्टे (लीज होल्ड) के आधार पर किए जाते हैं और आबंटियों को ऐसे आबंटित किए गये प्लाटों के लिए प्रीमियम के अतिरिक्त वार्षिक भूमि किराया देना होता है।

Indian Families Uprooted in East Bengal

51. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the **Videsh** Mantri be pleased to state :

(a) the number of Indian families uprooted as a result of the recent attack launched by Pakistani forces on unarmed civilians living in East Bengal;

(b) The steps proposed to be taken by Government to help them;

(c) The number of Indian nationals killed so far there; and

(d) Whether the Pakistani Army also completely destroyed the Indian colony in the middle of Dacca Race Course alongwith its residents ?

Videsh Mantralaya men Up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) Government knows of no Indian families uprooted, nor Indian nationals killed, as a result of the attack launched by Pakistani for.es.

(d). There was no Indian colony in the middle of Dacca Race Course.

आसाम के कुसीजन क्षेत्र में तेल का पाया जाना

53. **श्री आर० कडनापल्ली :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम के कुसीजन क्षेत्रों में कुछ तेल पाया गया है;

(ख) इस तेल क्षेत्र में एक वर्ष में कितना अशोधित तेल पैदा करने की क्षमता होगी; और

(ग) इस तेल-क्षेत्र में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुसीजन में व्यधित किये गये 5 कुओं में से केवल एक कुएं से थोड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ। इस सम्बन्ध में किये गये और परीक्षणों से पता चला कि उक्त कुआ कम क्षमता वाला था तथा निरन्तर उत्पादन करने में असमर्थ था। अतः दो और कुए

व्यधित किये गये किन्तु इनमें से किसी में भी तेल का उत्पादन नहीं हुआ। अब तक प्राप्त परिणामों से पता लगता है कि कुसीजन के निकटवर्ती क्षेत्र में तेल की सम्भावनाएं कम है।

लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग पर किया जाने वाला व्यय

54. **श्री वीरेन दत्त** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयोग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और प्रतिवर्ष इस आयोग पर कितना धन व्यय किया जा रहा है;

(ख) क्या उपर्युक्त आयोग का व्यय कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

विदेश मन्त्रालय के प्रशासनिक एवं बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के अधीन लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या 1971 में इस प्रकार है :—

(1) भारत आस्थानी	65
(2) स्थानिक	252

विदेश मन्त्रालय के प्रशासनिक एवं बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के अधीन हाई कमीशन के विभागों के लिए 1971-72 के बजट में सम्मिलित वार्षिक व्यय 126·46 लाख रुपये है।

लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन की कार्यात्मक प्रभावकारि के अनुकूल मितव्यय का प्रश्न, हमेशा सरकार की संरक्षा और ध्यान में रहता है।

1967 से 1971 तक की अवधि में विदेश सेवा निरीक्षकों ने लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन का तीन बार निरीक्षण किया और खास तौर से, कर्मचारियों को रखने की पद्धति देखी। हाल ही में विदेश मन्त्रालय के प्रशासनिक एवं बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के अधीन विभागों में 25 पदों को घटाया गया और 14 पदों को रिक्त रखा जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष कुल वार्षिक आवर्ती बचत 6·95 लाख रु० होने का अनुमान है।

1968-69 में, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो के नियन्त्रण में जिसमें विदेश मन्त्रालय भी शामिल है, लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन के सभी विभागों में 745 पद थे। 1970-71 में पदों की संख्या घटाकर 646 कर दी गई। इस प्रकार दो वर्षों में कुल मिलाकर 99 पद घटे। 1968-69 में हाई कमीशन के सभी विभागों पर 252·14 लाख रु० खर्च हुए, जबकि 1970-71 के

लिये खाते में (जो अभी भी अगस्त 1971 तक खुला है) अब तक 173·28 लाख रु० का हिसाब है। इसका अर्थ यह होगा कि लगभग 75 लाख की वार्षिक बचत होगी।

दक्षिण दिल्ली स्थित बस्तियों को वजीराबाद से पानी की सप्लाई

55. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली स्थित बस्तियों को वजीराबाद से पानी सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास था ;

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव अब किस अवस्था में है; और

(ग) दक्षिण दिल्ली स्थित बस्तियों को वजीराबाद से कब तक पानी सप्लाई करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). दक्षिण दिल्ली स्थित बस्तियों में वजीराबाद से पानी देने की योजना दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस उपक्रम ने सूचित किया है कि यह निर्माण कार्य समाप्ति पर है और जुलाई 1971 के मध्य तक इसके पूरा होने की सम्भावना है। इसके पूरा होने तथा परीक्षण के पश्चात आशा है शीघ्र ही यहां से पानी दिया जाने लगेगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

56. **श्री शशि भूषण** :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों में यह व्यवस्था है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन के नामों की सिफारिश उनके सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा इसलिये की जाती है कि वे विभाग में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कुछ सरकारी कार्यालयों तथा विभागों से कोई ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है; और

(ग) सरकार ने आवास का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के लिये क्या कार्यवाही की है और उनका कब तक आवंटन किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) आवंटन नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु वर्तमान नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार

लोक सभा । राज्य सभा के उन प्रमुख व्यक्तियों को जिन्हें देर तक कार्य करना अपेक्षित है, को अध्यक्ष, लोक सभा । सभापति राज्य सभा की सिफारिश पर वास के तदर्थ आवंटन के मामलों पर विचार किया जा सकता है ।

(ख) जी, हां । लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) लोक सभा । राज्य सभा सचिवालयों के परामर्श से, प्राप्त आवेदनो की जांच की जा रही है, तथा यह नहीं कहा जा सकता कि किस समय तक आवंटन करना सम्भव होगा, क्योंकि यह खाली होने वाले मकानों पर भी निर्भर करता है ।

झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिये सामाजिक आवास योजना

57. **श्री शशि भूषण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी तथा गन्दी बस्तियों के बारे में एक सामाजिक आवास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इससे झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा; और

(घ) उपर्युक्त योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों को सुविधाओं की व्यवस्था के लिये और उन्हें बसाने की योजना के ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण

58. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अनुभाग अधिकारियों का हर तीन वर्ष के बाद स्थानान्तरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिद्धान्त का पालन सख्ती के साथ किया जाता है;

(ग) क्या साउथ एवेन्यु इन्क्वायरी आफिस, नई दिल्ली के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) से (घ).

सैक्शनल आफीसरों की किसी एक स्थान विशेष पर लगातार काम करने की सामान्य अवधि चार वर्ष है। तथापि, उन्हें किसी एक स्थान पर इस सामान्य अवधि से ज्यादा देर रहने की अधिक से अधिक 8 वर्ष तक रहने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वे अनुरक्षण, या निर्माण, अथवा आयोजना जैसे किसी मण्डल विशेष या ग्रुप में चार वर्ष से अधिक के लिये काम न करें। इसे सेवा की आवश्यकताओं के लिये घटाया या और बढ़ाया जा सकता है। साउथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय में एक सेक्शनल अधिकारी है जो दिल्ली में 8 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है, तथा उसने अनुरक्षण वर्ग में भी चार वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण कर ली है। अतः उसका अब दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण वांछनीय है। वास्तव में, उसके स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके थे, किन्तु नई संसद का अधिवेशन क्योंकि 22 मार्च, 1971 को बुलाया गया था तथा कुछ संसद सदस्य जो पुनः निर्वाचित नहीं हुए, उन्हें अपने फलैट खाली करने थे तथा नये संसद सदस्यों को उनका दखल देना था, इस संक्रमण काल में इस परिवर्तन को करना, उचित नहीं समझा गया था, तथा उसे 30 जून, 1971 तक रोक दिया गया है, तब उसे दिल्ली से बाहर अपना नया कार्यभार संभालने के लिये उसके वर्तमान पद से मुक्त किया जायेगा।

Transfer of Sectional Officer of the Central Public works Department

59. **Shri Ramshekhar Prasad Singh :** will the Nirman Aur Awas Mantri be pleased to state :

(a) Whether the employees in the Central public works Department are transferred after they complete three years period of their service at one place;

(b) If so, the number of the employees working in enquiry offices attached to M. Ps. flats who have not been transferred even after completion of three years period of their service at one place and the reasons therefor and the names of such employees and officers;

(c) Whether Government have received any complaint from any M. P. against the officers working in these enquiry offices; and

(d) If so, the action taken so far in this regard ?

Nirman Aur Awas Mantralaya Men Rajya Mantri (Shri I. K. Gujral) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

The normal period of continuous stay of a Sectional officer at a particular station is four years. They can, however, be allowed to remain at any station beyond the normal period of stay upto a maximum period of 8 years provided it is ensured that they do not serve in any particular Division or a Group such as Maintenance or Construction or Planning for more than 4 years. This can be reduced or extended further in the exigencies of service.

(c) and (d) : Two complaints were received against one Junior Engineer (Civil). It has been decided to transfer him from the Enquiry office and orders transferring him outside Delhi have been issued and he is expected to be relieved of his present post by the 30th June, 1971

हल्दिया तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी परियोजना की प्रगति

60. **श्री सतीश चन्द्र सामन्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस समय कोई निर्माण कार्य चल रहा है;

(ग) इसमें से कितना निमाण कार्य सरकारी विभाग द्वारा और कितना ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है;

(घ) कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं; और

(ङ) क्या तेल शोधक कारखाने का मुख्य कार्यालय हल्दिया ले जाया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) हल्दिया परिष्करणशाला के निर्माण में हुई समग्र प्रगति की 31, मार्च 1971 को स्थिति निम्न प्रकार है :—

	टैकनिप ई आई एल एन डी	टैकनिप फ्रांस	पेट्रोल ई आई एन एल डी	पेट्रोम रोमानियां	ई आइ एल की सीधी सेवा
इंजीनियरिंग	82·8%	70%	64%	57%	45·7%
निर्माण		**टैकनिप** 20%		**आई० ई०** 10%	**ई० आई० एल०** 21·4%

स्थल पर इस समय हो रहे भूमि कार्य तथा स्थल निर्धारण, टैंको के पूर्व लदान और टैंक पैड बनाने, सड़कों, उपनगर एवं गोदाम के निर्माण, नल-कूप लगाने, टैंक निर्माण, बल्लियों तथा नीवों से सम्बन्धित कार्य आदि निर्माण कायों में प्रगति हो रही है ।

(ग) समस्त निर्माण कार्य तीन प्रमुख ठेकेदारों अर्थात फ्रांस के टैकनिप, रूमानिया के पैट्रोम तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रम-इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) की समग्र देख रेख एव उत्तरदायित्व के अधीन अन्य एजंसियों द्वारा किया जा रहा है ।

(घ) उपनगर के 208 निवास स्थानों के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है । इसके अतिरिक्त भारतीय तेल निगम ने भी आवास सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हाथीबेरिया में दक्षिण-पूर्व रेलवे से 42 मकान और पश्चिम बंगाल सरकार की औद्योगिक आवास परियोजना से 30 खण्ड ले लिये हैं ।

(ङ) जी हां ।

विदेशों में केरल की लड़कियों का बेचा जाना

61. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री के० लकप्पा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में केरल की लड़कियों की कथित बिक्री सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन सरकार को इस बीच प्राप्त हो गया है ।

(ख) क्या केरल राज्य से अभी भी लड़कियों का अपहरण किया जाता है तथा उनको विदेशों में बेचा जाता है : और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोइ कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) . कुछ यूरोपीय देशों के कान्वेंटों के हाथ केरल की कैथोलिक लड़कियों की तथाकथित बिक्री के बारे में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी विस्तृत जांच-पड़ताल पूरी होने वाली है और आशा है कि सरकार शीघ्र ही उसके निष्कर्षों को सभा पटल पर रख देगी।

कोहिमा में नागा नेताओं की बैठक

62. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा में अप्रैल 1971 के अंतिम सप्ताह में, नागालैंड में स्थायी शांति स्थापित करने तथा संतोषजनक राजनीतिक समझौते की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नागा नेताओं की कोई बैठक हुई थी;

(ख) क्या बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा राज्य की अवस्था पर चिन्ता व्यक्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) नागालैंड प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार है । इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वही कार्यवाही की जायेगी जो अन्य राज्यों में जनसाधारण के मामलों से सम्बन्धित जनसभा के प्रस्तावों पर की जाती है ।

भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में जल तथा वायु को दूषित होने से बचाना

63. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री देश के

विकासशील औद्योगिक क्षेत्रों में जल तथा वायु को दूषित होने से बचाने के लिये की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : सरकार का विचार है कि देश में जल एवं वायु दूषण के नियन्त्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाना है। सरकार ने जल दूषण निवारण विधेयक, 1969 नामक एक विधेयक पहले ही राज्य सभा में पेश कर दिया है। सरकार वायु दूषण निवारण पर भी कोई कानून बनाना चाहती है। इसके लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई है जो इस समस्या का पूरा-पूरा अध्ययन करेगी तथा उपयुक्त कानून का मसौदा तैयार करेगी।

तमिल नाडु राज्य में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए वित्तीय सहायता

64. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिल नाडु राज्य में मद्रास, त्रिचुरापल्लि, मदुरै और कोयम्बतूर नगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार की क्या योजनाएं हैं; और

(ख) इन योजनाओं के लिये राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) गन्दी बस्ती हटाओ सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है। तदनुसार, राज्य सरकार गन्दी बस्तियों के सुधार के बारे में तथा गन्दे क्षेत्रों के उन्मूलन तथा पुनर्विकास के लिये परियोजनाओं के बनाने व स्वीकृत करने में सक्षम है। अतः निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास, तमिलनाडु सरकार द्वारा, मद्रास, तिरुचनापल्ली, मदुरे और कोयम्बतूर के नगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा नहीं है।

(ख) चौथी योजना के आरम्भ से, राज्य सरकारों को, राज्य क्षेत्र में सभी विकास कार्यक्रमों के लिये (जिसमें गन्दी बस्ती हटाओ। सुधार योजना शामिल है) केन्द्रीय सहायता खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में उपलब्ध की जा रही है। राज्य सरकारें, विभिन्न योजनाओं के लिये अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा जप्त की गई भारतीय सम्पत्ति का बेचा जाना

65. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान द्वारा 1965 के संघर्ष में जब्त की गई सारी भारतीय सम्पत्ति को बेच दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और इस सम्बन्ध में यदि भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 1965 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई सम्पत्तियों की बिक्री के लिये पाकिस्तान के समाचार-पत्रों में, समय-समय पर, छपे नोटिसो को सरकार ने देखा है ।

सरकार ने ऐसी बिक्री के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार से विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि वह अवैध और अन्तर्राष्ट्रीय विधि और प्रथा के विरुद्ध है और उस सरकार से सम्पत्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि 1966 की ताशकंद घोषणा में निहित है ।

प्रतिरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन

66. **श्री के० लकप्पा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा की बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रतिरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) अपनी रक्षा व्यवस्थाओं को बनाते समय भारत की सीमा पार के विकासों को ध्यान में रखा जाता है।

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

68. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक बरौनी-हल्दिया पाइपलाइन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं । पाइपलाइन जांच आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

69. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या बढ़ते हुए घाटे को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पूर्व नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि० को समाप्त करने का निर्णय किया गया था परन्तु बाद में इस निर्णय को रद्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कई लाख रुपये की अपनी देनदारियों की कम्पनी द्वारा किस प्रकार अदायगी करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क से (ग) 1967 में इस बारे में एक प्रस्ताव था, किन्तु सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया। कम्पनी को देय बकायों का तत्परता से उगाही के लिए तथा कम्पनी द्वारा उठाई गई हानियां, जो अब कम्पनी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के कुल मूल्य के लगभग 6 प्रतिशत है, कम करने के लिए उपाय विचाराधीन है।

हांगकांग में भारतीय व्यापार आयुक्त द्वारा कैन्टन व्यापार मेले का दौरा

70. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग स्थित भारतीय व्यापार आयुक्त ने अभी हाल में कैन्टन व्यापार मेले की यात्रा की थी ;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधि को मेले में आमंत्रित किया गया था अथवा उसने स्वयं ही मेले की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी ; और

(ग) क्या भारत द्वारा मेले में भाग लेने से दोनों देशों के बीच मतभेदों में कमी का संकेत मिलता है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हांगकांग में भारतीय आयुक्त ने अप्रैल 1971 में कैन्टन व्यापार मेले की यात्रा की थी।

(ख) उन्होने इस मेले की यात्रा अपनी इच्छा से की थी।

(ग) यह सामान्य यात्रा थी और इसका कोई राजनीतिक आशय नही है।

Financial Aid to Medical Institution from Discretionary Fund of the Minister

71. **Shri Partap Singh Negi** : will the **Swasthya Aur Pariwar Niyojan** Mantri be pleased to state :

(a) The names of the persons and medical institutions who were given financial grants from his Discretionary fund during the year 1970-71 and the amount there of, and

(b) The names of the persons and the medical institutions in Uttar Pradesh who were given financial grants out of the said fund during the period from 1967-68 to 1970-71 ?

Swasthya Aur Pariwar Niyojan Mantralaya men-Up Mantri (Shri A. K. Kisku) : (a)

and (b) : Statements containing the required information are attached, **[Placed in Library See No. L. T. 187/71]**

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

72. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम और** रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों विदेशी तेल कम्पनियां कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि करने की बराबर मांग कर रही है, विदेशी मुद्राओं में भुगतान करने पर जोर दे रही हैं तथा भारतीय तेल कम्पनियों के साथ अनुचित प्रतियोगिता कर रही हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बंधि ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा दोनों स्थितियों में देश के क्या आर्थिक लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) खाड़ी क्षेत्र के तेल-उत्पादनकर्ता एवं निर्यातकर्ता देशों (ओ पी ई सी) तथा क्षेत्र में कार्य कर रही तेल कम्पनियों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप, तीन विदेशी तेल कम्पनियों सहित अशोधित तेल के समस्त प्रदायकों ने अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के लिए अनुरोध किया है। अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग के अतिरिक्त, अशोधित तेल के लिए भुगतान करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नही है और न ही किसी भारतीय तेल कम्पनी के साथ अशोधित तेल के आयात में किसी प्रकार की कोई अनुचित प्रतियोगिता है।

(ख) और (ग) : विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई तात्कालिक प्रस्ताव नही है। इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेते समय प्रस्ताव का आर्थिक मूल्यांकन सहित बड़ी संख्या में तथ्यों पर विचार करना होगा।

प्रतिरक्षा सामग्री का उत्पादन

73. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा सामग्री का देश के भीतर ही कितने अनुपात में उत्पादन होता है तथा उसका मूल्य तथा मात्रा क्या है ;

(ख) कतिपय बाहरी देशों से आयात की जाने वाली प्रतिरक्षा सामग्री का अनुपात तथा तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और क्रमश: रूपये एवम् विदेशी मुद्रा के रूप में उसका मूल्य कितना है ; और

(ग) प्रतिरक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं तथा तुरन्त ही आत्मनिर्भर न हो सकने के क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन, रक्षा मन्त्रालय, में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस सूचना को बताना सार्वजनिक हित में नही होगा ।

(ख) अपनी कुछ तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए कुछ अन्य देशों से कुछ सामग्री प्राप्त करते हैं और उसके ब्यौरे बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा । हमारी नीति महत्वपूर्ण रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की है, तथापि देश में निर्मित मात्रा में वृद्धि करने अथवा कुछ इस प्रकार की सामग्री को आयात करने की आवश्यकता रहती है जिनका देश में उत्पादन करना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होता ।

(ग) रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया जा सकता है, क्योंकि रक्षा तकनीक में होती हुई तीव्र उन्नति और अन्य देशों में अधिक शक्तिशाली तथा जटिल उपस्करों के विकास के कारण रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है । हथियारों और अन्य रक्षा उपस्कारों का उत्पादन एक लगातार विकसित प्रक्रिया है और आत्मनिर्भरता केवल सम्बन्धित शब्दों में ही प्राप्त की जा सकती है । तथापि लागत पूंजी हमारी आवश्यकताओं की मात्रा, उपलब्ध जानकारी आदि विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए आत्म निर्भरता की दिशा में लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

संसद सदस्यों के बंगलों के सेवक क्वार्टरों में बिजली के मीटरों का लगाया जाना

74. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के बंगलों से सम्बन्ध दो सेवक क्वार्टरों में से केवल एक क्वार्टर में ही बिजली का मीटर लगाया जाता है जबकि विजली की फिटिंग दोनो क्वाटरों में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनमें रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का पता है ; और

(ग) क्या प्रतिभूति की राशि जमा किये जाने पर दोनों ही क्वार्टरों में बिजली के मीटर लगाने के आदेश दिये गए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां । दोनो सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली है, किन्तु बिजली का मीटर दोनों क्वार्टरों का सांझा है, क्यों कि बिजली की खपत का बिल संसद् सदस्य द्वारा अदा किया जाता है, जिनके नाम में सर्वेंट क्वार्टरों सहित मुख्य बंगला आवंटित है ।

(ख) उपरोक्त (क) में बताई गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पृथक मीटरों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा जाता, क्योंकि खपत

प्रभारों की अदायगी आवंटियों द्वारा की जानी है न की सर्वेंट क्वार्टरों के दखलकार, नौकरों द्वारा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की झिलमिल ताहिरपुर आवासीय योजना

75. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की झिलमिल ताहिरपुर आवासीय योजना में लाटरी द्वारा आवंटित 125 वर्ग गज के भूखण्डो के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 29 रु० प्रति वर्ग गज कीमत वसूल की थी ;

(ख) क्या 1959 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओ के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिन्हें उसी कालोनी में वैकल्पिक भूखण्डो का आवंटन किया जा रहा है, उन्ही भूखन्डो की कीमत उनसे 44 रू० प्रति वर्ग गज की दर से वसूल की जा रही है ।

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्ग के व्यक्तियों से अधिक कीमत वसूल करने के क्या कारण हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के फायदे के लिए अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा था ; और

(घ) क्या दोनो श्रेणियों के आवंटियों से एक ही कीमत वसूल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) जी हां । इन प्लाटों का आबंटन निम्न आय वर्ग के लोगों को लागत से कम मूल्यों पर किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए जिन मालिको की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तंगत, भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (अथवा न्यायालय, जैसा भी मामला हो) द्वारा निर्धारित पूर्ण मुआवजे के हकदार हैं । तथापि, सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में, उनको पुर्व निर्धारित दरों पर विकासित रिहायती प्लाटों के आवंटन का निर्णय किया है । यह स्वयं ही एक रियायत है ।

(घ) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

ब्रिटेन का विदेशी एशियाई आप्रवास विधेयक

76. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड में रहने वाले भारतीयों ने ब्रिटेन के एशियाई आप्रवास विधेयक के विरूद्ध आवाज उठायी है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से भी सम्पर्क किया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आप्रवास विधेयक की कुछ खास बातों से सरकार को गहरी चिन्ता है।

(ग) जी हां, हमने ब्रिटिश सरकार को इस विधेयक के संबंध में अपने विचारों से पहले ही अवगत करा दिया है।

कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना

77. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या कुछ विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सम्पूर्ण कार्य-क्रम में विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) स्वीकृति प्राप्त होने के 3 वर्ष के भीतर संयत्र स्थापित हो जायगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना

78. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय स्तर के प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) उक्त बोर्ड की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सदस्य महोदय का विचार सम्भवतः आयुध उत्पादन बोर्ड के लिए है जिसको 1 मई 1971 से मन्त्रालय स्तर पर स्थापित कर दिया गया है।

Functioning of D.D.A.

79. **Shri N.S. Bisht** : will the **Nirman Aur Awas** Mantri be pleased to state :

(a) the outlines of the aims and objects for which the Delhi Development Authority was set up ;

(b) the extent to which the prices of land have increased in Delhi and its suburban areas after the setting up of the Delhi Development Authority ;

(c) the measures taken by the DDA to check the increase in the prices of land and the extent to which it has succeeded in this direction ; and

(d) the action proposed to be taken by the D. D. A. to provide land at cheaper rates to the people belonging to low and middle income groups in future ?

Nirman Aur Awas Mantralaya Men Rajya Mantri (Shri I. K. Gujral) : (a) To promote and secure the development of Delhi according to the Master Plan.

(b) No quantitative assessment has been made.

(c) **and** (d) : Persons in the low and middle income groups are allotted plots at rates based on the cost of acquisition, development etc., The rates have gone up in some cases mainly due to the following reasons ;

(i) enhancement of compensation for land by the courts ;

(ii) increase in the cost of development including cost of electrification demanded by the Delhi Electric Supply Undertaking ; and

(iii) change in the layout plans with a view to carving out a larger numder of smaller plots.

A Committee has been appointed to go into the matter.

Allotment of Plots to Low and Middle Income Groups

80. **Shri N. S. Bisht** : will the **Nirman Aur Awas** Mantri be pleased to State :

(a) the rates of compensation given by the Delhi Development Authority, the land acquired by it in various parts of Delhi and the amount of expenditure per square metre incurred by it on the development of such land in various areas ;

(b) the rates per square metre of the plots allotted or auctioned so far by the Delhi Development Authority during the last three years and the year-wise details there of ; and

(c) the reasons for earning huge profits by disposing of the developed plots in various areas through auction and not allotting the plots to the people belonging to the low and middle income groups through lottery on reasonable rates ?

Nirman Aur Awas Mantralaya Men Rajya Mantri (Shri I.K. Gujral) : **(a)** The land in Delhi is acquired and compensation paid by the Delhi Administration. No firm assessment of the compensation rates can be made for the reason that enhancements are often subsequently awarded by the Courts. However, the pool prices of acquisition for different zones approved by the Lt. Governor vary approximately from Rs. 5 to Rs. 8 per square metre depending upon the location of the aquired land. The cost of developm

also varies from scheme to scheme. It comes approximately to Rs. 14 per square metre of the gross area taken up for development.

(b) the information is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

(c) It is the policy of Government to dispose of developed land by auction except in cases such as those of the low and middle income groups which fall in the excepted categories. They are allotted residential plots at predetermined rates based on cost of acquisition and development etc. by draw of lots. Simultaneously with development of plots for auction, the DDA are also developing plots for allotment to the low and middle income groups.

Acquisition of Land Between Pithoragarh and Dharchula

81. **Shri N. S. Bisht** : will the **Raksha** Mantri be pleased to state:

(a) whether land between Pithoragarh and Dharchula has been acquired for Cantonment purpose ;

(b) if so, whether as a result of the acquistion of that land, a large number of persons have been rendered homeless ;

(c) if so, whether Government propose to allot land to those homeless people in Tarai Bhawar on top priority bassis ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the measures proposed to be adopted by Government for their rehabilitation on top-priority basis ?

Raksha Mantri (**Shri Jagjivan Ram**) : (a) No land between Pithoragarh and Dharchula has been acquired for cantonment purposes. However, sanction has been issued for acquisition of the following land in the area between Pithoragarh and Dharchula :-

Location	Area (in acres)	
(i) Between Pithoragarh and Dharchula.	93.770	Presently held on hire.
(ii) Dharchula.	142.649	presently held on requisition.
(iii) Askot	11.328	-do-
(iv) South East of Pithoragarh Town.	2969 (comprising 600 acres of private land and 2369 acres of State Govt land).	The land is in the process of being acquired and handed over to the army.

(b) Most of the land, which is being acquired **vide** (**a**) above, was already in occupation by Defence and, as such, no individual has been rendered homeless. It is, however understood that about 500 persons would be displaced on account of the acquisition of 600 acres of private land.

(c) to (e) The individuals whose land is being acquied are entitlrcd to get compensation as assessed by the local Revenue authorities. Their further rehabilitation is a matter for the State Government to consider.

भारतीय उप-उच्चायुक्त की पत्नी के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार

83 **श्री सी० चित्ती बाबू :**
श्री सेझियान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त की पत्नी के साथ कराची में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उस समय दुर्व्यवहार किया गया जबकि वह भारत आ रही थीं;

(ख) यदि हां तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा राजनयिक शिष्टाचार और नियमों के सरासर उल्लंघन को दृष्टि में रखते हुए, अपने राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ढाका में वायुयान पर चढ़ते समय उनके सामान यहां तक की उनके हेन्ड बैंग तक की तलाशी ली गई और 21 अप्रैल, 1971 में कराची हवाई अड्डे पर वायुयान में चढ़ने से उन्हें रोका गया। दो दिन के बाद पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकने के लिए दूसरा प्रयत्न किया गया बावजूद इस तथ्य के कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय से निरापद आचरण का आश्वासन प्राप्त किया जा चुका था।

(ग) सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों की इस कार्यवाही का सख्त विरोध किया है और इस बात का संकेत किया है कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा एवं हिफाजत का उत्तरदायित्व उस सरकार पर है।

ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी के एक सदस्य द्वारा बंगला देश की यात्रा

84 **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत तथा बंगला देश की यात्रा करने वाले, ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी के एक सदस्य ने बंगला देश में युद्ध तथा नर संहार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रमंडलीय देशों का एक विशेष सम्मेलन बुलाने के साथ साथ राष्ट्रमण्डलीय स्तर पर कुछ कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इससे संबंधित खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार राष्ट्रमंडल के सदस्यों सहित अनेक देशों में संपर्क बनाये हुए हैं और उनपर पूर्व बंगाल में हो रहे जातिसंहार को शीघ्र समाप्त करने हेतु पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर डाल रही है।

महाराष्ट्र में डी० डी० टी० फ़ैक्टरी

85 **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में एक डी० डी० टी० फैक्टरी की स्थापना कर रही है;

(ख) क्या कनाडा, स्वीडन, हंगरी, नार्वे जापान और साइप्रस जैसे कतिपय देशों ने डी० डी० टी० के प्रयोग पर रोक लगा दी है; और

(ग) क्या डी० डी० टी० के प्रयोग पर अन्तराष्ट्रीय प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सरकार महाराष्ट्र में डी० डी० टी० फैक्टरी की स्थापना करने के अपने विचार को छोड देगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) महाराष्ट्र में रासायनी नामक स्थान पर एक डी० डी० टी० कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) सरकार के पास सूचना है कि कुछ देशों ने डी० डी० टी० के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया है स्वीडन ने, आर्थिक विचार पर आधारित कइ कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए इसके प्रयोग को प्रतिबन्धित किया है।

(ग) जी नहीं। तथापि डी० डी० टी० की आगामी आवश्यकताओं के, हाल ही में किये गये पुनरीक्षण से पता लगा है कि पूर्वानुमानित माँग की तुलना में यह पर्याप्त रूप में कम होगी।

प्रचलित औषधियों की कीमतों में वृद्धि

86 **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या ए० पी० सी० मिल्क आफ मैग्नेशिया आदि प्रचलित औषधियों के खुदरा मूल्यों में जनवरी के बाद 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इन औषधियों के मूल्यों में वृद्धिऔषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के कारण हुई है; और

(ग) प्रचलित औषधियों के मूल्यों को स्थिर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नही है। औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत लोकप्रिय दवाइयों के प्रसिद्ध मार्कों के मूल्य निर्धारित करते समय मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिये सावधानी बर्ती गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और बातों के साथ साथ औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 में यह व्यवस्था है कि सूत्रयोगों के मूल्य जो एक बार निर्धारित किये जायेंगे उनमें सरकार की पूर्व अनुमति लिये बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी। कुछ शर्तों के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली किफायतों का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

दक्षिण में पैट्रो-रासायन उद्योग समूह

87. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण में एक पेट्री रसायन उद्योग समूह के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपहृत भारतीय विमान के लिए क्षतिपूर्ति

88 **श्री मायावन** : **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्याप्त क्षतिपूर्ति और पाकिस्तान से अपहरण कर्ताओं की वापसी के लिए आग्रह नहीं करने के लिए तैयार है ;

(ख) क्या भारत ने द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा इस मामले को सहज रूप में निपटाने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार मुआवजा देने, अपहरण कर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने और भविष्य के लिए आसवासन देने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाल रही है।

(ख) और (ग) : सरकार का विचार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा इस मामले को भली-भांति निपटाया जा सकता है।

मद्रास नगर के द्वीपों में भवनों का निर्माण।

89. **श्री मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर के द्वीपों में भवनों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तामिलनाडु सरकार ने अपने मन्त्रालय को कुछ आपत्तियां लिख कर भेजी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले द्वीपों को भूमि पर भवनों के निर्माण की परियोजना संस्वीकृत कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

पनडुब्बियों का पता लगाने के लिये हलके सेतु उपकरणों, मत्स्य नौकाओं पटरियों, जुगतों का व्यापक निर्माण

90. **श्री मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पनडुब्बियों का पता लगाने में काम आने वाले हलके सेतू उपकरणों मत्स्य नौकाओं, पटरियों और जुगतों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1970-71 में आरम्भ की गई 1200 प्रतिरक्षा अनुसन्धान परियोजनाओं के साथ समायोजन रखने के लिये सरकार का कब तक ऐसा करने का विचार है ?

रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **(क) और** (ख) हलके सेतू तथा आक्रमण के लिए पटरियों को उत्पादन करने के लिए योजनाएं बना ली गई है। पनडुब्बियो का

पता लगाने के लिए प्रयोग में आने वाले उपस्करों के विकास के लिए क्षमता बनाई जा रही है।

रगंक द्रव्य उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिश

91. **श्री बी० नारायणन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगक द्रव्य उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निदेश पद क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। रंगक-सामग्री उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि रंगक सामग्री उद्योग के बारे में क्षमता, उत्पादन, गुण, मूल्य, सप्लाई एवं मांग का विस्तृत ल्यांकन करने के लिये एक स्थायी समिती की स्थापना की जाये सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और स्थायी समिति स्थापित करने के औपचारिक आदेशों के शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है।

निरोध वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत प्रचार पर व्यय

92. **श्री दण्डपाणि** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरोध वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत प्रचार मे गिरावट और वर्ष 1970-71 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में तीव्रता लाने हेतू उपकरणों और गर्भ निरोधकों की खरीद पर होने वाले व्यय में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या जन संख्या पर नियन्त्रण के प्रयासों में कुछ ढील दे दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० डी० पी० चटटोपाध्याय): (क) वर्ष 1970-71 में निरोध व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत प्रचार पर तथा प्रचलित गर्भनिरोधकों पर खर्च में वृदि हुई जो इस प्रकार है :-

वर्ष	निरोधक व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत प्रचार रूपये (लाखों में)	प्रचलित गर्भनिरोधक रूपये (लाखों में)
1969-70	25	58.19
1970–71	45	120.00

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम

93. **श्री दण्डपाणि** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौ सेना के आधुनिकीकरण के लिये विशाखापत्तनम नौ सेनिक अड्डे पर हाथ में लिये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). विशाखापत्तनम नौ सैनिक अड्डे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

दक्षिण पूर्व एशिया के लिये नया गठजोड़

94. **श्री सामिनाथन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सैनिकों और अस्त्रों से सुसज्जित छोटे 'नाटो के प्रकार का गठबन्धन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नये गठबन्धन के निर्माण के लिए कौन कौन से राष्ट्रमण्डल देश सक्रिय है ; और

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) सरकार को मिली सूचना के अनुसार मलयेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और ब्रिटेन इन पांच राष्ट्रमंडलीय देशों ने एक पांच शक्ति सुरक्षा प्रबन्ध समझौता किया है जिसके अधीन मलयेशिया और सिंगापुर को विदेशी हमले से सुरक्षा की गारन्टी दी गई है।

(ग) भारत इस पांचशक्ति सुरक्षा प्रबन्ध का सदस्य नहीं है और इसमें शामिल होने का इरादा भी नहीं है।

भारत मे बीं० बी० सी० के कार्यालय का फिर से खोला जाना

95. **श्री इन्द्र जीत मलहोत्रा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०बी०सी० ने अभी हाल में भारत में अपना कार्य करने की अनुमति देने का भारत सरकार से अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर पुर्नविचार किया है और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में किए गए निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखानें में यूरिया भन्डार की कथित कमी के बारे में जांच

96. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने में यूरिया भण्डार की कमी के बारे में 14 दिसम्बर, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सरकार ने कोई जांच नहीं की है। परन्तु निगम से पूछा गया था कि वह यह सूचित करे कि उल्लिखित कमी किस प्रकार हुई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही हैं तथा इस विषय में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में तट दूर तेल की खोज करने के लिये एक प्लेटफार्म. की सप्लाई करने के लिये एक जापानी फर्म के साथ करार

97. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खम्भात की खाडी के बम्बई (हाई एशिया) के तट दूर तेल की खोज के लिए एक प्लेट फार्म की सप्लाई करने के लिए एक जापानी फर्म मै० मीत्सु बीशी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं :

(ख) क्या करार करने में छः वर्ष का समय लगा ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या छः वर्ष पूर्व 20 प्रतिशत शुद्ध लाभ का एक प्रस्ताव मे० टेन्नको ने किया था परन्तु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था : और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। 1969 के प्रारम्भ में तैयार किये गये अतटीय अन्वेषण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार की 'एसिस्टेड ओनर आपरेशन' नीति के अनुसरण में बातचीत के लगभग एक वर्ष पश्चात 1969 के अन्त में जापान की मितुसु बिशी तथा अन्य विदेशी ग्रुपों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। एक स्वयं चालित (सैल्फ प्रोपैल्ड) जैक अप प्लेटफार्म के प्रदाय के लिए दिसम्बर, 1970 में मित्सुबिशी ग्रुप के साथ एक समझोते के ज्ञापन (मैमोरेण्डम आफ अण्डरसटैण्डिग) पर हस्ताक्षर किए गए तथा संविदा पर हस्ताक्षर फरवरी 1971 में किये गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बम्बई (हाई एरिया) के अतटीय अन्वेषण में संयुक्त उधम के लिए 1967 मे अमरीका की टैन्निकों ने एक प्रस्ताव रखा था । प्रस्ताव सरकार की 'एसिस्टेड ओनर आपरेशन की नीति के अनुरूप न होने के कारण उसका अनुसरण नहीं किया गया

भारतीय सेना में पैदल बटालियनों की संख्या बढ़ाया जाना

98. **श्री हरी सिह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सैना में पैदल बटालियनों की संख्या बढ़ाने का है : और

(ख) यदि हां, तो बटालियनों के बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस मामले के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रकट करना लोक हित के विरूद्ध होगा ।

नई दिल्ली स्थित कनाट प्लेट में यातायात प्रणाली का पुनर्गठन

99. **श्री जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कनाट प्लेस (नई दिल्ली) समूह की यातायात प्रणाली का पुनर्गठन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मन्डल द्वारा कोरिया का दौरा

100. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एक राजनैतिक दल के कुछ सदस्यों ने कोरिया के साम्यावादी दल से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये वर्ष 1970 में कोरिया का दोरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा अपने प्रतिनिधि मन्डल को कोरिया भेजे जाने के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कोरिया की वर्कर्स पार्टी की केन्द्रीय समिति के निमन्त्रण पर कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) के एक शिष्ट मन्डल ने, जिसमें सर्व श्री पी० सुंदरैया, ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद और प्रमोद दास गुप्ता थे, 16 जून से 1 जुलाई, 1970 तक कोरियाई लोक गणतन्त्र का दौरा किया ।

(ख) नेशनल एसेम्बली के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री किम इल सुंगस हित कोरियाई लोक गणतन्त्र के नेताओं ने शिष्ट मन्डल का स्वागत किया ।

Funds for Construction of Hospitals in Sri Ganga Nagar District (Rajasthan)

102. **Shri P.L. Barupal** will the **Swasthya Aur Privar Niyojan** Mantri be pleased to state :

(a) the amount proposed to be provided in the next Five Year Plan for the construction of hospitals and for the treatment of patients in Sri Ganga Nagar District, in Rajasthan ;

(b) whether it is a fact that at present there is arrangement for the treatment of 150 patients in the main hospital of Sri Ganga Nagar where the actual number of patients has now incresed to 250-300 ; and

(c) whether the Central Government would provide assistance to the State Government for solving this problem ?

Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantralaya men up Mantri (Shri A. K. Kisku): **(a) & (b)** The information when received from the State Government will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Assistance for State Plan Schemes in the Fourth Five year Plan is provided to State Governments in the shape of block grants and loans.

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में नसबन्दी तथा लूप का प्रयोग

104. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में गत दो वर्षों के दौरान नसबन्दी कराने वाले पुरुषों तथा लूप का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है, और उन में से कितने व्यक्ति भूमिहीन थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अनेक लोगों की नसबन्दी यह वायदा दे कर कीं गई कि कृषि भूमि उन के नाम हो जायेगी परन्तु उक्त वायदे को क्रियान्वित नही किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): **(क) और (ख)** वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के दौरान नसबन्द कराने वाले व्यक्तियों और लूप पहनने वाली महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	लूप प्रयोग
1969-70	748	34	1,080
1970-71 (फरवरी 71)	821	92	1,487

भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या और प्रश्न के भाग (ख) से संबंधित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Wrong Demarcation of J & K Border in Maps Published by Foreign Countries

105. **Shri Jagannath Mishra** : will the **Videsh** Mantri be pleased to State :

(a) whether the countries like the U.S.A. etc, have shown Jammu and Kashmir as a part of Pakistan and the Phillips Atlas has also shown our border wrongly ;

(b) if so the action taken by Government in protest there of ;

(c) the reaction of those countries there to ;

(d) the reasons for those countries to adopt such an attitude towards India ; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to check such things permanently ?

Videsh Mantralaya men up Mantri (Shri Surendra Pal Singh) : (a). The maps and Atlases published in the U S. A. at present generally show the ceasefireline in Jammu and Kashmir as the dividing line (not as internationl boundary line) between India and Pakistan in this sector. Atlases published by George Philip & Son Ltd., London, show our boundaries wrongly.

(b) to **(e) :** Maps and Atlases which show our boundaries erreneously are either prohibited from entry or released after blacking out the incorrect portions. The matter is also aken up with the concerned government or publishers in order to get the maps rectified.

Reassessment of Taxes by Danapur Cantonment Board

106. **Shri Ramavatar Shastri** : will the **Raksha** mantri be pleased to state :

(a) whether the Danapur Cantonment Board has made a re assessment of taxes due from the residents of the Cantonment area ;

(b) if so, the basis thereof ;

(c) whether the reports in regard to corrupt practices adopted at the time of reassessment by the Officers appointed for the purpose have been made to the Officers of the Cantonment Board and also to him ; and

(d) if so, the details there of and the action taken by Government in this regard ?

Raksha Mantri (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d). The information is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

संसद सचिवालयों के कर्मचारियों को आवास स्थानों का आवंटन

107. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री संसद सचिवालयों के कर्मचारियों को आवास स्थान का आवंटन करने के बारे में 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों द्वारा अब तक कितने आवेदन पत्र भेजे गये हैं ;

(ख) क्या उन आवेदकों को इस बीच क्वार्टरों का आवंटन हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्वार्टरों का आवंटन कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) अब तक तदर्थ आवंटन के लिए लोक सभा सचिवालय ने 103 आवेदन पत्र और राज्य सभा सचिवालय ने 174 आवेदन पत्र भेजे हैं ।

(ख) और (ग) : सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इन सचिवालयों में, कार्य कर रहे केवल उन प्रमुख व्यक्तियों के मामलों पर जिन्हें देर तक कार्य करना होता है, को अध्यक्ष, लोक सभा सभापति, राज्य सभा की सिफारिशों पर तदर्थ आवंटन आदि के लिए विचार किया जाना है । इन सचिवालयों से अधिक संख्या में भेजे गये आवेदनों को ध्यान में रखते हुए, यह जानने के लिए कि क्या, ऐसे सभी व्यक्ति अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, लोक सभा । राज्य सभा सचिवालयों के परामर्श से प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि किस समय तक आवंटन करना सम्भव होगा यह उपलब्ध मकानों की संख्या पर निर्भर करेगा ।

पाकिस्तान द्वारा ब्रिटिश सैनिक अड्डे का प्रयोग

108. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने बंगला देश मुक्ति आन्दोलन का दमन करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने हेतु 'गन' स्थित ब्रिटिश सैनिक अड्डे का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में ब्रिटिश सरकार को विरोध पत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ब्रिटिश सरकार ने इस बात को नकारा है कि पाकिस्तान ने 'गन' स्थित अड्डे का प्रयोग करने का अनुरोध किया ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

तिलैया बिहार में सैनिक स्कूल

109. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारी बाग जिले में तिलैया में एक सैनिक स्कूल है ;

(ख) यदि हां, तो स्कूल के प्रबन्धकों के क्या नाम हैं और सरकार का किस रूप में उस पर नियंत्रण है ;

(ग) क्या बिहार के 15 विधायकों ने उस स्कूल में होने वाली कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) : जी, हां।

(ख) स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टि कनर्ल आर०एल० गेडोक हैं जो एक स्थानीय प्रशासन मण्डल के निर्देशन तथा निरीक्षण में है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा शिक्षाविदों के सदस्य शामिल हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अवैतनिक सचिव भी समय समय पर स्कूल निरीक्षण करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) शिकायतें मुख्य रूप से स्कूल में शिक्षा के गिरते हुए स्तर तथा स्कूल के चलाने में कुछ प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में थी।

(ङ) पूरी जांच के पश्चात शिकायतों पर उचित कार्रवाई की गई है और शिकायत-कर्त्ताओं को इससे सूचित कर दिया गया है।

वर्मा में भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण

110. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने 1964 में समस्त व्यापार प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया था जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रिकों की सारी परिसम्पत्तियों और व्यापार को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार ने उनको मुआवजा दिया था।

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्म है तो सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिको को मुआवजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन सब को जो भारत में बसने का प्रयत्न कर रहे हैं वर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत भण्डारों के एवज में बिना व्याज ऋण देने का है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आस्तियों के मुआवजे का प्रश्न भारत सरकार और वर्मा सरकार के विचाराधीन है।

(घ) भारत सरकार ने उन लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए पहले ही कुछ उपाय किए

हैं जिन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। वर्मा सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत भण्डारों के एवज में उन लोगों को व्याजमुक्त ऋण देने का कोई इरादा नही है जो भारत में बसने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Construction of 65 Storeyed Building in Madras.

111. **Shri Mohan Swarup :** will the **Nirman Aur Awas** Mantri be pleased to state :

(a) Whether a magnificient 65 storeyed building is being constructed in Madras where the Central Government offices would be located;

(b) if so, the details there of;

(c) The cost of the building; and

(c) The time by which it is likely to be completed ?

Nirman Aur Awas Mantralay a Men Rajya Mantri (Shri I.K. Gujral) : (a) to (d). The Central Government have no proposal to construct in Madras a 65 storeyed building to accommodate Central Government offices.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना पारी के आवंटन हुये क्वार्टरों का सबलैट किया जाना

112. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 से अनेक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, बिना पारी के आधार पर नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का आवंटन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच की है कि उनमें से अनेक कर्मचारियों अपने क्वार्टर अधिक किराये पर सबलैटे कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में गुप्त रूप से जांच करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता लेने और अपराधी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ने कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एक पात्र सरकारी कर्मचारी की स्वयं की या उसके परिवार के सदस्य की भयंकर बीमारी से स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के आधार पर, सामान्य पूल वास का बिना बारी के आधार पर आवंटन किया जाता है, जैसे कि आवंटन नियम में व्यवस्था है। 1964 से नवम्बर 1967 की अवधि में दिल्ली/नई दिल्ली में, नियमों के अधीन बिना बारी के आवंटन निलम्बित रहा। दिसम्बर, 1967 में स्वास्थ्य आधार पर बिना बारी के आवंटन पर रोक हटा दी गई, तथा 16 मई, 1968 तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और बीमारी के और सम्पूर्ण परिस्थितियों का ध्यान रखते हुई कई मामलों में आवंटन किये गये। बिना बारी के आवटन के आवेदनपत्रों की प्राप्ति पर 17 मई, 1968 से 30 सितम्बर, 1970 तक पुनः रोक लगी रही।

(ख) संपदा निदेशालय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए वास की उप-किरायेदारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Out Break of Cholera in Delhi

113. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the **Swasthya Aur Parivar Niyojan** Mantri be pleased to state :

(a) Whether cholera had broken out in Delhi during the months of April-May, 1971 and

(b) If so, number of lives claimed by it as also the area affected thereby ?

Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantralaya Men-up Mantri (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) A solitary case of cholera is reported to have occured on 14th May, 1971 in J. J. Colony, Madipur, Delhi. No death has so far been reported during this period.

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें

114. **श्री विभुति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें प्रदान करने का विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों तथा अर्ध सरकारी व स्वशासी निकायों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधायें प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। और यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का विस्तार विभिन्न चरणों में किया जाय। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 3809 कर्मचारी हैं और इनके लिए नया औषधालय खोलना आवश्यक हो जाता है। अतः पहले चरण में इन कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाने का विचार नहीं हैं।

Refunding of Amount Recovered from Ex. MPs as service charges for Gardeners

115. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Nirman Aur Awas** Mantri be pleased to state :

(a) Whether those Members of the dissolved Fourth Lok Sabha, Who continued to retain their residential accommodation up to the time of Elections on payment of rent, were entitled to the same facilities. such as the services of a 'Mali' (Gardener) etc;

(b) if so, whether the gardeners were removed from their Bungalows and were generally employed on other duties;

(c) If so, whether Government would consider the questions of refunding to those Members the amount recovered from them as service charges for gardeners, maintenace of flowers and garden; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Nirman Aur Awas Mantralaya Men Rajya Mantri (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) : In view of (a) and (b) above, the questions do not arise.

Shortage of Beds and Medicines in Willingdon Hospital, New Delhi.

116. **Shri Ishwar Chaudhri :**
Shri R. V. Bade :

will the **Swasthya Aur Parivar Niyojan** Mantri be pleased to state;

(a) Whether Government have received complaints that even two patients are being kept on one bed and there is shortage of medicines in the Willingdon Hospital, New Delhi and

(b) If so; the number of such complaints and the details of the scheme formulated for removing the aforesaid deficiencies ?

Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantralaya men up Mantri (Shri A. K. Kisku): (a) & (b) ; Only one complaint was received to the effect that two patients were kept on one bed on the 25 th March, 1971, in the Willingdon Hopsital, New Delhi. However, there is no shortage of medicines in the Willingdon Hospital, New Delhi. Nor has any complaint in this regard been received.

To avoid recurrence of this type of complaint, the system of only specialists being authorised to discharge the patients will be modified to allow capable assistants to take independent decisions in this regard.

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

117. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य अनुसूची के अनुसार हो रहा है ;

(ख) क्या तेल मिलने के सम्बन्ध में कोई संकेत मिले हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये इस समय कुल कितने धन का नियतन किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) इस बारे में इतना पहले कुछ बताना कठिन है क्योंकि वास्तविक व्यधन कार्य 1971 के अन्त में शुरू किया जाना है ।

(ग) इस समय लगभग 2.89 करौड रुपये की अनुमानित लागत के दो-कूप कार्यक्रम का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

Urban Community Development Scheme

119. **Shri Mool Chand Daga** : will the **Swasthya Aur Parivar Niyojan** Mantri be pleased to state :

(a) The names of the cities covered under the Urban Community Development Scheme and the date from which such scheme introduced in each case and whether a list thereof would be placed on the Table of the House;

(b) The basis for introducing this Scheme; and

(c) The names of the towns in Rajasthan where this Scheme in progress and the programmes being executed thereunder.

Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantralaya Men-Up Mantri (Shri A. K. Kisku) : (a) The available information is given in the statement.

(b) The Scheme was introduced with the following objectives :

(i) To creat a sense of social coherence on a neighbourhood basis through corporate civic action and promoting sense of national integration;

(ii) To develop a sense of belonging to the urban community through increased participation of people in community affairs and creating a way of thinking while concentrating first on solving problems with their own initiative, organisation, self-help and mutual aid;

(iii) To bring about a change in attitudes by creating civic consciousness and by motivating people to improve their conditions of life. particularly those affecting social and physical environment.

(iv) To develop local initative and identifying and training of local leaders; and

(v) To ensure fuller utilisation of technical and welfare services by helping the community to locate what help can be had from the municipality or other organisations and how to get it: and what assistance and guidance can be obtained from Governmental and higher level and how to approach them.

(c) At present there is no town in Rajasthan where this Scheme is functioning.

STATEMENT

Urban Community Development Projects

S. No.	Name of the City	Name of the State/U. T.	Date of the introductions of the project (s)
1.	Agartala	Tripura	June 13, 1966
2.	Aurangabad	Maharashtra	February 21. 1966
3.	Bhavnagar	Gujarat	January 1, 1966
4.	Delhi	Delhi	April 20, 1966

S. No.	Name of the City	Name of the State/U. T.	Date of the introduction of the project (s)
5.	Hyderabad	Andhra Pradesh	December 1, 1967
6.	Imphal	Manipur	February 18, 1966
7.	Jamnagar	Gujarat	February, 1970
8.	Kanpur	Uttar Pradesh	February 21, 1966
9.	Ludhiana	Punjab	February 1, 1966
10.	Rajkot	Gujarat	February, 1970
11.	Surat	Gujarat	Deoember 1, 1967

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेप्णास्त्र का परीक्षण।

121. **श्री जे० विश्वनाथन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार का पता है कि चीन प्रथम अन्तर्महादवोजी प्रक्षेपणास्त्र का परीक्षण करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि चीन निकट भविष्य में सम्भवत: अपने अन्तरमहाद्वोपीय का परीक्षण करेगा ।

(ख) हमारी सुरक्षा के लिए बनायी गई रक्षा योजनाओं में धमकियों का ध्यान रखा जाता है ।

अशोधित तेल का आयात

123. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष अशोधित तेल की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या अशोधित तेल के निर्धारित मूल्यों में क्रमबद्ध वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के आयात बिल में 1975 तक गत वर्ष के मूल्यों से 106 करोड़ रूपये की वृद्धि हो जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा आयातित अशोधित तेल के निर्धारित मूल्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आयात के बिल में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी सेठी) : (क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष अशोधित तेल का वास्तविक आयात निम्न प्रकार था :

	मिलियन मीटरी टन	करोड़ रुपये
1968-69	10 6	94.85
1969-70	11·2	97.68
1970-71	13·0	113.32

(ख) और (ग) : जी हां। ओ पी ई सी देशों और तेल कम्पनियों के बीच 14 फरवरी 1971 को हुये तेहरान समझौते के संदर्भ में, उन देशों में उत्पादित सभी अशोधित तेलों के, अशोधित तेल के लिए दर्ज किए गए मूल्यों में तुरन्त बृद्धि कर दी गई है तथा जून 1971 में पुन: और वृद्धि करने और 1973, 1974 तथा 1975 के बर्षों में वार्षिक वृद्धियां करने की व्यवस्था की गई है। इन वृद्धियां के परिणामस्वरूप उस समय के परिष्करणशाला थुपुट के आधार पर 1975 आयात बिल में 106 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने की आशा है।

(घ) गत तीन वर्षों में बर्मा–तेल तथा कालटैक्स द्वारा आयातित लाइट ईरानियन क्रूड़ आयल का निर्धारित मूल्य 1.79 प्रति बैरल रहा। एस्सो द्वारा आयात किये जा रहे अरेबियन मिक्स क्रूड का कोई निर्धारित मूल्य नही है।

(ङ) समस्त विषय जिसमें वृद्धि तथा खपत में कमी करने की संभावनाएं सम्मिलित है, सरकार के विचाराधीन है।

मुसलमानो में परिवार नियोजन

124. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या परिवार नियोजन और सन्तति निरोध के सम्बन्ध में मुसलमानों ने सहयोग नही दिया है ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण देश में हिन्दुओं तथा मुसलमानों ने कितने कितने नसबन्दी आपरेशन कराये ; और

(ग) सरकार द्वारा सभी वर्गों में परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) कार्यक्रम की स्वीकार्यता के बारे में, राज्यों। अखिल भारतीय आधार पर जातिवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि अनेक स्थानीय अध्ययनों से पता चला है कि परिवार

नियोजन की सेवाओ को लगभग सभी जातियों ने न्यूनाधिक सरुप में अपनी जनसंख्या के अनुसार अपनाया है। अतः इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मुसलमान परिवार नियोजन में सहयोग नहीं दे रहे हैं।

(ग) देश में सभी वर्गों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये है उठाये जाने का विचार है :

1. रेडियो, समाचारपत्र, फिल्म आदि जैसे प्रचलित प्रचार साधनों के अलावा प्रर्दशन प्रचार के सभी माध्यमों का उपयोग करना।

2. 17 घनी आबादी वाले जिलों और उत्तर प्रदेश के 1 चुनींदा क्षेत्र में कार्यक्रम को तेज करना (वाराणसी मंडल)।

3. देश में 59 महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों के ज़रिये प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना।

4. व्यावसायिक सोंतों के जरिए निरोध की सप्लाई को बढ़ाना।

5. बडे पैमाने पर स्वैच्छिक संगठनों को सहयोग प्राप्त करना।

6. कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में निजी चिकित्सों, होम्योपैथी और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सों का बडे पैमाने पर सहयोग प्राप्त करना।

7. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना।

बेरोजगार नवयुवकों के लिये पैट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल की ऐजेंसीयां

125. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित नवयुवकों को पैट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल की एजेंसियां देकर उन्हें रोजगार प्रदान करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) गत वित्तिय वर्ष में राज्यवार कितनी सहायता दी गयी ;

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां

(ख) परियोजना का मुख्य ब्योरा निम्नप्रकार है।

1. फुटकर पैट्रोल पम्पों मिटटी का तेल/लाइट (हलका) डीजल आयल और इण्डेन

(घरेलू एवं व्यापारिक प्रयोग) की एजेन्सी, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के ऐसे बेरोजगार स्नातकों को दी जाती है जिन्हें उसके लिये उपयुक्त समझा जाता है।

2. व्यक्तिगत बिक्रेताओं के लिए प्रादेशिक भाषा के एक समाचार पत्र सहित व्यापक रूप में पढ़े जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रो में प्रैस नोटिस प्रकाशित किये जाते हैं।

3. केवल 30 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार इसके पात्र हैं।

4. उम्मीदवार कम आय वाले ग्रुपों (अर्थात् जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपये हो) के होने चाहिए और वे उस सिविल जिले के (रहने वाले) होने चाहिए; जिस में एजेन्सी चालू होनी हैं। अथवा उसी राज्य के अन्तर्गत संलग्न सिविल जिलों के होने चाहिए।

5. सेना-विघटित (डिमोबलाइजड) एमर्जैन्सी कमीशन्ड अफ़सर सेना के अन्य सेवा निवृत कर्मचारी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा जन-जातियों के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है।

6. बैंकों से अपेक्षित वित्तिय सहायता को प्राप्त करने के लिए यत्न किये जा रहे हैं।

7. छावनी-क्षेत्रों तथा अन्य चयन किये गए उप-नगरों में, जहाँ पर एजेन्सिया सेना के सेवा निवृत व्यक्तियो आदि के लिए आरक्षित हैं, इस योजना के लिए छूट दी गई है।

(ग) अनुमानतः यहां पर दिया गया सन्दर्भ, पिछले वित्तिय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत चालू की गई वास्तविक एजेन्सियों की कुल संख्या से है। फुटकर पैट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल/हल्के डीजल आयल की एजेंन्सियों तथा इण्डेन गैस की कुल संख्या निम्नप्रकार हैं:

फुटकर पैट्रोल पम्प	–	33
मिट्टी का तेल/हल्का डीजल आयल	–	27
इण्डेन गैस	–	23
योग		83

राज्यवार उपयुक्त सूचना उपलब्ध नही है।

सिलचर मेडिकल कालेज का निर्माण

127. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलचर मेडिकल कालिज के निर्माण में कितनी प्रगति हुई हैं।

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उक्त मेडिकल कालेज के साथ सम्बन्ध किये जाने वाले सिलचर सिविल अस्पताल का अब तक विस्तार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिलचर सिविल ग्रस्पताल सिलचर मेडिकल कालिज के साथ सम्बन्ध किये जाने के लिये उपयुक्त स्तर का नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ख) और (ग) : सिविल ग्रस्पताल का कालेज-ग्रस्पताल के रूप में उपयोग करने की दृष्टि से इसमें सुधार करना शुरु कर दिया गया है । सिलचर सिविल ग्रस्तपताल उपयुक्त समझा जाता है ।

त्रिपुरा में मेडिकल कालिज की स्थापना

128. **श्री देशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के बारे में कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा में यथा सम्भव शीघ्र एक मेडिकल कालिज स्थापित करने का बिचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) 50 लाख की ग्राबादी के पीछे एक चिकित्सा कालेज खोलने के राष्ट्रीय प्रतिमान के ग्रनुसार त्रिपुरा किसी ग्रलग चिकित्सा कालेज का हकदार नहीं है । वैसे मणिपुर, त्रिपुरा ग्रादि संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर पूर्वि क्षेत्र में एक चिकित्सा कालेज खोलने का विचार है । यह कालेज वस्तुत: कहां खोला जायेगा इसके बारे में ग्रभी निश्चत नहीं किया गया है । इस बारे में वस्तुस्थिति जानने के लिए जिस समिति को नियुक्त किया गया था उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

गुजरात राज्य को सप्लाई की जाने वाली गैस के मुल्यों में वृद्धि

131. **श्री सोमचन्द सालंकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस वृद्धि के द्वारा उपभोक्ताग्रों तथा उद्योगों के लिए सुविधाग्रों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई नीति बनायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ग्रंकलेश्वर तथा कैम्बे में उत्पादित

के मूल्य पर डा० वी० के० आर० वी० राव का पहला पंचाट 31-3-1971 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावकारी था। डा० राव ने अपने पचाट में उल्लेख किया था। कि इस पंचाट की अवधि में उत्पादन, परिव्यय और मांग के सम्बन्ध में बास्तविक स्थिति का पूर्ण पुनरीक्षण करने के पश्चात् 31-3-71 के बाद आगामी पांच वर्षों हेतु गैस के लिए एक नया मूल्य नियत किया जाए। इस पंचाट की अवधि में उत्पादन एवं परिव्यय के सम्बन्ध में, अनुभव किये गये तथ्यों की दृष्टि से, पंचाट के मूल सूत्र के कार्यान्वयन हेतु इस पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित किसी समायोजन का, बट्टा या प्रीमियम के रूप में (जैसी भी स्थिति हो) अगामी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की जाने वाले मूल्य में ममावेश किया जाना चाहिए।

पंचाट में उल्लिखित इस पुनरीक्षण के आधार पर मूल्य-वृद्धि, की आवश्यकता पड़ी है।

(ख) जी नही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

Opening of a Sainik School in Jhunjhunu District in Rajasthan

132. **Shri Shivnath Singh** : Will the **Raksha** Mantri be Pleased to state :

(a) Whether Government propose to open a Sainik School in Jhunjhunu district of Rajasthan keeping in view the number of jawans recruited from this district and the fact that it is a martial district;

(b) Whether the then Raksha Manri Shri Chavan during his visit to Chidawa town of Jhunjhunu district in 1962-63 had declared in a public meeting there that a Sainik School would be opened in Jhunjhunu district very soon; and

(c) The step taken in this regard ?

Raksha Mantri (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Sainik Schools are normally opened at the request of the State Government who provide for land and buildings for the school and also stipends & scholarship to a large number of students. No request from the Government of Rajasthan for opening a School at Jhunjhunu has been received. In Rajasthan. there is already a Sainik School at Chitorgarh with a total strength of 459as against the sanctioned strength of 525 boys for each school. In view of the above the question of opening a second School at Jhunjhunu in Rajasthan does not arise.

Setting up of an Oil Refinery at Sawai Madhopur in Rajasthan

133. **Shri Shivnath Singh : Will the Petroleum Aur Rasayan** Mantri be pleased to state :

(a) Whether Government have asked for a survey report in regard to setting up of an oil refinery at Sawai Madhopur in Rajasthan; if so, the details thereof; and

(b) Whether similar reports in regard to the setting up of the oil refinery at some other place have also been asked for by Government and Sawai Madhopur has been found most suitable among all those places ?

Petroleum aur Rasayan Mantri (Shri P. C. Sethi) : (a) & (b) The Ioc have been asked to prepare a detailed feasibility report for setting up a refinery in North-west region. In this connection they have been asked to examine all proposed locations including Sawai Madhopur from the technoeconomic angle.

District-wise Quota for Recruitment in the Army

134. **Shri Shivnath Singh :** Will the **Raksha** Mantri be pleased to state :

(a) Whether any uniform quota has been fixed for each district for the recruitment to the Army;

(b) If so, the basis thereof; and

(c) Whether Government propose to give preference to martial races for the purpose of recruitment in the army and fix more quota in districts where persons belonging to martial races are in majority ?

Raksha Mantri (Shri Jagjivan Ram) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No. On the contrary, the policy of Government is to broad-base recruitment to the Army so as to provide equal opportunity to all citizens, irrespective of race caste or creed.

चीन द्वारा नवीनतम स्वचालित कम्प्यूटरों की स्थापना

135. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि चीन ने हमारी सेना की गतिविधियों का पता लगाने के लिये तथा गुप्त जानकारी एकत्र करने के लिये सीमाओं पर नवीनतम किस्म के स्वचालित कम्प्यूटर स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो हमारी सेन्य संचालन सम्बन्धी जानकारी एकत्र करने पर रोक लगाने के लिये किन विशिष्ट कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO METTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्वी बंगाल सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में बलात प्रवेश करने का समाचार

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमन्, मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

पूर्वी बंगाल सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में बलात प्रवेश करने, सीमा सुरक्षा बल के कुछ सैनिकों सहित भारी संख्या में भारतीय नागरिकों के मारे जाने, भारी मात्रा में सम्पत्ति नष्ट की जाने और उस क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किये जाने का समाचार।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कारण है कि इस विषय पर प्रश्नों के उत्तर रक्षा मन्त्री द्वारा दिये जाते हैं तथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर गृह मन्त्री द्वारा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे गृह मन्त्री को सम्बोधित किया है। यह दल सीमा सुरक्षा से सम्बन्धित है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : इस सदन ने, पिछले सत्र में, पूर्वी बंगाल के व्यक्तियों के प्रति हमारे लोगों की पूर्ण सहानुभूति तथा समर्थन व्यक्त करते हुए सर्व-सम्मिति से एक संकल्प पारित किया था। सदन उन दु:खद घटनाओं से अवगत है जो पिछले कुछ सप्ताहों में पूर्वी बंगाल में हुई हैं। पाकिस्तानी सैनिक शासन तन्त्र ने लोकप्रिय प्रजातन्त्र आन्दोलन को दबाने के लिये अपने क्रूर अभियान में निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को मोत के घाट उतार दिया है। विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्रूर दमन से, जो एक लोकप्रिय तथा लोकतन्त्र सरकार स्थापित करने के लिये लोगों की आकांक्षाओं तथा आदेश को मूर्त रूप देने के प्रयत्न कर रहे हैं, विश्व स्तब्ध रह गया है।

पाकिस्तानी सेना अपनी पूरी शक्ति भारत-पूर्वी बंगाल सीमा तक लगाने की कोशिश में सात बार भारतीय क्षेत्र में घुसी है और उसने सीमा पार से हमारे क्षेत्र में 43 बार गोलाबारी की है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दलों पर आक्रमण किया गया है और कुल मिला कर बल के चार सदस्य मारे गये हैं, अन्य 21 घायल हुए हैं तथा 5 का अपहरण किया गया है। इन घटनाओं में 16 नागरिक मारे गये हैं तथा 105 घायल हुये हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित अनेक झोंपड़ियां तथा मकान या तो जला दिये गये हैं अथवा उन्हें क्षति पहुँचाई गयी है। सीमा सुरक्षा बल की दो सीमा-चौकियों तथा एक रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाई गई है। कुछ अन्य सम्पत्ति तथा मवेशियों को भी नष्ट किया गया है। यहां तक कि विस्थापितो को भी जिन्हें पूर्वी, बंगाल में दमन के परिणामस्वरूप वहां से बाहर निकलना पड़ा, नहीं छोड़ा गया। उनमें से 14 इन घटनाओं में मार दिये गये तथा 67 घायल हुए। पाकिस्तानी प्राधिकारियों से कड़ा विरोध प्रकट किया गया है और हमने मुआवजे के हक का दावा किया है।

30-3-1971 के बाद से पूर्वी, क्षेत्र में भारतीय बायु सीमा का ग्यारह बार उल्लंघन किया गया है। इनमें से सात घटनाओं के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया जा चुका है और अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में शीघ्र ही विरोध प्रकट किया जायेगा।

हमारे सुरक्षा बलों ने, जिन्हें पूर्वी बंगाल से लगी भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का नियन्त्रण सौंपा गया है, ऐसी सभी स्थितियो में बड़ी दृढ़ता तथा स्थिरता से कार्यवाही की है और

घुसपैटियों को तुरन्त खदेड़ दिया है। तथापि, भारतीय क्षेत्र पर इस प्रकार के आक्रमणों तथा घुसपैठों और हमारी वायु सीमा के अतिक्रमणों के जारी रहने से निःसन्देह इस क्षेत्र में शान्ति को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे क्षेत्र में पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन भी, जिस पर हमको मानवीय आधार पर कार्य- वाही करनी पड़ी, पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी अत्याचारों का ही प्रत्यक्ष परिणाम है और इससे हमारी समस्त अर्थ व्यवस्था तथा साधनों पर भारी बोझ पड़ने के अतिरिक्त इस क्षेत्र की शान्ति तथा सुरक्षा संकट में पड़ गई है और हमारे लिये गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। हम इन सभी शरणार्थियों को उनके घरों को सुरक्षित लौटाने के लिये सभी उपलब्ध उपायों का पता लगा रहे हैं। ऐसे गम्भीर तथ्यों के सामने होते हुए पाकिस्तान द्वारा सामान्य स्थिति का दावा करना बेहुदापन है।

हमारे सुरक्षा बल अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह सजक हैं और सीमाओं पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इन सभी घटनाओं पर सावधानी से नजर रखे हुए हैं और अपने क्षेत्र की अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा अपने अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचाएंगे।

श्री पी० के० देव : इस सदन में 31 मार्च को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में पूर्वी बंगाल के हत्याकांड पर चिन्ता व्यक्त की गई थी तथा सुझाव दिया गया था कि वहां जन प्रतिनिधियों की सरकार बनवाने के प्रयास करने के लिये सभी विश्व के राष्ट्रों से आग्रह किया जाय। परन्तु 55 दिन बीत जाने पर वक्तव्य आदि देने के अतिरिक्त कुछ भी कार्य नहीं किया गया। मानवीय अधिकार आयोग अथवा किसी अन्य अन्तराष्ट्रीय निकाय के समक्ष मामला उठाने के लिये कुछ नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान ने चीन, तुर्की, ईरान साऊदी अरब का समर्थन प्राप्त कर लिया है। हमारे मित्र देश संयुक्त अरब गणराज्य ने श्री जय प्रकाश नारायण से मिलना स्वीकार नहीं किया।

तीस लाख शरणार्थी भारत आ चुके हैं और समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

पूर्वी बंगाल को अधिकार में रखने में असमर्थ रहने के बाद पाकिस्तान ने अपने देश के दोनों भागों को मिलाये रखने के लिये अपनी पहले से चली आई भारत-द्वेष की नीति का सहारा लिया है। हमें उसकी चाल में नहीं आना चाहिये, क्योंकि इससे यह देश दूसरा वीयतनाम बन जायेगा। अब हमारें सम्मुख तीन ही रास्ते हैं, एक सीमा के अतिक्रमण के मामलों को दृढ़ता से रोकना चाहिये; दूसरे, सीमा के अतिक्रमणों को न रोक सकने की दशा में पाकिस्तान के साथ खुला मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये, और तीसरे हमें विश्व जनमत को जगाना चाहिये जिससे पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके। मुझे सरकार से इस विषय में स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह कहना गलत है कि सरकार इस मामले में आत्म-तुष्ट रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सभी देशों से सहायता के लिये अपील की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी आयोग ने घटना-स्थल पर सर्वेक्षण कर लिया है।

मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम इस स्थिति का दृढ़ता से सामना करेंगे।

श्री पी० के० देव : यह उत्तर असंतोषजनक है।

Shri R. S. Pandey (Rajanandgaon): In the context of Pakistani genocide in East pakistan that country is propagating throughout the world that India is actively supporting the struggle of Bangla Desh. On the other hand our air space has been violated by that country about a dozen times, Was it not our duty to shoot down such aeropla nes as violated our air space ? Do our protests have any meaning for Pakistan who understands only the language of force ?

Shri Ram Niwas Mirdha : So far as Pakistani propaganda is concerned we can not stoop so low as that country does. We are maintaining constant touch with the world Governments and are apprising them with our point of view.

We have given instructions to our security forces to face the situation firmly and see that Pakistani aeroplanes violating our space are brought down.

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हमारी सीमा पर जो अतिक्रमण होते हैं उनके सम्बन्ध में क्या सरकार पारस्परिकता के सिद्धान्त का अनुसरण करती है ? जैसे कि सामान्य स्थिति के स्थल नियम हैं कि दोनो देशों की सेनाएं अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से 5 किलो मीटर दूर रहती है। इस समय जब पाकिस्तान ने ठीक सीमाओं पर अपनी चौकियां स्थापित कर ली है। क्या सरकार अब भी उपरोक्त स्थल नियम का एकतरफा अनुसरण कर रही है। अब भी वहां केवल सीमा सुरक्षा दल को ही रखना घातक हो सकता है।

बदले के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हमने अपने उप-उच्च आयोग को ढाका से रखा है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गये श्री मैंसूद के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति का सा व्यवहार किया गया है,

हालांकि ढाका में भारतीय उप-उच्च आयुक्त की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

इसलिए में पूछना चाहता हूँ कि आप किस पारस्परिकता के नियम का पालन कर रहे हैं ? क्या आप एकपक्षीय रूप से ऐसे नियमो का पालन करेगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस समय सीमाओं की स्थिति सामान्य स्थिति से बहुत भिन्न है। स्थल नियम सामान्य काल के लिये होते हैं। हमने अपनी सुरक्षा सेनाओं की स्थिति देखते हुए उचित कार्यावाही करने के आदेश दे दिये हैं।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सदन को पता है कि दोनों उप-उच्च आयुक्तों के कार्यालय बन्द करने का निश्चय किया जा चुका है। उनके कर्मचारी तथा अधिकारी अपने देशों को वापिस आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे कर्मचारी तथा अधिकारी वहां पर नज़रबन्द किये हुए हैं जबकि पाकिस्तान के श्री मैसूद इधर स्वतंत्र हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूं कि हमारे आयोग के कार्यकर्त्ता भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि हम उन्हें वापिस लाने में सफल नहीं होते तो हम भी उनके उप-उच्च आयोग के कर्मचारियों पर बदले में प्रतिबन्ध लगा देगें।

श्री एस० एन० मुखर्जी : वे सदन की स्थिति बता नहीं रहे हैं। उन्हें स्थिति को अग्रेवर स्पष्ट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप को तो सदन का कुछ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन का अधिक ध्यान रखते हुए ही तो मैंने इस नोटिस को स्वीकार किया है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : जब हम स्थल सीमाओं के उल्लंघन तथा वायु सीमाओं के उल्लंघन के समाचार सुनते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। जैसा की मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया स्थल सीमा के उल्लंघन की 43 घटनाएं तथा वायु सीमा के उल्लंघन की 16 घटनाऐं हो चुकी हैं मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि वह देश की अखण्डता बनाये रखने के लिए कड़ी कार्यवाही करने से नही हिचकेंगे।

दिनांक 12 अप्रैल के पाकिस्तानी समाचारपत्र 'पाकिस्तान टाइम्स' में छपा है कि भारतीय सीमा सुरक्षा दल की दो कम्पनियों का जेसोर जिलों में नष्ट कर दिया गया है और कि उन्होंने भारतीय सीमा सुरक्षा दल के दो व्यक्तियों का जिनके नाम मोहन लाल तथा पांचा हैं जीवित पकड़ लिया है।

श्री राजबहादुर : संसार में उनके समाचारों पर कोई विश्वास नहीं करता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : उन्होंने उन व्यक्तियों के फोटो भी प्रकाशित किये हैं। हमारी सीमा सुरक्षा दल के बारे में जो संदेह पैदा हो गये हैं मन्त्री महोदय को उनका निवारण करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा का उल्लंघन एक गम्भीर मामला है। हम अभी तक उनके एक भी वायुयान को गिरा नहीं सके। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी सैनिको को पकड़ नहीं सके। मै चाहता हूँ कि जब वे हमारी सीमा का उल्लंघन करते है तब उन्हें दण्डित किया जाये। क्या सरकार सीमा सुरक्षा दल के स्थान पर वहां शीघ्र ही सेना के जवानो को नियुक्त करेगी क्योंकि सीमा सुरक्षा दल उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, क्या सरकार सीमाओं के निकट रहने वाले परिवारों को मुआवजा देगी क्योंकि आक्रमणों से उनकी बहुत हानि हुई है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं उनके रिकार्ड पर रहने के सम्बन्ध में आपका क्या विनिर्णय है !

अध्यक्ष महोदय : मै उसके बारे में जांच करूंगा उन्हें उदाहरण देने से पूर्व मुझे बता देना चाहिए था।

श्री राम निवास मिर्धा : उन्होंने जो यह कहा है कि सीमा सुरक्षा दल सीमाओं की रक्षा

करने में विफल रहा है परन्तु वास्तविकता यह है कि सीमा सुरक्षा दल ने बहुत दृढता और सफलता से यह दायित्व निभाया है। हमने बलात प्रवेश करने के कई प्रयासों को विफल बनाया है।

श्री समर गुह : × ×

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह का कथन कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारी सीमा सुरक्षा दल दृढ संगठन है और आदेशों का ठीक पालन करता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The reply given by the Hon. Minister is not only disappointing but also regrettable. We had Pledged to help the brave freedom fighters of Bangla Desh, but what to speak of that we could not even defend our own borders and also our air space. We could not arrest any of the intruders. If the arrangements on the borders are adequate, it should look like that. Does the Government think that the Border Security Force is capable of repulsing the violations being committed by Pakistan ? We can not expect from that force that it would face the Pakistan Army and bring down Pakistani aeroplanes. In the matter of Bangla Desh. We ought to give a lead rather than look upon other countries to give a lead. I would like to, know from the Hon Home Minister what steps the Government is taking to further strengthen our borders ? What happened to the journalist who was arrested in Bangla Desh. Mere words will not do Action is the need of the hour.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have already stated that our Border security force is capable in every respect. However if needed the army can be sent there.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have not said that our Border Security Force is incapable. What I have said was that the Pakistani army has come on the borders and as such our army should face the situation there.

Shri Ram Niwas Mirdha : Several Pakistanis have surrendered them selves at our borders. I can not say more than that.

स्थगत प्रस्तावों के बारे में

RE. : MOTION FOR ADJOURNEMENT

Shri Atal Bihari Vajpayee. (Gwalior) : I have come to know that you have not thought it proper to admit our Adjournement motion regarding recognition of Bangla Desh. Keeping in view the resolution passed by the House and also the fact that 33 lakhs citizens of Bangla Desh have entered our country. I request you to reconsider your decision and admit our adjournement motion.

× × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सरकार के उत्तरदायित्व का नहीं है। मैं इस विषय पर चर्चा के पक्ष में तो हूँ परन्तु मैं स्थगत प्रस्ताव के गृहीत नहीं कर सकता। स्थगत प्रस्ताव सरकार के अपने कर्त्तव्य से विमुख रहने पर रखा जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आप से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप स्थगत प्रस्ताव गृहीत करें।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार यह गृहीत नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहें तो इस विषय पर चर्चा के लिये हम कोई समय निश्चित कर सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री राज बहादुर : प्रधान मन्त्री इस विषय पर 3 बजे बाद दोपहर वक्तव्य देने जा रही हैं। इस विषय पर, पूर्वी पाकिस्तान, बंगला देश की स्थिति पर वाद विवाद करने के लिये हम सहमत हैं······(**व्यवधान**)

Shri. Atal Bihari Vajpayee : I request you not to give a ruling in this matter which may restrict our right to move adjournment motions in future. The wording our adjournment motion is ;—

"···31 मार्च, 1971 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जावे"

We want to discuss the situation arising out of non-recognition.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अच्छी तरह देख लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, यह संविधान के अनुसार एक दायित्व नहीं हो सकता।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमण्ड हार्बर) : नियम 56 के अनुसार हमें आपकी अनुमति लेने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आज, कल अथवा किसी और समय में इस पर चर्चा की अनुमति देने के लिये तैयार हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Adjournment motion is separate. we want to censure the Government.

Mr. Speaker : It can be done through that also.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शर्त यह है कि प्रस्ताव के लिये पर्याप्त समर्थन हो। इसे अनुमति न देने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि मैंने कहा किसी भी समय चर्चा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं ······ (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : Moving of adjournment motion is our right we do not agree to your decision. We want to leave the House to express our resentment.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये

Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Indrajit Gupta and some other Hon. Members then left the House

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : Mr. speaker. I would have been better had you consulted the member who tabled the adjournment motion. you should have given. your ruling after bearing him. The adjournment motions are tabled on the issues of urgent matters of public importance. The question of entire Country is linked with this adjournment motion. There is hardly any justification for the rule relating to adjournment motion, if you are not going to admit there.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दो घंटे पहले ही शपथ ग्रहण की और वे मुझे डांट रहे हैं। कृप्या बैठ जायें । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं 5 मई, 1971 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के चम्पा और बरदौर रेलवे स्टेशनों के बीच 29 डाउन बम्बई—हावड़ा-एक्सप्रेस में लगी आग के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ। [**देखिये संख्या एल० टी० 147/71**]

संसद कार्य मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत, निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) पश्चिमी बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनः अधिनियमन) दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 4), जो राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 184/71**]

(2) आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 5), जो राष्ट्रपति द्वारा 7 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 149/71**]

(3) सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 6), जो राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 150/71**]

(4) बंगाल वित्त (विक्रय कर) (नियुक्तियों और कार्यवाहियों का—विधि मान्यकरण दिल्ली) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 7), जो राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 151/71**]

(5) स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 8), जो राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 152/71**]

(6) दिल्ली सिख गुरद्वारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 9), जो राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यापित किया गया। [**देखिये संख्या एल० टी० 153/71**]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन जारी की गई दिनांक 3 अप्रैल, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 495 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 23 मार्च 1971 को जारी की गई उद्घोषणा विखण्डित की गयी है। [**देखिये संख्या एल० टी० 154/71**]

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत, गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 691 में प्रकाशित हुई थी। [**देखिये संख्या एल० टी० 155/71**]

(दो) दिनांक 13 मई, 1971 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था तथा जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 692 में प्रकाशित हुआ था। [**देखिये संख्या एल० टी० 155/71**]

(3) राष्ट्रपति को भेजे गये गुजरात के राज्यपाल के दिनांक 12 मई, 1971 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**देखिये संख्या एल० टी० 156/71**]

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, मिट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 456 में प्रकाशित हुआ था। [**देखिये संख्या एल० टी० 157/71**]

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की

धारा 619 तक की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) हिन्दुस्तान एअ्ररोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेख और उन पर नियन्त्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां। **[देखिये संख्या एल० टी० 158/71]**

(2) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखें और उन पर नियन्त्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां। **[देखिये संख्या एल० टी० 159/71]**

(3) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[देखिये संख्या एल० टी० 160/71]**

(4) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटड, बंगलौर का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[देखिये संख्या एल० टी० 161/71]**

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): मैं परिपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) जी० एस० आर० 125, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में दिनांक 24 मई, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 867 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(2) जी० एस० आर० 253, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(3) जी० एस० आर० 254, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(4) जी० एस० आर० 296 जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(5) परि-पत्र (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 297 में प्रकाशित हुए थी। **[देखिये संख्या एल० टी० 162/71]**

समिति के लिए निर्वाचन

(SELECTION TO COMMITTEE)

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये चार वर्ष के कार्य काल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"कि दिल्ली विकास, अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये चार वर्ष के कार्यकाल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सदस्य द्वारा पद-त्याग

RESIGNATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूँ कि मयूरमंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोक-सभा के सदस्य श्री मनमोहन टुडु ने 23 अप्रैल 1971 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

रेलवे बजट 1971-72

RAILWAY BUDGET 1971-72

अध्यक्ष महोदय : रेल मन्त्री बजट पढ़ने के लिये कितना समय लेंगे।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : मैं 45 मिनट के करीब लूंगा। यदि सदन चाहे तो इसे मध्याह्न के उपरांत पढ़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय शेष है आप पढ़ना शुरू करें।

श्री हनुमन्तैया : अब केवल 5 मिनट शेष हैं। मध्याह्न के उपरांत पढ़ना ही उचित रहेगा क्योंकि उस समय सारे सदस्य उपस्थित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न के बाद हमें कोई अन्य कार्य करना है। अच्छा होगा यदि आप अभी पढ़ डालें।

श्री हनुमंतैया : रेलवे सब से बड़ा सरकारी उपक्रम हैं और सदन को चाहिये कि इसके बजट को ध्यानपूर्वक सुने। इतनी देर में इसे पढ़ना उचित नहीं होगा।

श्री राजबहादुर : इसे मध्याह्न के उपरांत ही पढ़ा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मालूम होता है कि आपने मध्याह्न के उपरांत ही पढ़ने का निश्चय कर लिया है।

श्री हनुमंतैया : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होते हैं और दो बजे म० प० पर पुनः समवेत होंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

Re : Third pay Commission's Report

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपकी अनुमति से मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

इस महीने की 22 तारीख के समाचार पत्रों में हमने पढा है कि वेतन आयोग इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट न दे सकेगा। आयोग का कहना है कि इसमें काफी देर लग सकती है। यदि इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत होती तो मेरे विचार में ऐसे आयोग को समाप्त कर देना चाहिये। मैं यहां उपस्थित वित्त मन्त्री से कहूंगा कि वे इस बारे में वक्तव्य दें। इस कारण 27 लाख कर्मचारी दुखी हैं

रेलवे बजट 1971-72 प्रस्तुत किया गया

RAILWAY BUDGET 1971-72 PRESENTED

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया): मैं सदन के सम्मुख 1971-72 के रेलवे बजट के अनुमान पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

1970-71 के प्रारम्भिक वास्तविक आंकड़े

2. मार्च के महीने में प्रस्तुत अन्तरिम बजट से यह चला था कि 1970–71 के संशोधित अनुमान में 23.69 करोड़ रूपये की कमी होगी। वर्ष के अन्तिम आंकड़े वर्ष के लेखे बन्द होने पर अगस्त में उपलब्ध होंगे फिर भी, वर्ष में आमदनी और खर्च के प्रारम्भिक वास्तविक आकड़े संशोधित अनुमानों के काफी निकट चल रहे हैं। अब जो वित्तीय स्थिति प्रस्तुत है, उसके अनुसार यह कमी लगभग 23.88 करोड़ रूपये की होगी अर्थात् संशोधित अनुमान से लगभग 19 लाख रुपये का मामूली अन्तर होगा।

3. फरवरी और मार्च, 1971 के दो महीनों में लदान 1970 के इन्हीं महीनों की तुलना में पिछड़ता रहा। उस समय आशंका यह थी कि 1970–71 में, राजस्व उपार्जक माल यातायात 1969–70 के वास्तविक यातायात की तुलना में लगभग 43 लाख मीटरिक टन कम रहेगा। लगता है, यह कमी बढ़कर लगभग 52 लाख मीटरिक टन हो जायेगी। लेकिन भाड़ा यातायात की वहन दूरी बढ़ने और ऊंची दर वाला यातायात अधिक अनुपात में होने से अब यह प्रतिकूल स्थिति बदल कर कुछ अनुकूल हो गयी है। अनुमान है कि माल यातायात से 3.31 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

4. "यात्री यातायात" तथा "फुटकर" से आमदनी के अन्तर्गत क्रमश: 3.87 करोड़ रुपये और 2.45 करोड़ रूपये की कमी हुई है। लेकिन "अन्य कोचिंग" के अन्तर्गत 2.61 करोड़ रूपये और "माल" के अन्तर्गत 3.31 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण उक्त कमियां लगभग पूरी हो गयी है।

5. कुल मिलाकर सकल आमदनी 1,006.40 करोड़ रूपये होगी जब कि संशोधित अनुमान में 1,006.80 करोड़ रूपये की आमदनी दिखायी गयी थी। यातायात से कुल 1,001.93 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है जबकि संशोधित अनुमान 1,004.00 करोड़ रुपये

परिणामगत स्थिति का रखा गया था। सकल आमदनी लगभग उतनी ही है जितनी कि संशोधित अनुमान में प्रत्याशित थी, लेकिन अनुपलब्ध आमदनी के कारण सकल प्राप्तियों के अन्तर्गत 2.07 करोड़ रूपये की कमी हुई है।

फिर भी, साधारण संचालन व्यय 731.76 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान से 1.35 करोड़ रुपये कम रहेगा। "चालू लाइन निर्माण राजस्व" सहित विविध व्यय में लगभग 52 लाख रूपये की कमी होने की सम्भावना हैं। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग, पेंशन निधि और सामान्य राजस्व में लाभांश की स्थिति वही हैं।

बजट अनुमान, 1971-72

6. मार्च में प्रस्तुत चालू वर्ष के बजट अनुमान के आंकड़े पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान और तत्कालीन किराये, भाड़े और व्यय के स्तर के आधार पर तैयार किये गये थे। इधर अप्रैल में, यातायात का नवीनतम रूख थोड़ा प्रतिकूल रहा है लेकिन बजट अनुमान में कोई परिवर्तन आपेक्षित नहीं है। अतएव किराये-भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर कुल मिलाकर यातायात की सकल प्राप्तियों को 1,044.(0 करोड़ रुपये अर्थात 1970-71 के अनुमानित आंकड़ो से लगभग 42 करोड़ रूपये अधिक रखा गया है। इसी तरह, बजट अनुमान में संचालन व्यय का जो अनुमान लगाया गया था, वह ठीक ही है।

7. परिणामतः रेलों को 1971-72 में 33.12 करोड़ रूपये की कमी का सामना करना है जैसा कि अन्तरिम बजट में दिखाया गया था।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलें चिन्ता का कारण हैं

8. अन्तरिम बजट में यह अनुमान था कि 1971-72 के अन्त तक रेलों पर सामान्य राजस्व का 15¹.6 करोड़ रूपये का ऋण चढ़ जायेगा। इस बात का भी पूर्वानुमान था कि चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति 1970-71 की अपेक्षा लगभग 9.5 करोड़ रूपये नीचे रहेगी। मार्च से अब तक वर्ष की स्थिति में सुधार के कोई लक्षण दिखायी नहीं दिये। अप्रैल, 1971 में सकल यातायात से कुल आमदनी बजट में निर्धारित 86.89 करोड़ रूपये के सानुपातिक लक्ष्य से 1.63 करोड़ रूपये कम रही है। यदि यही रवैया बना रहा तो, हो सकता हैं, अन्तरिम बजट में उल्लिखित आमदनी के स्तर को प्राप्त करना भी सम्भव न हो। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलें निरन्तर चिन्ता का कारण बनी हुई हैं भारतीय रेलों पर ढोये जाने वाले कुल माल का 60 प्रतिशत इन्हीं रेलों पर ढोया जाता है और बड़ी लाइन के कुल माल डिब्बों में से 40 प्रतिशत माल डिब्बे इन्हीं रेलों पर चलते हें। लेकिन हर रोज गाड़ियों का संचालन अस्त-व्यस्त होने से इनके लिए कार्य करना ही दुष्कर हो गया है। कर्षण के ऊपरी तारों की चोरी, दूर संचार के केबुलों और उपस्कर की चोरी, गाड़ियों और कर्मचारियों पर हमले, माल डिब्बों और सामान-यान की संगठित लूट-पाट और माल डिब्बों की फिटिंग और रेल पथ की फिटिंग की बड़े पैमाने पर चोरी तो रोजमर्रा की बात हो चुकी है। अकेले पूर्व रेलवे में चालू वर्ष के पहले तीन महीनों में बिजली के ऊपरी तार की चोरी के 155 मामले, दूर संचार केबुलों और उपस्कर की चोरी के 369 मामले, गाड़ियों पर हमले 305, स्टेशनों पर हमले के 39 और कर्मचारियों पर हमले के 33 मामले हुए। ब्रेक बीम, बियरिंग और दूसरी फिटिंग की चोरी के कारण सैकड़ों माल डिब्बे बेकार पड़े रहते हैं। ऊपरी

तारों की चोरी के कारण हर रोज कई घन्टों तक माल गाड़ियों को पूर्वी क्षेत्र के व्यस्त खण्डों में रोक रखना पडता हैं। इन दो रेलों पर बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से सामान्यतः प्रतिदिन कोयले के कम से कम 6,500 माल डिब्बों का लदान होना चाहिए था जबकि पिछले कुछ महीनों में ये रेलें मुश्किल से 5,500 माल डिब्बों में कोयले का लदान कर पायी हैं। यही कारण है कि उद्योगों, बिजली जनित्रों और ईंट के भट्टों के लिए कोयले की पूर्ति इतनी असन्तोषजनक रही है। अनाज के संचलन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है।

सेवा में अवरोध

9. अब प्रासंगिक महत्व माल डिब्बों की संख्या का नही, बल्कि उनके चलते रहने का है माल डिब्बों की गतिशीलता को निर्बाध तथा तेज बने रहना चाहिए। माल डिब्बे बहुत बड़ी संख्या में, विशेष रूप से कलकत्ते के व्यस्त क्षेत्र में, रूके नहीं रहने चाहिए। कुशल परिचालन के लिए हर रोज कलकत्ता से अंडाल तक और अंडाल से कलकत्ता तक 30-30 माल गाड़ियां चलानी अपेक्षित हैं। ये गाड़ियां अधिकतर रात के समय चलती हैं क्योंकि दिन के समय अनेक उपनगरीय और अनुपनगरीय सवारी गाड़ियों का संचालन करना पड़ता हैं। ऊपरी तार की प्रत्येक चोरी से गाडियों के संचालन में लगभग 4 से ४।। घन्टे तक की रूकावट होती है। इतना समय मरम्मत करने वाले दल को अपने विशेष उपस्करों सहित मौके पर पहुँचने और 25,000 वोल्ट की सम्पर्क लाइन और केटेनरी को जोड़ने में लग जाता है। इन क्षेत्रों में हर रोज कम से कम दो चोरियां हो रही हैं। इसी से माननीय सदस्य कल्पना कर सकते हैं कि माल गाड़ियों के संचालन में कितनी बाधा पड़ रही है। माननीय सदस्यगण जो राष्ट्रीय हितों के सरक्षक हैं, कृपया देखें कि सामान्य स्थिति पुनः कांयम करने के लिए कठोर कार्रवाई की कितनी सख्त जरूरत है। यह कार्रवाई निवारक होने के साथ-साथ दण्डात्मक भी होनी चाहिए। रेल-पथ का गहन गश्त लगाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र टुकड़ियां तैनात कर दी गयी हैं। मैं पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध करता रहा हूं कि वे इन संगठित चोरियों और हिंसक कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से दबाने के लिए हमें सहायता और सहयोग दें। अपेक्षित प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य मन्त्रालयों में अपने सहयोगियों से भी मैं विचार-विमर्श करता रहा हूं मैं विशेष रूप से सम्बधित ट्रेड यूनियनों की सहायता और सहयोगी चाहता हूँ। हम सबके लिए इस तरह का सर्व-सम्मिलित और व्यापक प्रयास अनिवार्य हो गया है। आने वाले महीनों में, हमने इस खतरे का, जो कि एक आन्तरिक शत्रु का रूप धारण करता जा रहा है, प्रतिरोध करने के लिए आवश्यकता नुसार मिलते रहने की योजना बनायी है।

समाजिक बोझ

10. रेलों का कार्य वित्तीय दृष्टि से कुछ अण्य बाधाओं से पीड़ित है। मैं उनमें से कुछ को आपके सामने रखने की अनुमति चाहता हूँ। रेलवे वित्त को कुछ सामाजिक बोझ उठाने का दण्ड भोगना पड़ रहा है। रेलों को प्रति वर्ष 8 करोड़ रूपये की हानि अलाभप्रद शाखा लाइनों के कारण उठानी पड़ रही है। यात्री यातायात के कारण लगभग 59 करोड़ रूपये की हानी है। रेलें हर रोज 5,200 सवारी गाड़ियां चलाती हैं और इनमें 66 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं लेकिन यात्री यातायात की आमदनी से उसका खर्च भी नहीं निकल पाता है। यात्री किराया लागत से भी कम है और एक तरह से यह आर्थिक सहायता का लाभ उठा रहा। कथित 59 करोड़ रु० की रकम में से 12 करोड़

रूपये का लाभ तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इन तीन नगरों के वे उप नगरीय यात्री उठाते हैं, जो सस्ते मासिक और तिमाही सीजन टिकटों पर यात्रा करते हैं।

राजस्व उपार्जक यातायात में कोयले, अयस्क, पत्थर, सीमेंट, उर्वरक, अनाज और नमक जैसी कम दर वाली और थोक वस्तुओं के यातायात की बहुलता बढ़ती जा रही है। 1960-61 से 1969-70 तक इन वस्तुओं का प्रारम्भिक लदान 60 प्रतिशत बढ़ा है जब कि अन्य वस्तुओं के यातायात में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1969-70 में कुल राजस्व उपार्जक यातायात में से लगभग 73 प्रतिशत यातायात इन्हीं वस्तुओं का था जबकि माल यातायात से प्राप्त आमदनी में इनका हिस्सा केवल 53 प्रतिशत रहा। अकेले अनाज और दालों के परिवहन में 17.5 करोड़ रूपये, कोयले के परिवहन में 12.0 करोड़ रूपये, चारे और खली में 5.8 करोड़ रूपये और अयस्क में 3.9 करोड़ रूपये की हानि हुई है। 1970-71 में इन सभी और अन्य थोक वस्तुओं के परिवहन में कुल 52 करोड़ रूपये की हानि हुई है। स्वभावतः प्रारम्भिक मीटरिक टन में जितनी वृद्धि हुई है, उसी अनुपात में रेलवे की कुल आमदनी नहीं बढ़ी है। माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि रेलों को फिर से आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनना है, तो इस थोक यातायात कि लाभप्रदता को सुनिश्चित करना होगा। इस तरह के यातायात को सामाजिक दायित्व का नाम दिया जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते रेलों को भी इस दायित्व को निभाने में अपना योगदान देना है। तब भी, यह योगदान कितनी हो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे की आमदनी से वार्षिक व्यय तो निकल ही आना चाहिए।

कम दर वाली वस्तुओं से हानी

11. रेलवे वित्त में गिरावट का रुख 1964-65 से शुरू हो गया था। इसी वर्ष से विकास निधि से होने वाले निर्माण कार्यों की दायिता पूरी तरह नहीं निभायी जा सकी और न 1966-67 से सामान्य राजकोष को वार्षिक लाभांश सम्बन्धी पूर्ण दायिता का निर्वाह ही किया जा सका। परिणामस्वरूप, अपनी दायिताओं को पूरा करने के लिये रेलों को अपनी रेलवे राजस्व आरक्षित निधि से रकम निकालनी पड़ी और आगे चलकर सामान्य राजस्व से ऋण भी लेना पड़ा परिचालन की लागत हर साल बढ़ रही है जिससे किराये-भाड़े से प्राप्त होने वाली आमदनी और संचालन व्यय के बीच एक बड़ी खाई पैदा होती जा रही। कर्मचारियों की लागत में, जो कि संचालन व्यय का 60 प्रतिशत होती है, 1963-64 से 72 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसी अवधि में कोयले की कीमत में 47 प्रतिशत तथा बिजली और डीजल तेल दोनों लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इन सबके परिणामस्वरूप परिचालन लागत का भारित सूचकांक 60 प्रतिशत बढ़ गया है। तथ्य यह है कि इसी अवधि में यात्री किराये और भाड़े में हमने जो वृद्धि की है वह कुल मिलाकर क्रमशः 19.6 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत है। इस तरह माननीय सदस्य देखेंगे कि रेलें अपनी परिचालन लागत में वृद्धि का केवल 36.0 प्रतिशत वसूल करती है।

किराये और भाड़े परिचालन की लागत से पिछड़े हैं

12. माननीय सदस्य जानते हैं कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त अन्तरिम सहायता के कारण रेलवे के वेतन बिल में प्रति वर्ष 36 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। तदुपरान्त सरकारी कर्मचारीयों को स्वीकार्य दैनिक भत्ते में भी वृद्धि की गयी है। इसके परिणा-

बढ़ता हुआ कर्मचारी बिल

मस्वरूप इंजन ड्राइवरों, गार्डों और फायरमैनों के दैनिक भत्तों और रनिंग भत्तों पर 13 करोड़ रूपये का खर्च बढ़ गया है। इन सबको मिलाकर केवल पिछले 12 महीनों में ही रेलवे के वार्षिक वेतन बिल में 49 करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हुई है। वास्तव में, कर्मचारियों की लागत, जो प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ रही है, 1960–61 के 205 करोड़ रूपये से बढ़कर 1970–71 में 465 करोड़ रूपये अर्थात दुगुनी से भी अधिक हो गयी है।

13. माननीय सदस्य सहमत होंगे कि इन पहलुओं और आंकड़ों में इतना सुधार करना होगा कि रेलवे की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाय। मैं जो प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ, उनसे न तो बहुत बोझ पड़ेगा और न हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपकी अनुमति से अपने इन प्रस्ताव की रूप रेखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

प्रस्ताव

कम दर वाली वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण

14. प्रस्ताव है कि जिन वस्तुओं पर श्रेणी 45 और इससे निचले आधार पर प्रभार लिया जाता है, उनके भाड़ा वर्गीकरण को एक सीढ़ी बढ़ा दिया जाये। लेकिन अनाज और किरिबूरू और बेला डिल्ला से निर्यात होने वाले कुछ लौह अयस्क इससे मुक्त रहेंगे। जिन वस्तुओं पर माल डिब्बा भार के लिए इस समय सबसे निम्न श्रेणी अर्थात श्रेणी 25 के आधार पर प्रभार लिया जाता है, उन पर अब श्रेणी 27.5 के अनुसार प्रभार लिया जायेगा ; जिन पर श्रेणी 27.5 के अनुसार प्रभार लिया जाता है, उन पर श्रेणी 30 के अनुसार प्रभार लिया जायेगा और इस तरह बढ़ते-बढ़ते श्रेणी 45 के अनुसार प्रभारित वस्तुओं पर श्रेणी 47.5 के अनुसार प्रभार लगेगा। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह हुआ कि जिन वस्तुओं पर इस समय श्रेणी 25 के अनुसार प्रभार लिया जाता हैं, उनकी भाड़ा दर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी और धीरे धीरे यह वृद्धि कम होती जायेगी और जिन वस्तुओं पर इस समय श्रेणी 45 के अनुसार प्रभार लिया जाता है, उनके प्रभार में केवल 5.3 प्रतिशत की बढ़ती होगी। कम दर वाली इन्हीं वस्तुओं के यातायात में अधिकांश हानि होती है। 'फुटकर' अर्थात माल डिब्बा भार से कम के परेषणों के वर्गीकरण को भी तदनुरूप फिर से निर्धारित किया जायेगा। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 13.70 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

कोयले और कोक का भाड़ा

15. कोयला यातायात पर एक अलग मान के अनुसार प्रभार लिया जाता है। प्रारम्भिक यातायात में से लगभग 30.5 प्रतिशत यातायात कोयले का होता है जब कि इससे कुल आमदनी का केवल 19.9 प्रतिशत प्राप्त होता है। वर्तमान दरों के आधार पर केवल 550 किलोमीटर की दूरी तक कोयले की ढुलाई की लागत निकल पाती है। पिछली बार भाड़ा दरों में संशोधन करते समय 800 किलोमीटर तक की कोयला दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। स्थिति यह है कि 550 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कोयले का यातायात अब अलाभप्रद हो गया है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कोयले और कोक की भाड़ा दरों में इस तरह से वृद्धि की जाये कि लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तक इसके प्रभार से इसकी परिवहन लागत निकल आये।

इससे अधिक दूरी की ढुलाई के लिए परिवहन लागत और भाड़ादरों के अन्तर में थोड़ी सी कमी हो जायेगी।

गाड़ी भार के परेषणों में रियायत और गैर-मौसमी यातायात में छूट

16. फिर भी गाड़ी भार में भेजे जाने वाले परेषणों और गैर-मौसमी यातायात को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ प्रोत्साहन देना चाहता हूं। यदि एक ही अग्रेषण नोट पर एक स्टेशन से एक गन्तव्य स्टेशन के लिये गाड़ी भार में कोयला बुक किया जायेगा, तो सभी दूरियों के लिए उसके भाड़े में 2 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। मंदी के मौसम में अर्थात जून से सितम्बर के महीनों में 500 किलोमीटर और इससे अधिक दूरी के लिए जो कोयला बुक किया जायेगा, उसकी भाड़ा दरों में भी छूट दी जायेगी। यह छूट 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 50 पैसे प्रतिमीटरिक टन से लेकर 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1 रुपया प्रति मीटरिक टन के बीच होगी।

17. इस रियायत और छूट के लिए गुंजाइश रखने के बाद, आशा है, इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में लगभग 6.5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। संशोधित दरों पर भी कोयले के परिवहन में रेलों को 5.50 करोड़ रूपये की हानि उठानी पडेगी।

लोहा और इस्पात

18. मेरा अगला प्रस्ताव है कि भाड़ा वर्गीकरण प्रभाग 'ए' और प्रभाव 'बी' के अन्तर्गत आने वाले लोहे और इस्पात की कोटियों की भाड़ा दर को उसकी वर्तमान भाड़ा दर से एक सीढ़ी ऊपर नियत किया जाये। दूसरे शब्दों में तार की रस्सी, तार की जाली, हथौड़ें कब्जे जैसी लोहे और इस्पात की जिन कोटियों पर माल डिब्बा भार के लिए इस समय श्रेणी 80 के अनुसार प्रभार लिया जाता है, उन पर श्रेणी 82.5 के अनुसार प्रभार लिया जायेगा। छड़, सरिया प्लेटों जैसे लोहे और इस्पात के जिस सामान पर इस समय श्रेणी 67.5 के अनुसार प्रभार लिया जाता है, उस पर श्रेणी 70 के अनुसार प्रभार लिया जायेगा। वर्तमान की भांति 'फुटकर' वर्गीकरण को भी इस तरह से पुनःनिर्धारित किया जायेगा कि तदनुरूपी माल डिब्बा वर्गीकरण के साथ उसका पहले जैसा सम्बन्ध बना रहे। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 1·6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

यात्री किराये

19. इन नवीन भाड़ा दरों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 21·80 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन राजस्व में कुल घाटा 33·12 करोड़ रुपये का है। बाकी के अन्तर को पूरा करना ही है, अत: इसके लिये यात्री-किराया बढ़ने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस वृद्धि का बोझ सभी यात्रियों पर पड़ेगा। पिछले तीन वर्षों से तीसरे दर्जे के यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, हालांकि इस अवधि में परिचालन की लागत 15 प्रतिशत बढ़ी है। मैं यात्री किराये में पूरे मान पर नहीं बल्कि स्वल्प मान पर वृद्धि करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। किसी भी दर्जे मे पहले 15 किलोमीटर तक की यात्रा के किराये में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न सीजन टिकटों के किराये में। 16 से 30 किलोमीटर की दूरी के लिये तीसरे दर्जे के साधारण किराये में 5 पैसे प्रति टिकट

और तीसरे दर्जे के डाक और एक्सप्रेस किराये में 15 पैसे प्रति टिकट वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 31 से 50 किलोमीटर की दूरी के लिये तीसरे दर्जे के साधारण और डाक/एक्सप्रेस किराये में क्रमशः 10 पैसे और 20 पैसे की, और इसी तरह आगे वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 200 किलोमीटर से अधिक की सभी दूरियों के लिये तीसरे दर्जे के साधारण टिकट में अधिक से अधिक 25 पैसे और 1000 किलोमीटर से अधिक की सभी दूरियों के लिये तीसरे दर्जे के डाक अथवा एक्सप्रेस टिकट में अधिक से अधिक केवल 1 रुपये की वृद्धि होगी। इस तरह से, दिल्ली से बम्बई अथवा कलकत्ता अथवा मद्रास अथवा अधिक दूरी के तीसरे दर्जे के एक्सप्रेस टिकट पर केवल एक रुपया अधिक देना होगा। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह वृद्धि न्यूनतम है। तीसरे दर्जे के साधारण और डाक/एक्सप्रेस किरायों में प्रस्तावित वृद्धि से 11.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

20. तीसरे दर्जे के वातानुकूल कुर्सी यान सहित ऊंचे दर्जे के किरायों को अनुपाततः अधिक दर पर बढ़ाया जा रहा है। तीसरे दर्जे के वातानुकूल कुर्सीयान और दूसरे दर्जे के साधारण और डाक/एक्सप्रेस किराये में 16 से 30 किलोमीटर तक की दूरी के लिये 50 पैसे से लेकर 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये 2 रुपये तक की वृद्धि की गयी है। 1,000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये पहले दर्जे के किराये में अधिक से अधिक साढ़े तीन रुपये और वातानुकूल पहले दर्जे के किराये में सात रुपये की वृद्धि की गयी है।

ऊंचे दर्जों के किराये में परिवर्तन के फलस्वरूप 1·60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

21. माननीय सदस्यों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें भाड़ा दर और यात्री-किराये दोनों से सम्बन्धित प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है।

प्रस्तावों का वित्तीय प्रभाव

22. इन सभी उपायों से कुल मिलाकर वर्ष भर में 35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। चूंकि संशोधित दरें इस वर्ष केवल 1 जुलाई से प्रभावी हो सकती हैं, इसलिये चालू वित्तीय वर्ष में केवल 25·25 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। इससे चालू वर्ष में 6·87 करोड़ रुपये का घाटा फिर भी बना रहेगा।

रेलवे का घाटा पूरा करने के उपाय

23. मेरा प्रस्ताव है कि बजट में इस घाटे को पूरा किये बिना छोड़ दिया जाये। मितव्ययता बरतने और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर नीचे गैंगमैन तक सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा जो प्रयास किये जाने का प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ, उनसे यह घाटा पूरा करने की कोशिश की जायेगी। आशा है, आपकी शुभकामना और सहयोग के बल पर मुझे इसमें सफलता मिलेगी। मैंने रेलों के संचालन में सुधार के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे कि अधिक आमदनी प्राप्त होने के साथ-साथ खर्च में किफायत हो सके। मैंने हाल में सभी क्षेत्रीय रेलो के महाप्रबन्धकों के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श किया है। मैंने सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त और इस वर्ष के लिये विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्रीय रेल प्रशासन अपने लक्ष्य को परा करने का भरसक प्रयास करेंगे। मैंने

देखा है कि रेलवे संगठन में हर स्तर पर लागत के प्रति सजगता की भावना के साथ-साथ आमदनी को अधिकतम बढ़ाने और खर्च को घटाने की तत्परता स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। यदि काम की परिस्थितियां सामान्य हो जायें, तो यह आशा सकारण की जा सकती है कि हमारे विशेष प्रयासों से शेष घाटा पूरा हो जायगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना—लक्ष्य और परिव्यय

24. रेलों की मूलतः विरचित चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, यह अनुमान था कि योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1973–74 में रेलों पर 2 647 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात का परिवहन होगा। योजना के पहले वर्ष अर्थात 1969-70 में, 2,123·5 लाख मीटरिक टन का पूर्वानुमान था, लेकिन वस्तुत: केवल 2,079 लाख मीटरिक टन यातायात प्राप्त हुआ। फलत: फ़रवरी, 1970 में प्रस्तुत बजट में 1970-71 का लक्ष्य 2,246 लाख मीटरिक टन से बदल कर 2,170 लाख मीटरिक टन कर दिया गया। यह अनुमान भी देश की औद्योगिक पट्टी में कानून और व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़, हड़ताल और बन्द तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के इस्पात कारखानों के परिचालन में कठिनाइयों के कारण गड़बड़ा गये। 1970-71 में वास्तविक यातायात 1,990 लाख मीटरिक टन अर्थात 180 लाख मीटरिक टन कम रहा। अत: योजना आयोग के परामर्श से वास्तविक लक्ष्यों की पुनरीक्षा करके उन्हें 2,650 लाख मीटरिक टन से घटा कर 2,405 लाख मीटरिक टन करना आवश्यक हो गया। योजना परिव्यय को भी 1,525 करोड़ रुपये से घटा कर 1,275 करोड़ रुपये कर दिया गया। फलतः निवेशों में कटौती करने के लिये कदम उठाये गये हैं। तदनुसार, अन्तरिम बजट में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक पर होने वाले 1971-72 के योजना परिव्यय को 308 करोड़ रुपये के मूल आंकड़े से घटाकर 280 करोड़ रुपये कर दिया गया। रेल प्रशासनों को आदेश हैं कि भण्डार-सूचियों को छोटा करें और रद्दी एवं कार्य-मुक्त सामान को शीघ्र ठिकाने लगायें ताकि अधिक से अधिक निर्जीव पूंजी निकाली जा सके।

25. पहले की योजनाओं में लाइन-क्षमता और बिजलीकरण के विकास-कार्यों पर अधिकांश खर्च पूर्वी कोयला-इस्पात पट्टी क्षेत्र में किया गया था। यातायात का स्वरूप बदल जाने से अब हमें तीन क्षेत्रीय रेलो के उत्तर-दक्षिण मार्गों, पश्चिम रेलवे के दिल्ली-बम्बई और बम्बई-अहमदाबाद मार्गों तथा दक्षिण रेलवे के जोलारपेट्टै ओलवक्कोठ खण्ड का विकास करना है।

जैसा की सदन को ज्ञात है, चौथी योजना का मध्यावधि समीक्षण किया जा रहा है। हमारे पास तीन नये इस्पात कारखाने हैं और स्वभावत: उनकी सेवा के निमित्त रेलों समकालिक विकास की आवश्यकता है। इस बात की भी सम्भावना है कि अर्थ-व्यवस्था के पुनरुद्धार के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में यातायात की मांगें बढ़ जायें। हम योजना आयोग और सम्बन्धित आर्थिक मन्त्रालयों के परामर्श से स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण कर रहे हैं। रेलवे योजना लचीली है और यातायात की बढ़ती हुई मांगों को जब कभी नये निर्माण-कार्यों की आवश्यकता होगी, उनके लिए आवश्यक साधन जुटाने होंगे।

26. अब मैं, आपके विचार योग्य रेल संचालन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करूंगा।

ग्रामान परिवर्तन

ग्रामानों की बहुलता-अंग्रेजी से मिली विरासत

27. प्रबुद्ध जन-मानस का आग्रह है कि भारतीय रेलों में एक ही ग्रामान रहें। प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलों से सम्बन्धित अपनी रिर्पोट में कहा है कि ग्रामानों की वर्तमान बहुलता अयुक्त एवं अपव्ययपूर्ण है। आमान के एकीकरण से यातायात सुचारू रूप से प्रवाहित होता है, परिवहन क्षमता बढ़ती है और परिचालन की लागत घटती है। कुछ घनत्वों से ऊपर वाले यातायात के लिए मीटर लाइन पर परिचालन की लागत बड़ी लाइन पर परिचालन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक बैठती है। ग्रामान भंग के यानान्तरण स्थलों पर माल चढ़ाने-उतारने पर भी बहुत अधिक, अर्थात् प्रति मीटरिक टन 3 रूपये से भी अधिक खर्च आता है। इसके अलावा चोरी, उठाईगीरी और क्षति की घटनाएं, जिनकी कि बहुत शिकायत है, सामान्यतः यानान्तरण स्थलों पर ही घटती हैं। अंग्रेजों ने भारत पर बहु-ग्रामान प्रणालीथोप दी थी, यद्यपि अपने देश में वे दृढतापूर्वक एक-ग्रामान प्रणाली को अपनाये रहे। अन्य किसी समुन्नत देश में भी बहु-ग्रामान प्रणाली नही है। वर्तमान चार ग्रामान भारत की प्रगति में आर्थिक अड़ंगा बने हुए हैं। इस अड़ंगे को यथाशीघ्र समाप्त करना है। शुरू में हमें कम से कम एक नीति निर्णय करना है कि मीटर या छोटे ग्रामान की और कोई लाईन नहीं बनायी जायेगी, हर नयी लाइन बड़े ग्रामान की होगी और अब से आगे धीरे धीरे मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू हो जाना चाहिए।

भविष्य में मीटर अथवा छोटे ग्रामान की कोई लाईन नहीं होगी

बेरोजगारीं की समस्या का समाधान

28 मैं अच्छी तरह समझता हूं कि समूची लघुतर आमान प्रणाली को बड़े ग्रामान में एक दम परिवर्तित करना व्यावहारिक नहीं है। इसमें लाईन बनाने पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये और बड़ी लाइन के चल-स्टाक पर भी 2,000 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। लेकिन देश के सामने बेरोजगारी की जो जटिल समस्या है, वह इस महानकार्य को हाथ में लेने से काफी हद तक हल हो सकती है। इससे रोजगार के महान अवसर तत्काल उत्पन्न होंगे और राष्ट्र को स्थायी परिसम्पत्ति प्राप्त होगी।

पन्द्रह वर्षीय योजना

29. भारतीय रेलों ने लगभग 3,000 मार्ग किलोमीटर लम्बी लाइनों को बड़े ग्रामान में बदलने की एक पन्द्रह वर्षीय सदर्शी योजना बनाई है। इस परियोजना से सम्बद्ध सिविल निर्माण-कार्यों पर लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है इस प्रयोजन के लिए 15 करोड रूपये चालू योजना में शामिल हैं जिनमें से 7.53 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

सर्वेक्षण

30. रेलों ने देश के विभिन्न भागों में अनेक ग्रामान-परिवर्तन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किये हैं। जो सर्वेणक्ष रिर्पोट पूरी हो गयी हैं और मिल गयी हैं, उनमें से आगे उल्लिखित परियोजनाओं के वित्तीय कसौटी पर खरी उतरने की सम्भावना है। ये लाइने हैं :—

(1) दक्षिण रेलवे के गुन्तकल्लु-बेंगलूरु और

(2) एर्णाकुलम्-तिरूवनन्तपुरम् खण्ड़ ;

(3) पश्चिम रेलवे के वीरमगाम-ओखा और कानालूस-पोरबन्दर खण्ड ।

सम्बंधित रेल प्रशासनो से आगे कुछ और आंकडे तथा स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और मैंने निदेश दिया है कि इन सभी परियोजनाओं की जांच अगले तीन महीनों में पूरी हो जानी चाहिऐ । मुझे आशा है कि ये तीन परियोजनाएं अर्थ-क्षम सिद्ध होंगी, बांछनीय तो ये हैं ही । आशा है, इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरक मांगे लेकर मैं इस सदन के सामने आ सकूंगा ।

तत्काल रोजगार

31. देश में लगभग 41,000 समपार हैं । जब तक इनमें से किसी न किसी समपार पर दुर्घटना होती रहती है । लगभग इन सभी समपारों के कारण सड़क उपयोग कर्त्ताओं को विलम्ब होता है । सम्पारों पर पहुँचते समय गाड़ियों को भी धीमा करना पड़ता है और उसी हद तक उनका चालन-समय बढ़ जाता । देश भर से ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण के लिए असंख्य मांगे आ रही है एक ऊपरी/निचले पुल का निर्माण हाथ में लेने पर लगभग 400 व्यक्तियों की 6 महीने से 9 महीने तक के लिये काम मिलेगा । इस तरह के निर्माण कार्यों में पैसा लगाने के लिये कुछ वर्ष पूर्व "रेलवे संरक्षानिर्माण-कार्य निधि" स्थापित की गई थी जिसमें रेलवे राजस्व से अंशदान किया जाता है ।

1971-72 में रेलों द्वारा इस निधी में 2.28 करोड़ रूपये का अंशदान किया जायेगा और तब इस निधि का संचय 10.83 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण— रोजगार का एक साधन

32 ऊपरी/निचले पुल निर्माण के तीन लाभ हैं । इससे दुर्घटनाएं नहीं होती, गाडियों और सड़क का यातायात अबाध और तीव्रतर होता है तथा कुशल एवं अकुशल दोनों तरह के बेरोजगार लोगों को तुरन्त राहत मिल सकती है । अतः मैं इन निर्माण-कार्यों को अधिक महत्व देता हूँ और यथासम्भव अधिक से अधिक ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण के लिए अभियान शुरु करने का आग्रहपूर्वक प्रस्ताव करता हूँ । इस प्रयोजन के लिये मुझे राज्य सरकारों से सहयोग चाहिये क्योंकि इन निर्माण कार्यों की आधी लागत रेलों को और आधी राज्य सरकार को उठानी होती है । तदनुसार हमने राज्य सरकारों को इस संबन्ध में लिख दिया है ।

33. यदि 10.83 करोड़ रुपये की समूची राशि ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण पर इसी वर्ष खर्च हो जाये तो मुझे खुशी होगी । इन परियोजनाओं से बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसर तुरन्त पैदा हो सकते हैं । इनसे भारत सरकार की रोजगार देने की योजनाओं को और बल मिलेगा ।

आधुनिकीकरण

34. भारतीय रेलों पर यातायात के विकास में मुख्य धटक इस्पात, कोयला, लौह अयस्क, मेंगनीज अयस्क सीमेंट आदि थोक वस्तुओं के संचालन का और कुछ चुने हुए क्षेत्रों और मार्गों में

उनके जमाव का रहा है। यह एक ऐसा पहलू है जिसने रेलों के सामने विशेष समस्याएं खड़ी कर दी हैं। भाप कर्षण के अन्तर्गत यातायात संचलन के महत्वपूर्ण मार्ग संतृप्त होने लगे थे। इसलिए रेलों का कर्षण का बिजलीकरण और डीजलीकरण करना पड़ा।

डीज़ल और बिजली कर्षण

35. भाप कर्षण की तुलना में डीजल और बिजली कर्षण के स्पष्ट लाभ हैं, विशेष रूप से भारी यातायातिक घनत्व वाले खण्डों में। भाप इंजनों की गति और गतिबृद्धि धीमी होती है। उनकी ताप-कुशलता और कर्षण-क्षमता भी कम होती है। इसके अलावा, उन्हें रास्ते में कोयला और पानी भी लेना पड़ता है। डीजल और बिजली इंजनों की चाल तीव्रतर होती है, गतिवृद्धि बेहतर होती है, उनकी कर्षण-क्षमता अधिक होती है और रास्ते में उन्हें, सेवा की कम दरकार होती है। अतः वे परिचालन में सुधार और संचालन-व्यय में काफी बचत कर पाते हैं।

आधुनिकीकरण के गुण–दोष-लाभ

36. जमघट वाले खण्ड़ पर, अधिक भारी और लम्बी दूरी वाली कुछ ही गाडियों को भाप के बजाय डीजल कर्षण द्वारा चलाये जाने से भी काफी राहत मिल सकती है और दोहरी लाईन बिछाने जैसे लाइन क्षमता सम्बन्धी खर्चीले निर्माण कार्यों के खर्च को टाला जा सकता है। डीजलीकरण का सूत्रपात क्रमशः और चयनपूर्वक इस प्रकार किया जा सकता है कि ज्यों-ज्यों यातायात बढ़े त्यों-त्यों अधिकाधिक माल गाडियों का डीजलीकरण होता चले। 80-90 लाख मीटरिक टन वार्षिक से अधिक घनत्व वाले यातायात के लिए, बिजली कर्षण सामान्यतः भाप और डीजल दोनों प्रकार के कर्षण से सस्ता हो जाता है, भले ही उसका प्रारम्भिक पूंजी परिव्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है। हा बिजली इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन से यह लाभ है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे जब चाहे तब एक खण्ड से दूसरे खण्ड तक भेजा जा सकता है।

37. लम्बी दूरी की मालगाडियों का और 25 जोडि महत्वपूर्ण डाक एवं एक्सप्रेस गाडियों का डीजलीकरण कर दिया गया है जो 23.000 से अधिक मार्ग किलोमिटर तय करती हैं।

38. भारतीय रेलों के सामने बिजलीकरण का एक चरणबद्ध दीर्घकालिक कार्यक्रम है जिसे निस्सन्देह, देश की बिजली इंजन उत्पादन-क्षमता, बिजली और अन्य अपेक्षिक सामग्री की उपलब्धता के साथ समकालिक बनाना है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस समय बिजली कर्षण नौ में से छः क्षेत्रीय रेलों, अर्थात् पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण रेलवे पर शुरु कर दिया गया है। 1960-61 से 1970-71 तक के दस वर्षों में, 3,330 मार्ग किलोमिटर दूरी का बिजलीकरण किया जा चुका है। चोथी योजना में जिन महत्वपूर्ण खण्डों के बिजलीकरण का प्रस्ताव है उनमें से कुछ हैं पश्चिम रेलवे का विरार-साबरमति, दक्षिण पूर्व रेलवे पर बाल्तेरु-किरन्दुल और पांशकुडा हल्दिया, उत्तर रेलवे पर टूंडला-दिल्ली और दक्षिण/दक्षिण-मध्य रेलवे पर मद्रास-विजय वाड़ा खण्ड इन योजनाओं में कुल मिलाकर 1758 किलोमिटर का बिजलीकरण होगा और इस पर 103 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

39. परन्तु आधुनिकीकरण के इस सक्रान्ति काल में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बिजलीकरण की आरम्भ वेला

समस्याएं में रेलों को जिस एक बड़ी बाधा का अनुभव हुआ वह है, तांबे के ऊपरी तारों की बड़े पैमाने पर बारम्बार होने वाली चोरियां और उनके गम्भीर दुष्परिणाम।

40. सिगनल व्यवस्था, डीजलीकरण और बिजलीकरण की परिष्कृत रीतियों के विकास ने कुछ कर्मचारी-समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं और वह यह कि इन परिष्कृत यंत्रो के अनुरक्षण और परिचालन के लिये अपेक्षित कार्मिकों को विशेषत: प्रशिक्षित और उपयुक्त रूप से अर्हतायुत्त करना होता है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायेगी, इसलिए कर्मचारियों को नये और आधुनिक उपस्कर के परिचालन ओर अनुरक्षण का पुन: प्ररिक्षण देने और उन्हें इस काम में लगाने का प्रबन्ध किया गया है।

41. और भी एक समस्या है जो कदाचित इन परिस्थितियों में अपरिहार्य है। वह है कर्षण के आधुनिकीकरण के प्रारम्भिक चरणों में एक ही मार्ग पर अनेक प्रकार के कर्षण की उपस्थिति रेलों को यह ज्ञात है कि किसी मार्ग विशेष पर ऐक जैसे कर्षण के क्या लाभ होते हैं और वे इसके लिये प्रयत्न कर रही है। इस संदर्भ में ब्रड़ी लाइन के भाप रेल इंजनों का देशी निर्माण पहले ही बन्द किया जा चुका है।

नई किस्म का चल-स्टाक

42. यातायात की खासकर थोक वस्तुओं के यातायात की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये, रेलों ने बड़ी लाइन के अधिक क्षमता वाले बोगी माल डिब्बे सेवा में लगा दिये हैं, जिनकी वहन क्षमता 55 से 65 मीटरिक टन तक होती है जबकि परम्परागत किस्म के 2-धुरी माल डिब्बों की क्षमता 22 मीटरिक टन होती हैं। इन माल डिब्बों के कारण अधिक भारी गाडीयां चल सकती है और तद्-नुसार सीधी ढलाई का काम अधिक परिणाम में हो सकता है। इन माल डिब्बों के सूत्रपात से, माल गाडियों का अनुमेय सकल भार लगभग 2,200 मीटरिक टन से बढ़कर लगभग 3,650 मीटरिक टन हो गया हैं, अर्थात् उसमें करीब 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिक क्षमता वाले इन माल डिब्बों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से इन्हें बन्द परिपथों में बहुत डीजल अथवा बिजली रेल इंजनों द्वारा चलाया जाता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

43. प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलों से संबन्धित रिपोर्ट में 49 सिफारिशें की हैं। यें सिफारिशें दूरगामी परिणाम लाने वाली हें और इनमें रेलवे की गतिविधि के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश हो गया है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि रेलों को, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्र का बृहत्तम उपक्रम हैं इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे संसद् द्वारा निर्धारित नीति से डांचे के अर्न्तगत ठोस व्यापारिक एवं वाणिज्यक सिद्धान्तो पर काम कर सकें। सरकार इन सिफारिशों को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। कुछ सिफारिशों पर सर्वोच्च स्तर पर विचार होना है। अभी छ: सिफारिशो को पूर्णत: अथवा मामूली हेरफेर के साथ स्वीकृत किया गया है। अन्य सिफारशें विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं।

समय-पालन

44. गाड़ियों के लेट चलने की आलोचना के प्रति मैं पूरी तरह सचेत हूँ। यात्री गाड़ियों के समय पालन को इस वर्ष बहुत धक्का पहुँचा है। इसके दो कारण हैं। एक तो है तार-चोरों और जंजीर खींचने वाले द्वारा तथा बन्द, घरना एवं आक्रमण के रूप में राजनितिक आन्दोलनकारीयों द्वारा गाड़ी-चालन में किया जाने वाला हस्तक्षेप। दूसरा कारण है संबंधित रेल कर्मचारियों की अकुशलता। आगामी वर्ष में, हमें इस हस्तक्षेप का मुकाबला करने और अकुशलता को दण्डित करने के उपाय और तरीके निकालने हैं।

खतरे की जंजीर का खीचा जाना

खतरे की जंजीर खींचने के मामलों की संख्या को ही देखिए। 1969 में इनकी संख्या 2,54,932 थी और अगले ही वर्ष 1970 में वह बढ़कर 3 33,911 हो गयी है। इस समय इनकी संख्या एक हजार प्रतिदिन है।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

सभी स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था है

45. इस बात का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाय। सदन को यह बताते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के प्रतिक्षालय, रोशनी, पीने का पानी, बुकिंग का पर्याप्त प्रबन्ध आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का काम 1970-71 में पूरा कर दिया गया है। 1954 में तीसरे दर्जे के जो शयन-यान चालू किये गये थे, वे अब कुछ सवारी गाड़ियों के अलावा, सभी डाक और एक्सप्रेस गाडियों में लगाये जाते हैं। भारतीय रेलों में इस समय तींसरे दर्जे के कुल 1,900 शयन यान प्रयोग में आ रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में यात्री सुविधाओं पर प्रति वर्ष लगभग 2.4 करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे। यह खर्च बढ़ते-बढ़ते चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 4 करोड़ रुपये वार्षिक हो गया है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मोजूदा सवारी डिब्बो में रोशनी, पंखे और बिजलीं का जो अन्य सामान लगा होता है, वह संगठित चोरियों का लक्ष्य बन गया है।

46. मेरे पूर्ववर्ती श्री गुलजारीलाल नन्दा ने यात्री-सुविधाओं में सुधार, ईधन में किफायत और महत्वपूर्ण यानान्तर स्थलों पर चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने जिन जन सहयोग का सूत्रपात किया, वह आगे और अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाने योग्य है। मैं जानता हूँ कि अभी बहुत काम करने को पड़ा है। और वह किया जायेगा।

पहाड़ी यात्रा के लिए रियायत

47. 1951 से हर साल गर्मी के महिनों में,अर्थात 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक, इकहरी यात्रा के डयोढें किराये पर रियायती वापसी टिकट जारी किये जाते हैं। हमने जब ये टिकट जारी करना शुरू किया तो मुख्य उद्देश्य यह था कि कुछ पहाडी स्टेशनों के प्रति यातायात आकर्षित हो। पिछले वर्ष तक कोई 25 से 40 पहाड़ी स्टेशनों के लिए किसी भी ऐसे स्टेशनों के लिए किसी भी ऐसे स्टेशनों से यह रियायत उपलब्ध थी जहां से कि प्रभार्य दूरी 240 किलोमीटर या उससे अधिक

हो। इस रियायती यातायात के कारण रेलों को लगभग 20 लाख रुपये की हानि होती है। इन महीनों में न केवल रेल यात्रियों के लिये बल्कि पहाड़ी स्टेशनों पर आवास के लिऐ भी भारी भीड़ होती है। इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि इन वर्ष इन रियायतों को उन स्टेशनों तक सीमित रखा जाय जो पहाड़ी स्टेशनों से 400 किलोमीटर अथवा इससे अधिक दूरी पर स्थित हों। हमें यह देखना है कि क्या सिमित-संख्यक और अपेक्षाकृत खुशहाल लोगों को यह रियायत देते रहना आर्थिक दृष्टि से न्याय-संगत है।

कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध

48. सदन को इस शिकायत का पता है कि प्रबन्धक और कर्मचारी परस्पर और अच्छा व्यवहार कर सकते थे। निस्सन्देह वे इसके लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि उन्हे और अधिक प्रयत्न करना होगा ताकि हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ सके।

49. 23 मार्च, 1971 को संसद् के संयुक्त सत्र के सामने राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि निर्दोष औद्योगिक सम्बन्धों के विकास के लिए और कर्मचारियों के प्रति न्याय को बरकरार रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ट्रेड यूनियन नेताओं ने और प्रबन्धकों के पारस्परिक परामर्श का बड़ा महत्व है। जहां उत्पादन के साधन जनता के स्वामित्व में हों और प्राइवेट मुनाफा उद्देश्य न हो—जैसा कि रेलों के मामले में है—वहां हड़तालों को सिद्धांततः त्याग दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं। रेलों को सच्चे रूप में जन-हितकारी बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ कार्य एवं उत्पादन परक सम्बन्ध परमआवश्यक है। हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रबन्धको और कर्मचारियो की पारस्परिक शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए और उनके झगडों का फैसला करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

50. प्रधान मन्त्री ने ट्रेड यूनियन संगठनों के सम्मेलन पर अपने उद्घाटन भाषण में यह कहा है कि :

"......उत्पादन की प्रक्रिया में प्रमुख भाग श्रम का होता है तथा उत्पादन के विकास की गति को और इसलिए अर्थ-व्यवस्था में निवेश की गति को बढ़ाने में श्रमिक प्रयासों की उत्कृष्टता और तीव्रता का स्थान अपरिहार्य है .. ...बेरोजगार लोगों को, विशेषतः संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, जिन्हें किसी सीमा तक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, यह मानना चाहिये कि हमारे देश में बेरोजगार होना स्वयं एक सोभाग्य की बात है। अतः उन्हें सिर्फ अपने ही लाभ की चिन्ता नहीं होनी चाहिये, बल्कि उन लोगों पर भी कुछ दया करनी चाहिए जो काम करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे देश में पूंजी-निर्माण की गति अपेक्षाकृत कम है......"

प्रधान मन्त्री की सलाह हितकर और सामयिक है और यदि हमें संविधान में निहित आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है तो इस सलाह का अनुसरण करना ही होगा।

51. मैं यह सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि इस वर्ष भी श्रम संगठनो के साथ सम्बन्ध प्रायः

मैत्रीपूर्ण और संतोषजनक रहे। रेल कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से गाड़ियों के संचलन से सीधे सम्बन्ध कर्मचारियों के लिए, यह वर्ष खास तौर से कठिन और प्रेशानी वाला रहा है। अपनी संरक्षा का विचार न करके, सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों ने अनुकरणीय साहस और कर्त्तव्य परायणता दिखाते हुए राष्ट्र की 'जीवन रेखा' अर्थात् रेलों के संचालन में अपना पूरा कौशल प्रकट किया है।

52. समाजवाद के आदर्श के साथ श्रमिकों का नाता विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और वह उचित ही है। हमारा प्रचुर बहुमत समाजवाद से प्रतिबद्ध है। हमें इस बात को फिर से समझ लेना है कि हमारे देश में समाजवाद की सफलता हमारे सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता से जुड़ी हुई है। रेलें हमारा बृहत्तम सार्वजनिक उपक्रम हैं, इसलिए वे समाजवाद के मूल्यों को सिद्ध करने का सर्वोत्तम साधन है।

53. महोदय, आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक, 1971– पुरः स्थापित

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR BILL 1971-INTRODUCED

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण करने वाला विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

कि राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण करने वाले विधेयक को पर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted`

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ।

मैसूर राज्य से संबंधित उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प– स्वीकृत

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO MYSORE—ADOPTED

गृह कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं

"कि यह सभा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मैं मैसूर राज्य के सम्बंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा के अनुमोदन के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

उद्घोषणा जारी किये जाने सम्बंधी राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी गई है स्मरण रहे कि मार्च 1971 में श्री वीरेन्द्र पाटिल ने मुख्य मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया जिसके फ़लस्वरूप राज्य का 1971-72 का बजट पास न हो सका। विरोधी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान विधान सभा में दूसरी सरकार का बनाना सम्भव नहीं उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिशों की राष्ट्रपति की उद्घोषणा 27 मार्च 1971 को जारी की गयी।

उद्घोषणा जारी होने के बाद भी राज्यपाल ने वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रयत्न जारी रखे। 14 अप्रैल 1971 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ख) के अधीन विधान सभा को भंग कर दिया। जारी की गयी उद्घोषणा का प्रभाव 27 मई, 71, को समाप्त हो जावेगा। मैं सदन से उद्घोषणा का अनुमोदन करने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बड़े।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : Mr. Deputy Speaker............

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब प्रधान मंत्री बंगला देश पर वक्तव्य देंगी। प्रधान **मंत्री।**

बंगला देश की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION IN BANGLA DESH

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय जब से संसद का गत सत्र समाप्त हुआ है, तब से सात सप्ताहों के समय में समूचे राष्ट्र का ध्यान बंगला देश में हो रही दुःखद घटनाओं की ओर आकर्षित है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च में जब हम यहां एकत्र हुए थे तो वातावरण आशा पूर्ण था। हम सब यह महसूस करते थे कि हमारे देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास होगा और युगों से चलती आ रही गरीबी को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प होकर प्रयास किये जायेंगे। जब कि हम अपने ये नये कार्य प्रारंभ कर ही रहे थे, हमें एक नई और जटिल समस्या ने आ दबाया जो कि हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है।

शरणार्थियों के दुख में शामिल होने, उनके प्रति इस सभा और भारत की जनता की सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करने तथा उनकी देख रेख के लिये किये गये प्रबन्धों की स्वयं जांच करने के विचार से मैंने 15 और 16 मई को असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। मुझे दुख है कि इस बारे में अन्य शिविरो का दौरा नहीं कर सकी। स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थाओं सहित सभी उपलब्ध इमारतों का अधिग्रहण कर लिया गया है। हजारों तम्बू लगा दिये गये हैं और 335 शिविरों में, जो अब तक स्थापित किये गये है, यथा शीघ्र अस्थायी आश्रय गृहों का निर्माण किया जा रहा है। अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद हम सीमा पार करके आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय स्थान मुहैया नहीं कर पाये हैं और बहुत से व्यक्ति अभी खुले में ठहरे हुए हैं।

जिला अधिकारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इससे पूर्व कि वे पहले आ चुके लोगों के लिये प्रबन्ध पूरे कर सके, प्रतिदिन 60,000 व्यक्ति और आ जाते हैं।

इतने थोड़े समय में इतने अधिक व्यक्तियों का आ जाना इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। पिछले आठ सप्ताहों के दौरान बंगला देश से लगभग 35 लाख व्यक्ति भारत आ चुके हैं। उनमें हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध तथा ईसाई सभी धर्मों के व्यक्ति हैं। इनमें समाज के सभी वर्गों और सभी आयु के लोग हैं। विभाजन के पश्चात् से शरणार्थी शब्द का जो अर्थ हमने समझा, ये लोग इस अर्थ में शरणार्थी नहीं हैं। वे युद्ध से पीड़ित हैं और उन्होंने सीमा पार के क्षेत्रों में सैनिक आंतक से त्रस्त होकर यहां शरण ली है।

बहुत से शरणार्थी जख्मी हैं। और उन्हें तत्काल डाक्टरी देख रेख की अपेक्षा है। त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में मैंने कुछ एसे व्यक्तियों को देखा है। हमारे सभी सीमावर्ती राज्यों में चिकित्सा सुविधाएं ऐसी स्थिति तक पहुंच चुकी है जहा से आगे बढ़ना असंभव है। राजस्थान राज्य द्वारा दान में दिये गये 400 बिस्तरों के एक चलते फिरते अस्पताल सहित 1100 नये बिस्तरों के अस्पताल के उपकरण इन राज्यों को तत्काल भिजवाये गये हैं। मुख्य शिविरों में सर्जनों, डाक्टरों नर्सों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के विशेष दल भेजे गये हैं। उच्चतम प्राथमिकता पर जल प्रदाय की विशेष योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है और बड़े स्तर पर स्वास्थ्य संरक्षण कार्यवाही की जा रही है।

हमारे उन सीमावर्ती राज्यों में, जो कि पाकिस्तान की घटनाओं के कुप्रभावों का सामना कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन का ध्यान सामान्य तथा विकासशील कार्यों से हट कर शिविर प्रशासन सिविल सप्लाई और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं की ओर चला गया है। परन्तु हमारे लोगों ने शरणार्थियों की कठिनाईयों को अपनी कठिनाईयों से तरजीह दी है और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की पाकिस्तानी एजेंटों की चालों के प्रति दृढ़ता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि लोग इस प्रकार की उच्च भावना बनाये रखेंगे।

वर्तमान अनुमानों के अनुसार छः महीनों की अवधि में अकेले राहत कार्यों पर ही केन्द्रीय राजकोष का व्यय 180 करोड़ रुपये से अधिक होगा। जैसा कि माननीय सदस्य समझते होंगे, इस सब से हमारे ऊपर अप्रत्याशित बोझ आ पड़ा है।

बंगला देश के इन लोगों ने जिस हिम्मत के साथ पीड़ा सहन की है और अपने भविष्य के सम्बन्ध में जिस प्रकार उनमें विश्वास है उससे मेरे मन में दिलासा है। यह कहना शरारतपूर्ण है कि बंगला देश में जो कुछ हुआ है उसमें भारत का हाथ था। इस प्रकार की बातें कहना बंगला देश के लोगों की आकाक्षाओं और उनके पवित्र बलिदान के प्रति निरादर है और पाकिस्तानी शासकों द्वारा किये गलत कार्यों के लिये भारत को दोषी ठहराने की कोशिश है। विश्व को धोखा देने की भी यह एक कुचेष्टा है। विश्व के समाचार पत्रों को पाकिस्तान की धोखे बाजी का पता लग गया है। इन तथा कथित भारतीय घुसपैठियों में से अधिकांश महिलाएं बच्चे और वृद्ध हैं।

इस सभा ने अपने देश के अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार किया है। परन्तु जितनी गहराई तक हमारे दिलों को बंगला देश की घटनाओं ने छुआ है उतना अन्य किसी घटना ने नहीं। जब इस प्रकार की गंभीर स्थिति सामने हो तो सारी स्थिति और इस सब के कारण हम सब पर आ पड़े उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में इस सभा तथा अपनी सारी जनता के समक्ष कहे जाने वाले शब्दों को अत्यन्त सोच समझ कर कहना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है।

गत 23 तथा इससे अधिक वर्षों के दौरान हमने पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कभी भी प्रयास नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान का व्यवहार इसी प्रकार संयत नहीं रहा। अब भी हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। परन्तु वास्तविकता क्या है? जिस समस्या को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला कहा गया, वह भारत की भी आन्तरिक समस्या बन गई है। अतः हमें यह अधिकार हो जाता है कि हम पाकिस्तान को सचेत करें कि वह इस प्रकार की उन सब कार्यवाईयों को तुरन्त बन्द कर दे जिन्हें वह आन्तरिक क्षेत्राधिकार के नाम पर कर रहा है और जिनका हमारे करोडों नागरिको की शांति तथा समृद्धि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वह अपनी राजनैतिक अथवा अन्य समस्याओं का हल भारत तथा भारतभूमि की कीमत पर करें।

क्या पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वह शस्त्रों के बल पर न केवल अपने सैंकड़ों, हजारों, लाखों बल्कि करोडों नागरिकों को अपने घर छोडने को बाध्य करें? हमारे लिये यह असहनीय स्थिति है। हमने जो इन करोडों अभागों को आश्रय देने को बाध्य होना पड़ा। इस तथ्य को अधिकाधिक लोगों को सीमा के इस पार धकेलने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

हमें अपनी सहनशक्ति की परम्परा पर गर्व है। अपनी असहनशीलता के क्षणों पर हमने सदैव पश्चाताप किया है और लज्जित हुए हैं। हमारे राष्ट्र और हमारी जनता को शांति में निष्ठा है और हमने कभी भी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी की बात नहीं की है। किन्तु मैं अपनी जनता को सतर्क करना चाहती हूं कि हमें और भी भारी बोझ उठाने पड़ सकते हैं।

जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है वे केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं। वास्तव में मूल समस्या तो अन्तर्राष्ट्रीय है।

विदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधियों द्वारा तथा विदेशी सरकारों के भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा हमने विश्व की आत्मा को जागृत करने के प्रयास किये हैं। हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपील की है और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ततोगत्वा इस समस्या का वास्तविक रूप विश्व के कुछ राष्ट्रों की समझ में आ रहा है। तथापि मैं इस बात पर सदन के साथ सहमत हूं कि इस दुःखद घटना के प्रति विश्व में प्रतिक्रिया प्रकट होने में जो असहनीय समय लग रहा हैं, उससे हमें निराशा हुई है।

न केवल भारत को अपितु प्रत्येक देश को अपने हितों का विचार करना पड़ता है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपने निष्ठुर कार्यों के शांति अच्छे पड़ोशिपन तथा मानवता के बुनियादि सिद्धांतों की जो हत्या की है मेरा विचार है, उसके विरुद्ध आवाज उठाकर में इस प्रतिष्ठित सभा और अपनी जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ। भारत की विशाल जनता की शांति और स्थिरता को वे चेतावनी दे रहे हैं।

महासचिव, ऊथांट की सार्वजनिक अपील का हम स्वागत करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि कुछ राष्ट्रों पर इसका प्रभाव हुआ है या हो रहा है। परन्तु इस सहायता का महत्व तभी है जब यह समय पर मिले इसके अतिरिक्त इन लाखों लोगों को राहत देने का प्रश्न इस समस्या का केवल एक भाग है। लगातार अथवा स्थायी रूप से राहत दी भी नहीं जा सकती और न ही हम ऐसा चाहते भी हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहियें कि और शरणार्थियों का आगमन रुके और भविष्य में उनकी सुरक्षा एवं कुशल क्षेम के आश्वासनों के साथ शीघ्र ही उनका लौटाना सुनिश्चित हो सके। मैं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ यह कह रही हूँ कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस उप-महाद्वीप में स्थिरता एवं शाँति नहीं रह सकती। हमने अन्य शक्तियों से अनुरोध किया है कि इस तथ्य को स्वीकार करें। यदि विश्व इस ओर कोई ध्यान नहीं देता तो हमें अपनी सुरक्षा तथा अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन के ढांचे के संरक्षण और विकास हेतु यथा आवश्यक सभी कदम उठाने के लिये बाध्य होना पडेगा।

हम इस बात को मानते हैं कि पूर्वी बंगाल की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। इसके लिये राजनैतिक समाधान उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत होना चाहिये जिनके पास ऐसा करने की शक्ति है। विश्वमत में बड़ा बल है, सर्व शक्तिशाली को भी यह प्रभावित कर सकता है। बड़ी शक्तियों का विशेष उत्तरदायित्व होता है। यदि वे ठीक से और त्वरित रूप से अपनी शक्ति को प्रयोग करें। तभी हम अपने उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की आशा कर सकते हैं। यदि वे असफल हुई और मेरा विश्वास है कि वे असफल नहीं होंगी तो मानवीय अधिकारों के इस दमन से, लोगों को उजाड़े जाने से और असंख्य व्यक्तियों को निरन्तर आश्रय हीन बनाने से शांति को खतरा होगा।

इस स्थिति का समाधान पक्षपातपूर्ण भावना से या दलीय राजनीति से नहीं किया जा सकता। इसके अन्तर्गत आने वाले विषयों के साथ प्रत्येक नागरिक का सम्बन्ध है। मुझे आशा है कि यह संसद, हमारा देश और हमारी जनता आवश्यक कठिनाइयों को सहन करने के लिये तत्पर रहेगी, जिससे कि हम अपनी जनता और उन लाखों लोगों के प्रति, जो वहां के आतंक से डर कर अस्थायी शरण प्राप्त करने यहां भाग आये हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें।

इस सब के कारण हमारे बहुत कर्तव्य बनते हैं और इसके लिये बड़े राष्ट्रीय अनुशासन की आवश्यकता है । हमें बहुत अधिक कुरबानियां करनी होंगी । हमारे कारखानों और हमारे खेतों का उत्पादन बढ़ना चाहिये । हमारा रेल विभाग तथा सारी यातायात और संचार व्यवस्था बाधा रहित रूप से चलती रहनी चाहिये । यह समय प्रादेशिक अथवा वर्गीय हितों के प्रदर्शन का नहीं है । हमारे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बनाये रखने के लिये तथा राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिये हमें प्रत्येक अन्य बात को गौण स्थान देना चाहिये । मैं प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे से यह अपील करती हूँ कि वे सेवा तथा बलिदान की भावना से अनुप्राणित रहें और जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि मेरा यह राष्ट्र समर्थ है ।

श्री समर गुह (कंटाई) : स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने अध्यक्ष से भेंट की थी । तत्पश्चात हमें यह सूचना दी गई थी कि बंगला देश की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वक्तव्य के आधार पर सभा में कुछ विचार विमर्श किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये नियमानुसार आपको सूचना देनी होगी ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : वक्तव्य को परिचालित किया जा सकता है ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the resolution brought by Shri Pant seeks the approval of the House on the promulgation of President's Rule in Mysore. Mysore has always been a progressive state. Therefore, while doing so we should examine the main causes due to which the President's Rule was promulgated in Mysore. It should be under stood that the defection is the main factor behind the situation and a law should be made for dealing with the tendency of defections. If this tendency is not curbed a day may come when all the states would come under thePresident's Rule We have observed that Shri Virendera Patel tendered his resignation on 18 th. March and the Assembly was suspended on 27 th March followed by the promulgation of the President's Rule. While exploring the possibilities of forming a new Ministry Shri Patil commented that he was not prepared to form any ministry in which there should be any defector. In this context I urge upon you that the tendency of defection must be checked through an effective measure.

I would also like to say a few words regarding the appointments of Governors. Since 1967, the Governors have been assigned some responsibilities. In view of that a Bill was brought before the House in the last Lok Sabha in connection with laying down names for the selection of Governors. My submission is that Bill should be received and the Parliament should be consulted in appointing the Governors.

It is a matter of happiness that the present Governor of Mysore state is Shri Dharm Vira and has earned a good name for his Governorship.

At present Mysore state is under the President's Rule and therefore it is the duty of the Centre to solve the disputes between Mysore and Maharashtra. The Mahajan Commission has submitted their Report on Belgaon. The suggestion of the Commission are acceptable to Mysore but Maharashtra Government are not prepared to accept it. In this situation Government should take active step to solve all such problems. It must be the

duty of the Centre to form certain names and rules under which the inter-state disputes could be solved amicably.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय ! मैसूर में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का मैं समर्थन करता हूँ श्री वीरेन्द्र पाटिल की सरकार में आंतरिक मत भेद था तथा उनकी सरकार को हटने पर जनता की आकांक्षाएं पूरी हो गई।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैसूर में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है किन्तु उसके पश्चात वहां कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो दुखद है। मुझे सभा के समक्ष यह निवेदन करना है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का लाभ उठाकर श्री निजलिंगप्पा और श्री वीरेन्द्रपाटिल के अनुगामियों को विभिन्न निगमों के चेयरमेन नियुक्त करने का प्रयास किया है। उन्हें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिये तथा उन्हें संविधान के अन्तर्गत मिली शक्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। किन्तु उन्होंने बदनाम राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर इस प्रकार के बहुत से प्रयत्न किये हैं। अत: सरकार को इस स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए।

मैसूर की विधठित विधान-सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों ने सरकार का कई बार मैसूर की विकास सम्बन्धी गतिविधियों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया है। केन्द्रीय सहायता अत्यन्त कम है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मैसूर के सीमा सम्बन्धी विवादों को हल किया जाये तथा महाजन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाये।

कावेरी नदी के जल से सम्बन्धित विवाद भी अभी तक हल नहीं हो पाया है। मैसूर में खाद्यान्न की कमी है तथा वहां की जनता की विभिन्न समस्याओं को ठीक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। श्री निजलिगप्पा तथा श्री पाटिल के नेतृत्व में केवल क्षेत्रीयवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकता को ही प्रोत्साहन मिला है : साथ ही लगभग 20-25 परियोजनाएं ऐसी हैं जो केन्द्र सरकार की मन्जूरी के लिये पड़ी है। मुझे आशा है कि सिंचाई मन्त्रालय इस मामले पर ध्यान देगा तथा वहां से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं के लिये मंजूरी दे देगा।

मैं यह भी माँग करता हुं कि मैसूर के राज्यपाल के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराई जाय तथा वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैसूर में शीघ्र चुनाव कराये जायें। मेरे विचार से मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है अथवा होने वाला है। अत: अक्तूबर/नवम्बर के महीने में चुनाव करा दिये जाने चाहियें।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : महोदय ! मैसूर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा का मैं समर्थन करता हूँ। इस उद्घोषणा के साथ ही राजनीतिज्ञों के उस गुट का अंधकार पूर्ण शासन समाप्त हो गया जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार था। समय के परिवर्तन के साथ

षडयंत्र रचने वाली सरकार का वहां अन्त होगया । मैसूर की जनता ने श्री वीरेन्द्र पाटिल सरकार के विरुद्ध कुछ वर्ष पहले ही अपना निर्णय कर दिया था । किन्तु किसी को इस बात की सम्भावना नहीं थी कि उनकी सरकार का अब इतनी शीघ्र पतन हो जायेगा ।

मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि राज्य की विधान–सभा के 35 सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें श्री वीरेन्द्र पाटिल तथा उनके जीहुजूरों के द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध जांच करने की मांग की थी । मेरे विचार से सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इतने सदस्यों के आग्रह पर उनकी न्यायिक जांच कराई जाये । इस उद्देश्य के लिये अभी कोई विशेष देर नहीं हुई है । साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि इन मामलों की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाये ।

श्री लकप्पा ने सदन का ध्यान मैसूर राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद उर्दू घटनाओं की ओर उल्लेख किया है । भूतपूर्व मंत्रियों को नए निगमों के चेयरमेन बनाने की बात उचित नहीं प्रतीत होती है । मैसूर के मत्स्य पालन निगम में, वन विकास निगम में इसी प्रकार के मंत्रियों को चेयरमेन के पद पर मनोनीत किया गया है । मेरा प्रश्न है कि क्या राज्यपाल को कोई अन्य ऐसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे जो इन पदों पर कार्य करने के लिये उपयुक्त हों । मैसूर की जनता अपने प्रतिनिधियों से यही प्रश्न पूछती है अतः हमारा यहाँ इन प्रश्नों को उठाना आवश्यक है ।

राज्यपाल अन्य अनेक प्रशासनिक निर्णय भी ले रहे हैं । मैसूर राज्य के राज्यपाल ने सप्ताह में पांच दिन कार्य करने का सूत्र उद्घोषित किया है मैसूर के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे ग्रामीण जनता की कठिनाइयों का पूरा पता है । यदि सरकारी कार्यालय शनिवार को भी बन्द रहेंगे तो सरकारी कार्य में और भी देरी होगी तथा जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ेगी ।

मैं राज्यपाल के कार्य की आलोचना न करते हुये केवल उन्हें इस बात के लिये सचेत करना चाहता हूं कि उन्हें जनता की भावनाओं का भी आदर करना चाहिये तथा उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए ।

लोक प्रिय सरकार की अन्य किसी सरकार या प्रशासन से तुलना ही नहीं की जा सकती चाहे लोकप्रिय सरकार कार्यकुशल हो अथवा नहीं किन्तु उसका कोई जोड़ ही नहीं हैं । अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मैसूर में शीघ्र ही चुनाव करायें ।

कहा गया है कि अधिक वर्षा के कारण नवम्बर महीने में चुनाव नहीं कराये जा सकते । किन्तु मैसूर से आने के कारण मैं जानता हूं कि वहां अक्तूबर के मध्य तक वर्षा समाप्त हो जाती है । पता चला हैं कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण आरम्भ हो गया हैं तथा एक दो महीने में यह कार्य पूरा हो जायेगा । अतः निवेदन है कि अक्तूबर के मध्य में चुनाव करा दिये जाने चाहिये ।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० भारत इलैक्ट्रीकल लि० आदि उद्योगों को देखकर देश में यह भावना उत्पन्न की जा रही

है कि सभी उद्योग बंगलौर के आस पास एकत्रित होते जा रहे हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में मैसूर को केन्द्र से मिलने वाली सहायता की राशि बहुत कम है। अतः मेरा निवेदन है कि मैसूर के लिये केन्द्रीय सहायता में भी वृद्धि की जाये।

जहां तक नदी के जल से सम्बन्धित विवाद का प्रश्न है, मैसूर में सिंचाई की प्रतिशतता केवल 8 है जबकि आंध्र में 38, तमिलनाडु में 32, और महाराष्ट्र में लगभग 30 है। इसी प्रकार कावेरी के बेसिन पर मैसूर केवल 2 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत ला सका है जबकि तमिलनाडु सरकार 14 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाई है। कावेरी मैसूर राज्य में ही निकलती है अतः हमारा अनुरोध है कि सरकार उससे सम्बन्धित हमारी कुछ परियोजनाओं को स्वीकार करले। मुझे आशा है कि डा. राव हमारी हेमावती परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकार करलें। मुझे आशा है कि डा० राव हमारी हेमावती परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओ को अवश्य स्वीकार कर लेंगे जो मैसूर राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होंगी। योजना आयोग ने भी इन क्षेत्रों को पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में मान लिया है अतः सरकार को इसके लिए अधिक सहायता देनी चाहिये।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैसूर को जनता ने प्रधान मन्त्री से बहुत सी आशाएं लगा रखी हैं तथा उन्होंने प्रधान मन्त्री के प्रति पूरा विश्वास दिखाया है अतः सरकार द्वारा हेमावती परियोजना के सम्बन्ध में शीघ्र ही अनापत्ति पत्र दिया जाना चाहिये। तथा उसके लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिये क्योंकि मैसूर के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

अन्त में मैं राज्यपाल को पुनः सचेत करना चाहता हूँ कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि अब समय बदल गया है। उन्हें अपनी संवैधानिक सीमाओं और जनता की रुचि का ध्यान रखना चाहिये।

वह स्वतंत्र रूप से बिना सलाहकारों की मदद से प्रशासन चलाना चाहते हैं। यह अनुचित है। आशा है राज्यपाल इन बातों की ओर गम्भीरता से ध्यान देंगें।

श्री एम० के० कृष्णान् (पोन्तारणी) ×× महोदय ! यह मेरे लिये सोभाग्य की बात है कि मैं इस अवसर पर अपनी मातृभाषा मलयालम में बोल रहा हूँ

महोदय ! इस संकल्प में सभा से मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बन्धित उद्घोषणा का अनुमोदक मांगा गया है। वाद विवाद में भाग लेते हुए श्री कृष्ण ने टिप्पणी की है कि जहां भी श्री धर्मबीर गये हैं वहीं राष्ट्रपति शासनलागू किया गया है। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् सरकार ने उन राज्यों की सरकारों का पतन किया है जहां केन्द्र की सत्तारूढ सरकार के दल से भिन्न दलों की सरकार रही हैं।

1952 के आम चुनावों के बाद संविधान का अनुच्छेद 356 का उपयोग पहली बार 'पैप्सू'

×× मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर

में किया गया था। उसके पश्चात इसका उपयोग ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के साथ किया गया था। किन्तु उस समय दोनों ही राज्यों में धर्मबीर नहीं थे। 1967 के ग्राम चुनावों के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेस दलों की सरकारें बनी तथा उन सभी के विरूद्ध इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया अतः अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत व्यवस्था इस प्रकार की है कि केन्द्र में सत्तारूढ दल कभी भी अन्य दल की सरकार को गिरा सकती है।

मेसूर में पुरानी कांग्रेस की सरकार बनायी किन्तु उसमें से कुछ सदस्यों को तोड़ लिया गया जिससे उस दल का बहुमत समाप्त होने पर मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को विधान सभा को भंग करने और नये चुनाव करने की सलाह दी।

महोदय ! दलबदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार को एक विधेयक लाना चाहिये तथा उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि जो सदस्य दल बदलता है उसे त्याग पत्र देना होगा तथा पुनः आने के लिये चुनाव जीतना होगा।

श्री बालतन्डायुतम (कोयम्बटूर) महोदय ! मैसूर में वीरेन्द्र पाटिल सरकार के पतन पर किसी को दुःख नहीं होना चाहिये क्यों कि वह तो जनता की मांग थी। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को वहां शीघ्र ही चुनाव कराने चाहियें तथा उनके लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि कावेरी जल सम्बन्धी विवाद को शीघ्र हल किया जाना चाहिये। मेरे विचार से हेमावती बांध परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में सभी दलों समान भावना होगी किन्तु फिर भी इस समस्या का समाधान मैसूर और तमिलनाडु में पारस्परिक विचार विमर्श करके किया जाना चाहिये। जिससे किसी को भी हानि न हो। मेरा निवेदन है कि हम इस विवाद को यह कहकर न टाला जाये कि क्योंकि वहां लोक प्रिय सरकार अभी नहीं है अतः उसका निपटारा अभी नहीं हो सकता।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया तथा संकल्प का समर्थन किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने मलयालम में भाषण दिया, ने पांच महीने में मैसूर में विद्यमान वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। राज्यपाल ने वहां इस बात की पूरी जांच करली थी कि क्या वहां कोई दूसरी सरकार बन सकती है अथवा नहीं। पूरी जांच के पश्चात ही राज्यपाल ने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये। हम राज्यपाल के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहते। किन्तु यदि सदन शुरू समय की परिस्थति को स्मरण करें तो मेरे विचार से वहां केवल हमारे दल की सरकार बनने की ही सम्भावना हो सकती थी।

वहां सरकार बनाने के सम्बन्ध में यदि कोई अन्य प्रयत्न नहीं हुआ तो इससे केवल हमारा

दल ही अवसर से वंचित रहा है न कि कोई अन्य दल । इस स्थिति से दल-बदलने की प्रकृति को भी धक्का लगा है ।

दल बदलने से प्रश्न पर विचार करने के लिए पिछली लोक सभा के कार्यकाल में एक समिति बनाई गई थी और समिति के एक मत के आधार पर एक विधेयक का मसौदा भी तैयार किया गया था । प्रधान मन्त्री ने इस विधेयक के संबंध में विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की तथा उस विधेयक के संबन्ध ठोस सुझाव देने के लिए उनसे अनुरोध किया । अभीं तक सब दलों के विचार प्राप्त नहीं हुए । सरकार को आशा है कि इस सम्बन्ध में मतैक्य प्राप्त हो जायेगा और शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

गर्वनरों के स्वाविवेक कृत्यों के अनुपालन के सम्बन्ध में 1971 के आम चुनावों से पूर्व सुनिश्चित किये गये निर्देश पदों अथवा आदर्शों के सम्बन्ध में गृह मन्त्री, श्री चव्हाण ने पांच प्रमुख विधिवेताओं के साथ विचार-विर्मश करने के पश्चात विरोधी पक्ष के नेताओं और राजनैतिक दलों के साथ बातचीत की और कुछ बातों पर मतैक्य हुआ । सरकार ने विरोधी नेताओं की इस विषय में सहमति मांगी । केवल कुछ नेताओं के विचार ही प्राप्त हुए हैं परन्तु फिर भी सरकार ने मतैक्य के विषय और विधिवेताओं द्वारा कही बातें भी गवर्नरों को सम्प्रेषित कर दिये हैं ।

जहां तक जल विवाद और सीमा विवादों का सम्बन्ध है सरकार इनका सन्तोष जनक हल चाहती है जोकि आपसी आधार पर सौहार्द और सहयोग की भावना पर आधारित हो । ऐसा न होने की स्थिति में ही केन्द्रीय सरकार इनमें दखल करती है ।

जहां तक मैसूर में चुनावों का सम्बन्ध है । सरकार शीघ्र ही वहां पर चुनाव करवाना चाहती है । राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की सरकार की कभी भी इच्छा नहीं रहती । जहां भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वहां पर ही सरकार ने यथासम्भव शीघ्रता के साथ चुनाव करवाने के प्रयास किये ।

देश भर में मतदाता-सूचियों के ठीक न होने के संबन्ध में शिकायते थीं अत: चुनाव आयोग द्वारा मैसूर सहित अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है । इन संशोधित सूचियों के तैयार हो जाने पर राज्य विधान सभाओं के चुनाव करवाये जाएंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि यह सभा मैसूर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 27 मार्च 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. ANNUAL REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1968-69

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो 15 मई, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

भारत में आज विश्व में सब से बड़ी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है जिसके अन्तर्गत 7 करोड़ से अधिक विद्यार्थी एवं 20 लाख अध्यापक आते हैं। हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि तथा विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती रही है। वर्ष 1961-62 में 11·55 लाख से बढ़ कर यह संख्या 1969-70 में 27·93 लाख हो गई। इस प्रकार 8 वर्षों की अवधि में २।। गुणा वृद्धि हुई है और प्रति वर्ष यह वृद्धि 2-3 लाख तक होती है। यह संख्या इंगलैंड में उच्च शिक्षा के लिये दाखिल विद्यार्थियों की कुल संख्या के लगभग बराबर है।

विश्वविद्यालयों की जो संख्या 1947 में केवल 20 थी आज वह 83 है। कालिजों की संख्या जो 1961-62 में 1783 थी वर्ष 1969-70 में बढ़ कर 3297 हो गई है। इस प्रकार पिछले आठ वर्षों में लगभग 1500 नये कालेज खोले गये हैं।

विश्वविद्यालय विभागों और कालेजों में अध्यापकों की संख्या जो 1961-62 में 63,063 थी 1969-70 में बढ़ कर 1,19,062 हो गई। इस प्रकार लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि हुई,

इस प्रकार इस सारे विकास और विस्तार की असाधारण गति के कारण मूल आवश्यकताओं और सुविधाओं की व्यवस्था करने और शिक्षा-स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के बारे में शिक्षा प्रणाली पर आत्याधिक दबाव पड़ा है। उपलब्ध साधनो के साथ आयोग ने इस सारी स्थिति की चुनौती स्वीकार करने के लिए संगठित एवं संयुक्त प्रयास किया है।

विशेषज्ञ समितियों द्वारा विभिन्न विषयों से उच्च शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रम और सुविधाओं का पुनरुवलोकन दिया और उसमें सुधार और आधुनिकीकरण के सुझाव दिये। परीक्षा पद्धति के विभिन्न पहलुओं की भी जांच की गई और सुधार के लिए सिफारिशें की गई। कुछ विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है।

छात्र-कल्याण संबन्धी प्रश्नों की जांच की गई और छात्रों के रहने और कार्य करने की स्थिति में सुधार करने के लिये कार्रवाई की गई। छात्रावासों, छात्र गृहों, स्वास्थ्य केन्द्रों, पुस्तक बैंकों तथा इसी प्रकार की अन्य छात्रकल्याण अनेक योजनाओं के लिये चुने हुए कालेजों और विश्व विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

छात्र-समुदाय की उचित आवश्यकताओं और कठिनाइयों पर विचार करने व उन्हें दूर करने के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों में उपयुक्त परामर्श देने वाली व्यवस्था की आवश्यकता पर आयोग ने पहले ही बल दिया है। विश्व विद्यालयों और कालेजों के प्रशासन में छात्रों के भाग लेने के विजय की जांच विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समिति ने की है। इसकी रिपोर्ट का पहला भाग प्राप्त होने ही वाला है।

आयोग अध्यापकों को शोध कार्यों, के लिये वित्तीय सहायता देता रहा है। इसी प्रकार अध्यापकों को शोध अथवा उच्च शिक्षा के लिये अनुसन्धान केन्द्रों व उच्च सिक्षा संस्थाओं में जाने व वहां कार्य करने के लिये यात्रा अनुदान दिये जाते हैं। विश्वविद्यालयों मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के केन्द्रों का विकास किया जा रहा है। तीस विश्वविद्यालय विभाग उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में चल रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से प्रतिभाशाली छात्रों और अध्यापकों को इन केन्द्रों में आकर्षित करने के लिये छात्रवृतियां आदि दी जाती हैं और वर्ष 1969-70 में 700 से अधिक विद्वान इन केन्द्रों में शोधकार्य कर रहे थे।

आयोग ने उपयुक्त स्थानों पर स्नात्तकोत्तर शिक्षा के लिये केन्द्रों के विकास के लिये भी सहायता दी है। भारत के पड़ौसी अनेक देशों में जीवन संस्थाओं, संस्कृति आदि के सम्बन्ध में क्षेत्र अध्ययन करने हेतु कुछ केन्द्र स्थापित करने की भी कार्रवाई की गई है।

वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई में सुधार लाने का एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। अपने विशिष्ठ क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्याख्यान देने और उच्च शिक्षा अथवा शोध के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली अध्यापकों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय व्याख्यताओं के रूप में चुना जाता है।

आयोग के विकास व्यय में वृद्धि हुई है। वर्ष 1966-67 में 11·56 करोड़ रुपये के व्यय से बढ़ कर 1970-71 में यह 21·53 करोड़ रुपये हो गया। तथापि इस बात को ध्यान में रखना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलती और परिवर्तनशील स्थिति को देखते हुए तदनुरूप समुचित संसाधनों की अपेक्षा है।

तथापि, आयोग ने उपलब्ध साधनों की सीमा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के संवर्द्धन और विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए व कार्यान्वित किये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1968-69 के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं जबकि हम इस समय वर्ष 1971 में हैं इस प्रकार का विचार महत्व-हीन है अतः मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पर विचार समय पर होना चाहिये जिससे कि यहां पर दिये गये सुझावों पर आयोग द्वारा पर्याप्त विचार किया जा सके।

इस प्रतिवेदन में इस आयोग के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख नहीं। न ही इसमें देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्द्धन और समन्वय के सम्बन्ध में किसी परियोजना का

उल्लेख है । यदि आयोग यह समझता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के वितरण के लिये यह एक अभिकरण मात्र है तो वह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा । यह उल्लेख करने से भी, कि वित्तीय अनुदानों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, आयोग को गठित करने के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते । वास्तव में प्रतिवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि देश में वास्तविक शिक्षा के स्तर में कितना प्रसार और सुधार हुआ है ।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के संवर्द्धन और समन्वय के लिये देश में माध्यमिक शिक्षा की समस्या का हल किया जाना भी परमावश्यक है परन्तु इस ओर ध्यान देने पर हमें दुःख ही होता है क्योंकि स्कूलों से निकलने वाले छात्र विश्वविद्यालय शिक्षा से उपलब्ध होने वाले लाभ के उपयुक्त ही नहीं होते । अतः शिक्षा का विषय यद्यपि राज्य का विषय है तथापि माध्यमिक शिक्षा और और विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिये । जिससे कि विश्वविद्यालय शिक्षा से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सके ।

हम इस बात पर भी विचार करें कि देश में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने से क्या उद्देश्य पूरे हुए हैं ? इसके कारण माध्यमिक स्कूलों में 11 वर्ष का पाठ्यक्रम लागू हुआ है परन्तु अधिकतर स्कूलों के पास इस स्तर पर उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही अनुदान की राशि प्राइवेट कालेजों को उसी स्थिति में उपलब्ध होती है यदि वह समान राशि का अंशदान स्वयं के स्रोतों से जमा करने में समर्थ हों । यह शर्त वस्तुतः इन कालेजों के विकास और प्रगति में बाधक बनती है । इस शर्त के कारण अधिकतर प्राइवेट कालेज अनुदान की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते । अतः कालेज के कार्यकरण में भी कई कठिनाइयाँ आती हैं । इस प्रकार के बहुत से कालेजों में अध्यापकों और प्रोफेसरों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पाते । इस विषय को और अधिकारियों को तत्काल ध्यान देना चाहिये ।

आयोग के प्रतिवेदन में प्रत्येक कालेज में विज्ञान के विभिन्न विषयों के लिए अधिक प्रयोग-शालाओं के खोलने, पर्याप्त कमरों, छात्रावासों तथा अध्यापकों के लिये आवास आदि के प्रबन्धों के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख नहीं है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उप-मन्त्री ने शिक्षा के क्षेत्र में छाई हुई बुराइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । छात्रों में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका भविष्य अन्धकारमय है । यदि उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो असन्तोष बढ़ेगा ही । स्नातकोत्तर स्तर तक बड़े बलिदानों के साथ शिक्षा पूरी करने के पश्चात भी छात्र को कोई विश्वास नहीं होता कि उसे नौकरी मिलेगी । उसे सब ओर द्वार बन्द ही दिखाई पड़ते हैं । इस सारी स्थिति को सुधार कर छात्र समुदाय को आशावान बनाने के विचार से विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को कुछ कार्य करना चाहिये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शैक्षिक सुधार कार्य की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये न कि अनुषंगी कार्यों की सूची व उनमें प्राप्त प्रगति को देख कर यह समझ लेना चाहिये कि उसके उद्देश्य पूरे हो गये हैं ।

आज हमें विभिन्न कालेजों के अध्यापकों के वेतन मानों आदि में विषमता पाते हैं। जब तक इन अध्यापकों की सेवा शर्तों आदि की समस्या हल नहीं की जाती और उनमें व्याप्त असन्तोष दूर नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सुधार नहीं लाये जा सकते, क्योंकि अन्य सभी बातें कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों पर ही निर्भर करती हैं अतः इस ओर शीघ्र ही समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

समाजवादी क्रांति लाना हमारे देश का उद्देश्य है और हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी इसी ओर निर्देशित होना चाहिये। शिक्षा नीति इस प्रकार की हो कि छात्रों के मन में देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाने की वास्तविक भावना उत्पन्न हो जो कि देश को प्रगति के पथ की ओर अग्रसर करें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : It is a pity that Government does not have a firm policy towa'ds educatior. It is not at all clear about the aims of education.

University Grants Commission was set up with a certain objective But it has not achieved those objectives. We find that it has not been possible to improve primary education as yet There are no proper schools small children are made to sit under the trees. There are different courses of studies in different provinces which create difficulties for those people who are transferred from one province to another. Teachers have their own difficulties and in the circumstances they teach less but resort to agitational methods to get rid of their difficulties.

We find that Goondaism is increasing in students, with the result that standard of education is falling down. Even examinations have to be conducted with the help of police.

The first step to check all this should be to take over Education from private hands. Even Kothari Commission has suggested this step.

Recently in Broad day light there was a murder in Banaras University and nothing was done by the Government. They were not even able to remove the office of the R. S. S. through the police knows that one of their men committed the murder. If this is the state of education, what will happen to University Grants Commission. Money is not given to the Universities on the basis of merit and that to is not being spent in a proper way.

These days the students do not get admission in colleges. The students who use unlawful means get division first and thus also get admission in higher classes and Medical and Engineering Colleges. Governement is ignoring Urdu. What is the use of settin up University Grants Commission ? If it is only a grant giving body then it can be done by the Education Ministry. They say that it is a State subject, but the Centre also have the right that if the state do not work according to the constitution then they should take that subject from them. But they can not give because by doing so they will lose their election wining organ. Under these circumstances who will hear your advice of not to take part in politics. I say that the entire education system should be changed. Division should be abolished in Technical subjects. The condition of the teachers should be improved, but it can not be done until the education remains in private hands.

Only simple Hindi words should be used. what is the use of using such words which are difficult to understand. Therefore common and prevalent words should be used.

Young blood should be introduced in University Education and new form of education

should be started in the country. For bringing socialism all this education should be stopped and a new education system should be introduced.

श्री आर०डी० भन्डारे (बम्बई सैन्ट्रल) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1968-69 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो पहला सुझाव मैं देना चाहता हूँ वह है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए, इसके अभाव में देश में शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती।

यहां मैं प्राइमरी या सैकन्डरी शिक्षा की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा से है, क्योंकि यहां हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं।

शिक्षा के विकास के साथ उसका स्तर गिरना अनिवार्य है इसे टाला नहीं जा सकता। ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इसके उदाहरण है। इसलिए स्तर गिर रहा इस बात पर अधिक ही हल्ला नहीं मचाना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि क्या हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं। क्या हम छात्रों के परम्परागत मस्तिष्क में कोई परिवर्तन ला सके हैं, उन्हें जातिवाद और सामाजिक समानता तथा न्याय का सही-सही चित्र दे सके हैं। मैंने तो जगह-जगह जाने पर यह देखा है कि अभी भी छात्रों का पिछड़ी जातियों के प्रति वही व्यवहार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

एक ऐसी सामान्य धारणा है कि विश्वविद्यालय प्रांगण की पवित्रता बनाए रखी जाये। मैं भी इसे मानता हूँ पर इसके लिए कुछ सुरक्षा बल की व्यवस्था वहां होनी चाहिये। बनारस विश्वविद्यालय में हाल ही में क्या हुआ, यह सर्व विदित है। इस प्रकार का यह अकेली घटना ही नहीं है हमने सरकार से वहां सुरक्षा की व्यवस्था की बार-बार मांग की है। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार वहां की कानून और व्यवस्था की समस्या का ध्यान रखेगी तथा उन घटनाओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरों से जाँच करायेगी क्योंकि पुलिस अधिकारी और सिपाही इस प्रकार के तत्वों से मिले हुए हैं। अतः पुलिस के हाथ में इस मामले को सौंप देने से कुछ होने वाला नहीं है। एक या दो घटनाओं की ही बात नहीं है बरन् सभी मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जानी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो स्थिति की कुछ सीमा तक सुधारा जा सकता है।

बनारस विश्वविद्यालय एशियाई भाषाओं का एक विभाग था पर धन की कमी के कारण हमें उसे बन्द करना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि धन की कमी के कारण इसे बन्द नहीं होने देने चाहिए क्योंकि यहां विश्व भर और विशेषकर एशियाई देशों के छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

सन 1965-66 के बीच विभिन्न आयोगों और समितियों ने यह सिफारिश की है कि छात्रों को विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं को चलाने में सहयोग देना चाहिये। इस सुझाव को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए क्योंकि अब इसके लिए सबसे उत्तम समय है।

अन्तिम बात में परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमने विभिन्न प्रकार की

प्रणालियों को चलाकर देखा है पर अभी इस समस्या का समाधान होना शेष है। अतः इस पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। हमें छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के प्रश्न पर भी ध्यान देना चाहिये। यह सच है कि आजकल विश्व के सभी देशों में छात्रों में अनुशासन हीनता है पर वहां कारण कुछ भिन्न हैं। हमारे यहां इसका कारण असंतोष और निराशा है। पर कारण इससे भी कहीं बड़े हैं और उन्हें खोजने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।

नये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या हुआ। मैंने न जाने कहां से यह सुना है कि नये सदस्यों की नियुक्ति की जानी है पर वह भी नहीं की गई है।

Shri Hamendra Singh Banera (Bhilwara) **:** I am sorry to say that we in India are playing with the education policy. Every new Minister introduces his own policy and makes experiments on it. This is the reason for which there is inrest among students in India. There was a time when people from all parts of the world used to come for education in India. Our present education system is going on the pattern established by Britishers. Now it should be changed altogether.

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए।
Shri R. D. Bhadare on the Chair.]

I am not in favour of increasing Universities, but the exisiting universities should be properly maintained.

This is the first time when a young man has been elected as president of Students Union of B.H. U. But he has been murdered and it shows that they could not even see first times. The murderer has run away and he is not being arrested because he has got the shelter of some minister.

सभापति महोदय : क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए कृपया इसके सम्बन्ध में यहां कुछ न कहें।

Shri Hamendra Singh Banera : Now it should be decided once for all that communalism and politics should be kept aloof of the education.

There is a motion in the University Grants Commission's Report that there was a proposal to open a University in Ajmer. But it was rejected by the University Grants commission. My suggestion is that if there is going to be a University in Ajmer its name should be 'Dayanand Saraswati University.' In Chittor 'Partap University' should be opened.

It was said in this House that the Colleges of Aligarh which are not affiliated with Aligarh University will be affiliated with it. I would like to know whethar it has been done,

श्री वाई० एस० महाजन (बलडाना) **:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रारम्भ काल में अब तक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में काम किया है।

जन शांति और धन का पूरा-पूरा सर्वेक्षण करके आयोग ने नए विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में संकोची दृष्टिकोण अपनाया है। इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये क्योंकि

भारत में प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ने के समुचित नियंत्रण और व्यवस्था करना कठिन हो जायेगा और अधिक विश्वविद्यालय खोलना साधनों के कारण कठिन है। ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है। पर हमें अपने साधनों को बढाना चाहिये। और उनका उचित उपयोग किया जाना चाहिये। यदि पर्याप्त व्यक्ति विश्वविद्यालयों के उपलब्ध न हो तो हमें लोगो को प्रशिक्षित करना चाहिये। तथा देश की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना चाहिये।

बम्बई विश्वविद्यालय में 60,000 विद्यार्थी हैं, जिनके हितों को देखना एक उपकुलपति के लिये अत्यन्त कठिन है। अतः वहां एक दूसरा विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये।

हमारे यहां अधिकतर छात्र सम्बन्ध विद्यालयों में शिक्षा पाते हैं। अतः हमें उन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। एक बात की ओर आयोग ने कभी ध्यान नहीं दिया है। और वह है छात्रों की इस बात का परामर्श देना कि क्या वे उच्चशिक्षा के योग्य है या नहीं। तथा उन्हें कौनसा विषय लेना चाहिये। यदि इस प्रकार की सलाह देने की व्यवस्था की जा सके तो हम कुछ छात्रों की तकनीकी तथा औद्योगिक संस्थाओं में भेज सकते हैं। और इस प्रकार कालेजों में उनकी भीड़ को कम कर सकते हैं।

सम्बन्ध कालेजों को जो अनुदान विभिन्न श्रोतों से मिलता है वह पर्याप्त नहीं होता। कुछ विद्यालय निजी लोगों द्वारा चलाए जाते हैं और पर्याप्त धन के अभाव में समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें अनुदान नहीं दे सकता। पर हम देखते हैं कि दो तीन साल बाद उन्हें अनुदान मिल जाता है। परिणाम यह होता है कि कुछ क्षेत्रों में विकास हो जाता है पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता। यदि हमारे सम्बन्ध कालेजों में समुचित शिक्षा दी जाए तो विद्यार्थियों को इन निजी कालेजों का सहारा न लेना पड़े।

अतः आयोग को इन कालेजों की ओर अत्याधिक ध्यान देना चाहिये।

प्रो० एस० एल सक्सेना (महाराजगंज) : आयोग के कार्य में सुधार करने के लिए हमें एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग करनी चाहिये जिसमें हम सदन के भी कुछ सदस्य हों। वह इसके पिछले 15 साल के कार्य का **अध्ययन** करें। और इसकी कमियों को बताए।

हमारे देश में छात्रों में असंतोष और अनुशासन हीनता का कारण है समुचित शिक्षा का न होना। अन्य समाजवादी देशों—रूस जर्मन आदि में यह सब कुछ नहीं है क्योंकि वहां उन्हें शुरू से ही अच्छे नागरिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। जिससे कि सरकार एकसी नीति अपना सके। और बेरोजगारी को बढ़ने से रोक सके।

रूस में 16 वर्ष तक एकसी शिक्षा देने के बाद मेधावी छात्रों को विशेष संस्थाओं में भेजा

जाता है और अन्यों को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। जबकि हमारे यहां प्रत्येक छात्र को बी० ए० या एम० ए० तक एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। अत: शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये जिसको कि हम वास्तव में अच्छे नागरिको का निर्माण कर सकें।

वर्तमान आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के साथ अन्याय किया है। वहां कालेजों को कई वर्षों तक अनुदान नहीं दिया जाता और वे अपने साधनों के आधार पर ही चलते हैं मैं भी एक कालेज चलाता हूँ जिसे पिछले दो वर्ष से अनुदान नहीं मिला है मैं नैपाल से दस मील दूर तराई के इलाके से आता हूँ। वहां कोई मन्डी अथवा कारखाना भी नहीं है। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को आयोग को अधिक सहायता देनी चाहिये।

मुझे आशा है कि सभी कालेजों को आरम्भ से अनुदान दिये जायेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये और उसके लिये विशेष अनुदान दिये जायें।

हमारे देश में विज्ञान की शिक्षा बहुत उपेक्षित दशा में है। हमारे यहां विज्ञान के कालेज तो हैं परन्तु उनमें उपकरण पुराने हैं अतएव वे उचित स्तर बनाये नहीं रख सकते। मैं आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस ओर विशेष ध्यान देगा।

हमारे देश में कृषि कालेजों की कमी है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मान्यता-प्राप्त कालेजों की दशा भी अत्यन्त दयनीय है। मैं निवेदन करता हूं उनको विश्वविद्यालय के कालेजो के समान ही समझा जाना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में योग्यतम व्यक्ति ही रखे जाने चाहिये क्योंकि उन्हें पूरे देश की शिक्षा नीति तैयार करनी होती है।

श्री पी० एंथनी रेड्डी (अनन्तपुर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वास्तव में अच्छा कार्य कर रहा है। पाठ्य क्रम का स्तर निश्चित रूप से सुधरा है परन्तु शिक्षा के व्यापक विस्तार के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है।

विश्वविद्यालय के शिक्षक प्राय: उच्च अर्हता प्राप्त तथा शिक्षा कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं परन्तु वे दूसरा कार्य मिलने पर छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार ये अध्यापक छात्रों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते।

कुछ ऐसे छात्र भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा लेते है जो विश्वविद्यालय-शिक्षा के योग्य नहीं होते। क्योंकि वे और तो कुछ कर नहीं पाते, अतएव छात्रों में अनुशासनहीनता फैलाते हैं।

छात्रों में अनुशासनहीनता का एक कारण यह भी है कि कालेजों में उनकी भलाई के कार्यों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जाता। आयोग अब होस्टलों की व्यवस्था तथा उनमें प्रबन्ध व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहा है।

मैं यह नहीं मानता कि कालेजों की व्यवस्था एवं प्रयोगशालाएं उपेक्षित दशा में हैं। कुछ अच्छे कालेज निजी ही हैं। उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिये।

आयोग ने बेरोजगार इंजिनियरों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। चिकित्सा कालेजों में प्रोफेसरों को पढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों में भी कार्य करना पड़ता है और विद्यार्थियों को भी वहां जाकर उनका कार्य देखना पड़ता है। परन्तु इंजिनियरी शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर छात्रों को भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। उनका अध्ययन पूरी तरह सैद्धान्तिक रह जाता है। यही कारण है कि वे लोग नौकरी पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। अतएव मेरा सुझाव है कि इंजिनियरिंग छात्रों की कुछ समय निर्माण कार्यों पर भेजा जाना चाहिये।

मिशनरी कालेजों को विदेशी सरकारों से कुछ अनुदान प्राप्त होते हैं जिसके लिये उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रायः ऐसी मंजूरी में बहुत समय लग जाता है। शिक्षा मंत्रालय को 6 विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कार्यवाही पूरी होने तक अनुदानों की अवधि समाप्त हो जाती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रक्रिया को सुगम बनाएं।

Shri Shiv Nath Singh (Jhun Jhunu) : In ancinet times education was considered to be of very high order. In the past 23 years we have made various experiments in the sphere of education and still are undecided as to what should be the type of our education. I feel that Educationists have very little say in the formation of education policy of this Country. There is indiscipline in the colleges. I also feel in connection with the problems with which the students are directly connected, The studens should be associated with the managements.

Various conflicts take place in the college because different standards exist Universities in respect of percentage of mark for first and second divisions. There are different standards for entry into different institutions and as a result there of the students have to suffer. It is, therefor, necessary to evolve unification of standards to avoid conflicts.

We are progressing quantitatively but are retrogressing qualitatively. Efforts should be made to improve the standard all round. The students who enter colleges should be well prepared.

While we agree that the education in Private colleges is better but the lecturers in these colleges have great frustration. They are paid less but are asked to sign for more amount.

The Government should have control on the Universities so far as law and order situation is concerned.

Our education system gives birth to unemployment our technical hands can not do anything of their own if they fail to get employment. we should totally change this system of education.

We should utilise the services of educational experts to improve the education system in the country.

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीदपुर) : पंजाब प्रदेश में शिक्षा के माध्यम के बारे में अनिश्चितता की स्थिति पूरे वर्ष बनी रही। उस बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है जो कि प्रशंसनीय है।

मैं समझता हूँ कि शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्पष्ट अनुदेश देने चाहिये, न कि न्यायालय को। इस समय माध्यम का मामला राजनीतिज्ञों का खिलबाड़ बना हुआ है। मैं समझता हूं कोई ऐसा मार्ग खोजा जाना चाहिये कि उच्च शिक्षा को केन्द्रीय या समवर्ती सूची में रखा जा सके।

देश में 83 अथवा 76 विश्वविद्यालय है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनके लिए परामर्श समितियां बनाने के लिये समान नीति निर्धारित की जाये।

रिपार्ट के अनुसार मान्यता प्राप्त कालेजों में 73.3 प्रतिशत शिक्षक प्राध्यापक हैं तथा विश्वविद्यालय के कालेजों में 68.2 प्रतिशत प्राध्यापक हैं। तब भी उन प्राध्यापकों का प्रबन्ध कारिणी परिषदों में कोई स्थान नही। रीडरों एवं प्रोफेसरों को अपने पदों के कारण परिषद में स्थान दिया जाता है जबकि प्राध्यापक बहुमत में होने पर भी प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में विभागों के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य नामांकित व्यक्ति उन परिषदों में लिये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मन्त्री शिक्षक वर्ग को प्रबन्ध समितियों में प्रतिनिधित्व दिलायें।

दिल्ली तथा अन्य स्थानों में साम्प्रदायिक संस्थाओं में प्राध्यापको को कई कारणों से पद-मुक्त कर दिया जाता है। राजनीतिक दल वहाँ साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

जब तक शिक्षा शिक्षकों पर निर्भर न रहकर आदेशों पर निर्भर है तब तक शिक्षा का प्रसार नही हो सकता। शिक्षकों का भला राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

ऐसी शिक्षा संस्थाओं का जो शिक्षको को कम वेतन देकर अधिक वेतन के हस्ताक्षर करवा लेती हैं। जनता के सम्मुख कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

अंधकारमय भविष्य के कारण छात्रों में भारी असंतोष है। इंजिनियरिंग, चिकित्सा कृषि इंजिनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी का बोलबाला है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शिक्षकों का बेकारी की इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। जब तक विश्वविद्यालय में दाखलों को रोजगारों के साधनों के अनुरूप नहीं बनाया जाता इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। अन्यथा शिक्षा प्रसार व्यर्थ है। मैं चाहता हूँ इस शिक्षा के क्षेत्र में मार्ग दर्शक सिद्धान्त माना जाये।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 25 मई, 1971/4 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थागित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 25 th, 1971 Jyaistha 4, 1893 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar